Seventeenth Lok Sabha VII Session
(29/11/2021 to 22/12/2021)

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 29 नवम्बर, 2021/ 8 अग्रहायण, 1943 (शक)

संख्या 132

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. शपथ

निम्नलिखित सदस्यों ने शपथ ली, सदस्यों की नामावली पर हस्ताक्षर किये और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया:-

क्र.सं.	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	राज्य	शपथ/प्रतिज्ञान	भाषा
1.	श्रीमती प्रतिभा सिंह	मंडी	हिमाचल प्रदेश	शपथ	अंग्रेजी
2.	श्री ज्ञानेश्वर पाटिल	खण्डवा	मध्य प्रदेश	शपथ	हिन्दी

पूर्वाह्न 11.06 बजे

3. *निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री बी. सेनगुट्टुवन, सदस्य, 16वीं लोक सभा; श्री कल्याण सिंह, सदस्य, 14वीं और 15वीं लोक सभा; श्री ऑस्कर फर्नांडिस, सदस्य, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं लोक सभा और राज्य सभा के वर्तमान सदस्य; श्री गोदिल प्रसाद अनुरागी, सदस्य, 7वीं लोक सभा; श्री श्याम सुंदर सोमानी, सदस्य, छठी लोक सभा; श्री राजनारायण बुधौलिया, सदस्य, 14वीं लोक सभा; श्री देवव्रत सिंह, सदस्य, 14वीं लोक सभा; और श्री हरी दानवे पुंडलिक, सदस्य, छठी और 9वीं लोक सभा के निधन के संबंध में उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

*मूल हिन्दी में। विवरण के लिये कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

पूर्वाह्न 11.11 बजे

4. तारांकित प्रश्न

सदस्य, जिनके नाम पर तारांकित प्रश्न संख्या 1 सूचीबद्ध था, ने अनुपूरक प्रश्न पूछा। तथापि, व्यवधान के कारण मंत्री उत्तर नहीं दे सके।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.13 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 15 तथा 17 से 20 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

5. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 230 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

6. लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य, श्री बाबुल सुप्रियो ने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है और उन्होंने 22 अक्तूबर, 2021 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

7. सभा पटल पर रखे गए पत्र

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 2339(अ) जो 16 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज वाली एथेनॉल ब्लेडिंग प्रोग्राम, ग्रेन बेस्ड डिस्टलरीज के बारे में है।

(दो) का.आ. 2817(अ) जो 13 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एमएम(डीआर) संशोधन अधिनियम, 2021 के उपबंधों के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति के अंतरण के बारे में है।

(तीन) का.आ. 2859(अ) जो 16 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इनग्रीडिएंट्स पर श्रेणी 'बी2' के रूप

में विचार किए जाने के बारे में है।

(चार) का.आ. 3975(अ) जो 1 नवंबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गोवा तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण के पुनर्गठन के बारे में है।

(पांच) का.आ. 124(अ) जो 9 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो दमन और दीव तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण के पुनर्गठन के बारे में है।

(छह) का.आ. 125(अ) जो 9 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त "ब्लू फ्लैग" प्रमाणन के प्रयोजन के लिए तटों की पहचान किए जाने के बारे में है।

(सात) का.आ. 1422(अ) जो 5 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2021 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(आठ) का.आ. 1423(अ) जो 5 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण के पुनर्गठन के बारे में है, जो अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए उसमें उल्लिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा।

(नौ) का.आ. 1424(अ) जो 5 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण के पुनर्गठन के बारे में है, जो अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए उसमें उल्लिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (चार) से (नौ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 की धारा 7क के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 34(अ) जो 15 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पर्यावरण राहत निधि योजना, 2008 अधिसूचित की गई है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रपति द्वारा 30 सितम्बर, 2021 को प्रख्यापित स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 8)

(दो) राष्ट्रपति द्वारा 14 नवम्बर, 2021 को प्रख्यापित केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 9)

(तीन) राष्ट्रपति द्वारा 14 नवम्बर, 2021 को प्रख्यापित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 10) तथा उसका शुद्धिपत्र (केवल अंग्रेजी संस्करण) जो

15 नवंबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(2) (एक) इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रधानमंत्री के विकास पैकेज पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- जम्मू-कश्मीर सरकार (2021 का प्रतिवेदन संख्यांक 2)

(दो) मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- संघ सरकार (2021 का प्रतिवेदन संख्यांक 3) (संचार और आईटी क्षेत्र) (अनुपालन लेखापरीक्षा)

(तीन) मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) सेना (2021 का प्रतिवेदन संख्यांक 4) (अनुपालन लेखापरीक्षा)

(चार) मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- संघ सरकार (रेल) (2021 का प्रतिवेदन संख्यांक 5) (अनुपालन लेखापरीक्षा)

(पांच) वर्ष 2019-2020 के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- संघ सरकार (2021 का प्रतिवेदन संख्यांक 7) (वित्तीय लेखापरीक्षा) संघ सरकार के लेखे।

(2) वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियम, 2004 के नियम 8 के उप-नियम (5) के अंतर्गत मार्च 2018 और मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्षों के लिए वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के अनुपालन पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संघ सरकार आर्थिक कार्य विभाग (वित्त

मंत्रालय) के प्रतिवेदन (2021 का प्रतिवेदन संख्यांक 6) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वर्ष 2019-2020 के लिए संघ सरकार-वित्त लेखे

(दो) वर्ष 2019-2020 के लिए संघ सरकार-विनियोग लेखे (सिविल)

(तीन) वर्ष 2019-2020 के लिए संघ सरकार-डाक सेवाओं के विनियोग लेखे

(चार) वर्ष 2019-2020 के लिए विनियोग लेखे, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) (भाग एक - समीक्षा)

(पांच) वर्ष 2019-2020 के लिए विनियोग लेखे, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) (भाग दो - विस्तृत विनियोग लेखे)

(छह) वर्ष 2019-2020 के लिए विनियोग लेखे, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) [भाग दो - विस्तृत विनियोग लेखे) (अनुबंध-छः)]

(सात) वर्ष 2019-2020 के लिए रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे

(4) बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 की धारा 69 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 499(अ) जो 20 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 की धारा 5 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारियों के मध्य उसमें उल्लिखित अधिकारिता के क्षेत्र आबंटित किए गए हैं, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(5) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अग्रिम विनिर्णय के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारी विनियम, 2021 जो 4 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 4(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) कुरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रक्रमण) संशोधन विनियम, 2020 जो 30 दिसंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 808(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(6) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केन्द्रीय माल और सेवा कर (छठा संशोधन) नियम, 2021 जो 30 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 517(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 518(अ) जो 30 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा ऐसे पंजीकृत व्यक्ति को, जिसका वित्तीय वर्ष 2019-20 में सकल टर्नओवर 2 करोड़ रूपये तक है, उक्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी भरने से छूट दी गयी है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 1 की उप-धारा(2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 3065(अ) जो 30 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 अगस्त, 2021 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है, जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 110 और 111 के उपबंध लागू होंगे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मीनाक्षी लेखी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) तिब्बत हाउस, नई दिल्ली के वर्ष 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) तिब्बत हाउस, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) तिब्बत हाउस, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चर स्टडीज, दहंग के वर्ष 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चर स्टडीज, दहंग के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर, उदयपुर के वर्ष 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर, उदयपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपुर्णा देवी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) समग्र शिक्षा पुदुचेरी, पुदुचेरी के वर्ष 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा पुदुचेरी, पुदुचेरी के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) समग्र शिक्षा दादरा और नगर हवेली, सिल्वासा के वर्ष 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा दादरा और नगर हवेली, सिल्वासा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) समग्र शिक्षा अभियान मध्य प्रदेश, भोपाल के वर्ष 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा अभियान मध्य प्रदेश, भोपाल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नॉर्थ इस्टर्न हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा, लेखा-परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) नॉर्थ इस्टर्न हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई, भिलाई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, रुड़की के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई, भिलाई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स), धनबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स), धनबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर, गांधीनगर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर, गांधीनगर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की

एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर, गांधीनगर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पल्लकड़, पल्लकड़ के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पल्लकड़, पल्लकड़ के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पल्लकड़, पल्लकड़ के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिबपुर के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिबपुर के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पुदुचेरी, करायकल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पुदुचेरी, करायकल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मेघालय, शिलांग के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मेघालय, शिलांग के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, इंदौर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, इंदौर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, इंदौर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुपति, तिरुपति के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की

एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुपति, तिरुपति के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुपति, तिरुपति के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू, जम्मू के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू, जम्मू के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू, जम्मू के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, हैदराबाद की वर्ष 2019-2020 की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, मंडी के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, मंडी के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, मंडी के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान जम्मू, जम्मू के वर्ष 2016-2017 से 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान जम्मू, जम्मू के वर्ष 2016-2017 से 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ईटानगर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ईटानगर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ईडीसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ईडीसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान कलकत्ता, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान कलकत्ता, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान बंगलौर, बेंगलूरु के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान बंगलौर, बेंगलूरु के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) (एक) मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर, जयपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर, जयपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) (एक) मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नागालैण्ड, नागालैण्ड के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नागालैण्ड, नागालैण्ड के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक, सुरत्कल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक, सुरत्कल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) (एक) मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) (एक) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) (एक) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) उपर्युक्त (59) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा, गोवा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा, गोवा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा, गोवा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) उपर्युक्त (61) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63) (एक) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) उपर्युक्त (63) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(65) (एक) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(67) (एक) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) उपर्युक्त (67) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(69) (एक) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(70) उपर्युक्त (69) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(71) (एक) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(72) उपर्युक्त (71) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(73) (एक) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(74) उपर्युक्त (73) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(75) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर, जमशेदपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर, जमशेदपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(76) उपर्युक्त (75) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(77) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, रायपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, रायपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(78) उपर्युक्त (77) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(79) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(80) उपर्युक्त (79) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(81) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तडेपल्लीगुडेम के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तडेपल्लीगुडेम के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(82) उपर्युक्त (81) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(83) (एक) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(84) उपर्युक्त (83) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(85) (एक) महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(86) उपर्युक्त (85) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(87) वास्तुविद अधिनियम, 1972 की धारा 45 की उप-धारा (3) के अंतर्गत वास्तुकला परिषद

(वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2021 , जो दिनांक 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं.सीए/373/2021/एमएसएई(विनियम) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(88) (एक) एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(89) उपर्युक्त (88) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(90) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अरूणाचल प्रदेश, यूपिया के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अरूणाचल प्रदेश, यूपिया के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(91) उपर्युक्त (90) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(92) (एक) केन्द्रीय विश्वविद्यालय झारखंड, रांची के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय विश्वविद्यालय झारखंड, रांची के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(93) उपर्युक्त (92) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(94) (एक) भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(95) उपर्युक्त (94) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(96) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, थिरूवनंतपुरम के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, थिरूवनंतपुरम के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(97) उपर्युक्त (96) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(98) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मिजोरम, आइजॉल के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मिजोरम, आइजॉल के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(99) उपर्युक्त (98) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला

विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(100) (एक) बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(101) उपर्युक्त (100) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(102) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(103) उपर्युक्त (102) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(104) (एक) गनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, मालदा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) गनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, मालदा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(105) उपर्युक्त (104) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(106) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर, इंदौर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर, इंदौर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(107) उपर्युक्त (106) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(108) (एक) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(109) उपर्युक्त (108) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(110) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़, हुब्बाली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़, हुब्बाली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़, हुब्बाली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की

सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(111) उपर्युक्त (110) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(112) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, जोधपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, जोधपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, जोधपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(113) उपर्युक्त (112) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(114) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर, हजरतबल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर, हजरतबल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर, हजरतबल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(115) उपर्युक्त (114) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(116) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग, शिलांग के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग, शिलांग के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(117) उपर्युक्त (116) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(118) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान रायपुर, रायपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान रायपुर, रायपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(119) उपर्युक्त (118) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(120) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(121) उपर्युक्त (120) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(122) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बंबई, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बंबई, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बंबई, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(123) उपर्युक्त (122) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(124) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान कोझिकोड, कोझिकोड के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान कोझिकोड, कोझिकोड के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(125) उपर्युक्त (124) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(126) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ, लखनऊ के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ, लखनऊ के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(127) उपर्युक्त (126) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(128) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर, उदयपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर, उदयपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(129) उपर्युक्त (128) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(130) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान सिरमौर, सिरमौर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान सिरमौर, सिरमौर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(131) उपर्युक्त (130) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(132) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, कानपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, कानपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(133) उपर्युक्त (132) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(134) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, खड़गपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, खड़गपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, खड़गपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार

द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(135) उपर्युक्त (134) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(136) (एक) हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(137) उपर्युक्त (136) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(138) (एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(139) उपर्युक्त (138) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(140) (एक) योजना और वास्तुकला विद्यालय, भोपाल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) योजना और वास्तुकला विद्यालय, भोपाल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(141) उपर्युक्त (140) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(142) (एक) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(143) उपर्युक्त (142) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(144) (एक) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(145) उपर्युक्त (144) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(146) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान बोधगया, बोधगया के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान बोधगया, बोधगया के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यकरण

की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(147) उपर्युक्त (146) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(148) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान रोहतक, रोहतक के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान रोहतक, रोहतक के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(149) उपर्युक्त (148) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(150) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान संबलपुर, संबलपुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान संबलपुर, संबलपुर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(151) उपर्युक्त (150) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(152) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान नागपुर, नागपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान नागपुर, नागपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(153) उपर्युक्त (152) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(154) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, तिरूपति के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, तिरूपति के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, तिरूपति के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(155) उपर्युक्त (154) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(156) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(157) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुणे के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुणे के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुणे के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की

सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(158) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, रोपड़ के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, रोपड़ के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, रोपड़ के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(159) उपर्युक्त (158) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(160) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(161) उपर्युक्त (160) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(162) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, इंदौर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, इंदौर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, इंदौर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(163) उपर्युक्त (162) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(164) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रम तथा ऑनलाइन कार्यक्रम) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 1 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.1-10/2020 (डीईबी-1) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

8. इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कोर्ट के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 के परिनियमों के परिनियम 8(2) के साथ पठित परिनियम 8(1)(ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अध्यधीन तीन वर्ष की अवधि के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.06 बजे

9. सरकारी विधेयक - पुर:स्थापित

कृषि विधि निरसन विधेयक, 2021

अपराह्न 12.07 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखे पाटील द्वारा सरकारी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों की सुरक्षा लेखापरीक्षा के बारे में।

(2) श्री अरुण साव द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार से राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (ग्रामीण) में अपने हिस्से की धनराशि का योगदान करने हेतु अनुरोध किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री विवेक नारायण शेजवलकर द्वारा गरीब किसानों के हितों की रक्षा हेतु आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा झारखण्ड के चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लम्बित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्रीमती केशरी देवी पटेल द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित ऐतिहासिक अकबर किले को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंपे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा बिहार के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एकमा और भगवानपुर में अभिघात केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री सत्यदेव पचौरी द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित लाल इमली मिल के कर्मचारियों के संबंध में वेतन, उपदान एवं अन्य भत्तों की बकाया धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री जुगल किशोर शर्मा द्वारा किसानों को जम्मू एवं कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाए जाने के प्रयोजन हेतु अधिग्रहीत की गई भूमि का किसानों को पर्याप्त मुआवजा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री बी.वाई. राघवेन्द्र द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत स्वामित्व प्रदान करने के बारे में।

(10) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा उर्वरकों की सप्लाई चेन की निगरानी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री नारणभाई बी. काछड़िया द्वारा गुजरात के अमरेली में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री बैन्नी बेहनन द्वारा आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते मूल्यों के बारे में।

(13) डॉ. शशि थरूर द्वारा तिरूअनंतपुरम में मिल उद्योग को फिर से खोलने के बारे मे।

(14) श्री के. मुरलीधरन द्वारा राज्य राजमार्गों को भारतमाला परियोजना में सम्मिलित करने के बारे में।

(15) श्री डी. एम. कथीर आनन्द द्वारा कोविड 19-महामारी से प्रभावित अनाथ बच्चों एवं वृद्धों हेतु कल्याणकारी उपाय किए जाने के बारे में।

(16) श्री एन. रेड़डप्प द्वारा आंध्र प्रदेश में रायलसीमा हेरीटेज पर्यटन सर्किट हेतु निधियां संस्वीकृत करने के बारे में।

(17) श्री श्याम सिंह यादव द्वारा जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के बारे में।

(18) श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा कोक्लीयर इम्प्लांट्स के प्रोसेसरों के आवधिक प्रतिस्थापन के बारे में।

(19) श्री जयदेव गल्ला द्वारा आंध्र प्रदेश में चक्रवात को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने एवं पीड़ित लोगों को राहत सहायता उपलब्ध कराने के बारे में।

अपराह्न 12.08 बजे

11. सरकारी विधेयक - पारित

कृषि विधि निरसन विधेयक, 2021

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने प्रस्ताव पेश किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.10 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.01 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा मंगलवार, 30 नवम्बर, 2021 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 30 नवम्बर, 2021/ 9 अग्रहायण, 1943 (शक)

संख्या 133

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. शपथ

दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र के दादरा और नागर हवेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्रीमती देलकर कलाबेन मोहनभाई ने हिन्दी में शपथ ली, सदस्यों की नामावली पर हस्ताक्षर किए और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 21 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.10 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.00 बजे

तारांकित प्रश्न संख्या 22 से 44 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 231 से 460 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.02 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 3.00 बजे

4. #लोक सभा अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने सभा का सुचारू कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए सदस्यों से अपील की।

अपराह्न 3.02 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 4196(अ) जो 11 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 जुलाई, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ.1686(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ. 4197(अ) जो 11 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 सितम्बर, 1969 की अधिसूचना सं. का.आ.3996(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का.आ. 4198(अ) जो 11 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 जून, 2012 की अधिसूचना सं. का.आ.1318(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(2) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3क की उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ.3141(अ) जो 5 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा वरिष्ठ आप्रवासन अधिकारी, आप्रवासन ब्यूरो, जयगांव को 05.08.2021 से पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में जयगांव स्थित भूमि आप्रवासन चेकपोस्ट के लिए उक्त आदेश के प्रयोजनों के लिए "सिविल प्राधिकारी" के रूप में नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल निरीक्षक (हिन्दी अनुवादक) और सुबेदार मेजर (हिन्दी अनुवादक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2021 जो 31 जुलाई, 2021 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 80 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

#मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

(4) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 20 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी ज्ञापन।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-21 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-21 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, समूह 'क' (राजपत्रित) मंत्रालयीय पद भर्ती नियम, 2021 जो 4 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 530(अ)में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 53 की उप-धारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम, 2021 जो 5 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एनएफएसयू/एडीएम/21 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) रिहैबिलिटेशन प्लांटेशन्स लिमिटेड, कोल्लम के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रिहैबिलिटेशन प्लांटेशन्स लिमिटेड, कोल्लम का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री प्रतिमा भौमिक) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूशन एण्ड रूरल डवलपमेंट सर्विस, थौबल के वर्ष 2010-2011, 2014-2015, 2015-2016 और 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूशन एण्ड रूरल डवलपमेंट सर्विस, थौबल के वर्ष 2010-2011, 2014-2015, 2015-2016 और 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) सोसायटी फॉर वेलफेयर ऑफ द हैंडीकैप्ड, पटियाला के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) सोसायटी फॉर वेलफेयर ऑफ द हैंडीकैप्ड, पटियाला के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) सामाजिक और स्वास्थ्य विकास संगठन, इम्फाल के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) सामाजिक और स्वास्थ्य विकास संगठन, इम्फाल के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) शैल्टर, हुगली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) शैल्टर, हुगली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान, पुरी के वर्ष 2010-2011, 2011-2012, 2013-14, 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान, पुरी के वर्ष 2010-2011, 2011-2012, 2013-14, 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) विश्वधर्म महिला मट्टू मक्कल शिक्षण सेवाश्रम समिति, हुबली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) विश्वधर्म महिला मट्टू मक्कल शिक्षण सेवाश्रम समिति, हुबली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) पीएमडब्ल्यूएमईएनसीएपी, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) पीएमडब्ल्यूएमईएनसीएपी, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) प्रियदर्शिनी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, विशाखापटनम के वर्ष 2013-2014 से 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रियदर्शिनी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, विशाखापटनम के वर्ष 2013-2014 से 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) वीमेन्स कम्युनिटी मैनेजमेंट ग्रुप, खोर्दा के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वीमेन्स कम्युनिटी मैनेजमेंट ग्रुप, खोर्दा के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) रीजनल ब्रेल प्रेस (रामकृष्ण मिशन नेत्रहीन बाल अकादमी), कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल ब्रेल प्रेस (रामकृष्ण मिशन नेत्रहीन बाल अकादमी), कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) सेंट एन्स मनोविकास केन्द्र, गुंटूर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट एन्स मनोविकास केन्द्र, गुंटूर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) राष्ट्रीय सेवा समिति, तिरूपति के वर्ष 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सेवा समिति, तिरूपति के वर्ष 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 और 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) जिला दिव्यांगजन विद्यालय, झारसुगुडा के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जिला दिव्यांगजन विद्यालय, झारसुगुडा के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) राष्ट्रीय सेवा समिति, तिरूपति के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सेवा समिति, तिरूपति के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) शान्तिनिकेतन-रेजीडेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड, वनस्थलीपुरम के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शान्तिनिकेतन-रेजीडेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड, वनस्थलीपुरम के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) आन्ध्र प्रदेश स्टेट फोरम फॉर इकोनोमिकली वीकर सेक्शन्स, निजामाबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आन्ध्र प्रदेश स्टेट फोरम फॉर इकोनोमिकली वीकर सेक्शन्स, निजामाबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) वेलुगू, मदनपल्ली, आन्ध्र प्रदेश के वर्ष 2010-2011 और 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेलुगू, मदनपल्ली, आन्ध्र प्रदेश के वर्ष 2010-2011 और 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) मूक और बधिर विद्यालय, मेरठ के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मूक और बधिर विद्यालय, मेरठ के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) सोसायटी ऑफ कृष्ट ज्योति, वाराणसी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसायटी ऑफ कृष्ट ज्योति, वाराणसी के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) महिला और बाल कल्याण केन्द्र, विजयनगरम के वर्ष 2010-2011 और 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महिला और बाल कल्याण केन्द्र, विजयनगरम के वर्ष 2010-2011 और 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) फेथ-इंडिया, पलक्कड़ के वर्ष 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फेथ-इंडिया, पलक्कड़ के वर्ष 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) (एक) मानसिक विकास केन्द्रम, विजयवाडा के वर्ष 2010-2011 और 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मानसिक विकास केन्द्रम, विजयवाडा के वर्ष 2010-2011 और 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) (एक) स्नेहा सोसायटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन, तेलंगाना के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्नेहा सोसायटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन, तेलंगाना के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) (एक) भैरबी क्लब, खुर्दा के वर्ष 2010-2011 और 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भैरबी क्लब, खुर्दा के वर्ष 2010-2011 और 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) (एक) आश्रय आकृति, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आश्रय आकृति, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) (एक) एजुकेशनल एंड रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाईजेशन, थौबल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एजुकेशनल एंड रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाईजेशन, थौबल के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की

सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) (एक) कचाजुली फिजिकली हैंडीकैप्ड स्कूल एंड ट्रेनिंग सेंटर, लखीमपुर के वर्ष 2010-2011 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कचाजुली फिजिकली हैंडीकैप्ड स्कूल एंड ट्रेनिंग सेंटर, लखीमपुर के वर्ष 2010-2011 और 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) (एक) रेजीडेन्शियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड गडवाल, तेलंगाना के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेजीडेन्शियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड गडवाल, तेलंगाना के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) (एक) ठाकुर हरि प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड रिहैबिलिटेशन फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ठाकुर हरि प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड रिहैबिलिटेशन फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) (एक) इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट फॉर द डिसएबल्ड, वाराणसी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट फॉर द डिसएबल्ड, वाराणसी के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) (एक) उत्तर प्रदेश मूक बधिर विद्यालय, इलाहाबाद के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर प्रदेश मूक बधिर विद्यालय, इलाहाबाद के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) उपर्युक्त (59) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61) (एक) विश्वधर्म महिला मट्टू शिक्षण सेवाश्रम समिति, हुबली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विश्वधर्म महिला मट्टू शिक्षण सेवाश्रम समिति, हुबली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) उपर्युक्त (61) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63) (एक) डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड, नलगोंडा, के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड, नलगोंडा, के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) उपर्युक्त (63) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(65) (एक) एसोसिएशन फॉर वालंटरी एक्शन, पुरी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एसोसिएशन फॉर वालंटरी एक्शन, पुरी के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(67) (एक) सीरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड, समालकोट के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सीरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड, समालकोट के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) उपर्युक्त (67) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निशीथ प्रामाणिक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस आशय के संदेश की सूचना दी कि 29 नवम्बर, 2021 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने लोक सभा द्वारा यथापारित कृषि विधि निरसन विधेयक, 2021 को पारित कर दिया है।

7. विधेयकों पर अनुमति

महासचिव ने 20 जुलाई, 2021 को सभा में प्रस्तुत किए गए पिछले प्रतिवेदन के उपरांत 17वीं लोक सभा के छठे सत्र के दौरान संसद की सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित आठ विधेयक सभा पटल पर रखे:-

1. राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक, 2021;
2. नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2021;
3. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021;
4. सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021;
5. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021;
6. कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2021;
7. विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2021; और
8. विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2021.

(दो) महासचिव ने संसद की सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त और राज्य सभा के महासचिव द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित निम्नलिखित चौदह विधेयकों की प्रतियां भी सभा पटल पर रखी:-

.1 नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक, 2021;

2. फेक्टर विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2021;
3. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021;
4. अन्तर्देशीय जलयान विधेयक, 2021;
5. अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक, 2021;
6. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021;
7. केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021;
8. भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021;

9. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग विधेयक, 2021;
10. अधिकरण सुधार विधेयक, 2021;
11. साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021;
12. राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021;
13. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021; और
14. संविधान (एक सौ पांचवां संशोधन) विधेयक, 2021;

8. रेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राधा मोहन सिंह ने रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) 'भारतीय रेल की यात्री आरक्षण प्रणाली' के बारे में आठवां प्रतिवेदन।

(2) 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

[$]9. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री राजू बिष्ट ने "निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं में वृद्धि करना'' विषय के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का 164वां प्रतिवेदन[*] (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा ।

10. शिक्षा, महिला, बाल, युवक और खेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राजेन्द्र अग्रवाल ने शिक्षा, महिला, बाल, युवक और खेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) स्कूली पाठ्यपुस्तकों की विषय-वस्तु और डिजाइन में सुधार के बारे में 331वां प्रतिवेदन;

(2) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में 325वें प्रतिवेदन के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 332वां प्रतिवेदन; और

(3) महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में 326वें प्रतिवेदन के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 333वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 3.10 बजे

[$]अपराह्न 3.11 बजे सभा पटल पर रखा गया।

[*]यह प्रतिवेदन 11 सितम्बर, 2021 को राज्य सभा के माननीय सभापति को प्रस्तुत किया गया था, जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था। प्रतिवेदन की एक प्रति माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को भी अग्रेषित की गई थी।

11. मंत्री द्वारा वक्तव्य

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण सभा पटल पर रखे:-

(1) ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 46वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

12. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री प्रहलाद जोशी ने कार्य मंत्रणा समिति का 25वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

13. सरकारी विधेयक - पुर:स्थापित

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2021

अपराह्न 3.11 बजे

14. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) श्री गिरीश भालचन्द्र बापट द्वारा पुणे के नजदीक खडकी रेलवे स्टेशन को एक टर्मिनल के रूप में विकसित किए जाने के बारे में।

(2) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहार में गया और औरंगाबाद तथा झारखण्ड में डालटनगंज जिलों में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों को रेलवे से जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री राजू बिष्ट द्वारा बागान मजदूरों के लिए प्रजा पट्टा अधिकारों के संबंध में एक कानून बनाए जाने के बारे में।

(4) श्री निहाल चन्द चौहान द्वारा राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक विमानपत्तन विकसित किए जाने तथा इस शहर को उड़ान योजना के अंतर्गत हवाई मार्ग से जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री राजबहादुर सिंह द्वारा मध्य प्रदेश के सागर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कौशल विकास केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री रवि किशन द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक कैंसर चिकित्सा संस्थान की स्थापना किए जाने आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री मनसुखभाई डी. वसावा द्वारा देश के जनजातीय क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) डॉ. जयसिद्देश्वर शिवाचार्य स्वामीजी द्वारा महाराष्ट्र के सोलापुर में महात्मा गांधी प्राणी संग्रहालय विकसित किए जाने हेतु धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्रीमती जसकौर मीना द्वारा राजस्थान के दौसा जिले में अटल भूजल योजना का कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के मिश्रिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-91 के निर्माण में कथित अनियमितताओं के बारे में।

(11) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा फ्लाई एश प्रबंधन के लिए एक नीति के बारे में।

(12) श्री अशोक महादेवराव नेते द्वारा महाराष्ट्र में जिला खनिज प्रतिष्ठान के शासकीय परिषद के अध्यक्ष के बारे में।

(13) श्री पी.पी. चौधरी द्वारा राजस्थान में जंवाई बांध पुनर्भरण योजना को अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री मोहनभाई कल्याणजी कुंडारिया द्वारा राजकोट में गुजरात उच्च न्यायालय का एक खण्डपीठ स्थापित किए जाने आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा जमशेदपुर से आसपास के अन्य शहरों तक बेहतर रेल सम्पर्क प्रदान करने के लिए रेल सेवाओं को सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री प्रद्युत बोरदोलोई द्वारा असम सरकार द्वारा धान की खरीद के बारे में।

(17) कुमारी राम्या हरिदास द्वारा पोल्लाची-तिरुचिंतूर रेल सेवा को पलक्कड तक तथा पोल्लाची-पलक्कड रेल सेवा को पलानी तक बढ़ाए जाने के बारे में।

(18) श्री एस. ज्ञानतिरावियम द्वारा वल्लियूर-राजापूदुर क्रॉस रोड पर उपरि पुल का निर्माण किए जाने के बारे में।

(19) श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ द्वारा आंध्र प्रदेश में इनकोर परियोजना को स्वीकृति दिए जाने के बारे में।

(20) प्रो. सौगत राय द्वारा सीमा सुरक्षा बल के कार्यक्षेत्र में विस्तार करने वाली अधिसूचना को वापस लिए जाने के बारे में।

(21) श्री गजानन सी. कीर्तिकर ने मुम्बई शहर के लिए और शहरी वन योजना के अंतर्गत संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के लिए धनराशि स्वीकृत किए जाने के बारे में।

(22) श्री चन्देश्वर प्रसाद द्वारा बिहार के अरवल जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री चंद्र शेखर साहू द्वारा ओडिशा में सोनपुर को बंदरगाह का दर्जा दिए जाने पर विचार किए जाने के बारे में।

(24) श्री रितेश पाण्डेय द्वारा फसलों और पशुओं में प्राचीन जैव विविधता के संरक्षण के बारे में।

(25) श्री के. नवासखनी द्वारा रामेश्वरम में सुविधाओं के विस्तार हेतु विशेष धनराशि का आवंटन किए जाने के बारे में।

(26) श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी द्वारा पारसनाथ-मधुबन गिरिडीह रेल लाइन परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(27) श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा कोल्लम जिले में केन्द्रीय भण्डारण निगम के एक वेयर हाउस का निर्माण किए जाने के बारे में।

अपराह्न 3.12 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा बुधवार, 1 दिसम्बर, 2021 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 1 दिसम्बर, 2021/ 10 अग्रहायण, 1943 (शक)

संख्या 134

पूर्वाह्न 11.00 बजे

***1. अध्यक्ष द्वारा घोषणा**

अध्यक्ष ने महामहिम श्री गोम्बोजाव जनडनशतर, मंगोलिया के स्टेट ग्रेट हुराल (संसद) के चेयरमैन और मंगोलिया के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य, जो सम्मानित अतिथियों के रूप में भारत की यात्रा पर आए हैं, का स्वागत करते हुए घोषणा की।

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 41-44 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.28 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 45 से 60 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 461 से 506 और 508 से 690 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. #अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने सदस्यों से सभा में शिष्टाचार और गरिमा बनाये रखने की अपील की।

∗पूर्वाह्न 11.04 बजे की गयी।

#पूर्वाह्न 11.27 बजे की गयी। मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

मध्याह्न 12.00 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेः-

(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 319(अ), जो 4 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(2) (एक) वैज्ञानिक और औद्यौगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) वैज्ञानिक और औद्यौगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) वैज्ञानिक और औद्यौगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेः-

(1) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 40 के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता आकलन) (चौथा संशोधन) विनियम, 2021 जो 5 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. बीएस/11/11/2021 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रित (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत पर्यावरण (संरक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 2021 जो 29 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि 443(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रित (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने मंत्रियों द्वारा चौदहवीं, पंद्रहवीं, सोलहवीं और सत्रहवीं लोक सभाओं के विभिन्न सत्रों के दौरान दिए गए आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

चौदहवीं लोक सभा

1.	विवरण सं. 38	छठा सत्र, 2005
2.	विवरण सं. 37	सातवां सत्र, 2006

पंद्रहवीं लोक सभा

3.	विवरण सं. 41	दूसरा सत्र, 2009
4.	विवरण सं. 34	तीसरा सत्र, 2009
5.	विवरण सं. 35	चौथा सत्र, 2010
6.	विवरण सं. 32	छठा सत्र, 2010
7.	विवरण सं. 32	सातवां सत्र, 2011
8.	विवरण सं. 36	आठवां सत्र, 2011
9.	विवरण सं. 32	दसवां सत्र, 2012
10.	विवरण सं. 29	ग्यारहवां सत्र, 2012
11.	विवरण सं. 28	बारहवां सत्र, 2012
12.	विवरण सं. 30	तेरहवां सत्र, 2013
13.	विवरण सं. 25	चौदहवां सत्र, 2013
14.	विवरण सं. 26	पंद्रहवां सत्र, 2013-14

सोलहवीं लोक सभा

15.	विवरण सं. 25	दूसरा सत्र, 2014
16.	विवरण सं. 25	तीसरा सत्र, 2014
17.	विवरण सं. 24	चौथा सत्र, 2015
18.	विवरण सं. 21	पांचवां सत्र, 2015
19.	विवरण सं. 21	छठा सत्र, 2015
20.	विवरण सं. 18	सातवां सत्र, 2016
21.	विवरण सं. 19	आठवां सत्र, 2016
22.	विवरण सं. 18	नौवां सत्र, 2016
23.	विवरण सं. 16	दसवां सत्र, 2016
24.	विवरण सं. 16	ग्यारहवां सत्र, 2017
25.	विवरण सं. 14	बारहवां सत्र, 2017
26.	विवरण सं. 13	तेरहवां सत्र, 2017-18
27.	विवरण सं. 12	चौदहवां सत्र, 2018
28.	विवरण सं. 11	पंद्रहवां सत्र, 2018
29.	विवरण सं. 9	सोलहवां सत्र, 2018-19

30. विवरण सं. 8		सत्रहवां सत्र, 2019
	सत्रहवीं लोक सभा	
31. विवरण सं. 7		पहला सत्र, 2019
32. विवरण सं. 6		दूसरा सत्र, 2019
33. विवरण सं. 5		तीसरा सत्र, 2020
34. विवरण सं. 4		चौथा सत्र, 2020
35. विवरण सं. 2		पांचवां सत्र, 2021
36. विवरण सं. 1		छठा सत्र, 2021

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नोएडा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नोएडा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर ईओयू एंड एसईजेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर ईओयू एंड एसईजेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिये निम्नलिखित एसईजेड के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उन पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन:-

(एक) नोएडा स्पेशल इकॉनामिक जोन अथॉरिटी

(दो) फाल्टा स्पेशल इकॉनामिक जोन अथॉरिटी

(तीन) सांताक्रुज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एसईजेड अथॉरिटी

(चार) विशाखापत्तनम स्पेशल इकॉनामिक जोन अथॉरिटी

(पांच) कोचीन स्पेशल इकॉनामिक जोन अथॉरिटी

(छह) कांडला स्पेशल इकॉनामिक जोन अथॉरिटी

(सात) मद्रास स्पेशल इकॉनामिक जोन अथॉरिटी

(6) उपर्युक्त एसईजेड के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समेकित समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त मद संख्या (5 और 6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव चन्द्रशेखर) ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 3क की उप-धारा (4) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ.3472(अ) जो 6 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सिलाई मशीन (गुणता नियंत्रण) आदेश, 2021 जो 17 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1239 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) ट्रांसपेरेंट फ्लोट ग्लास (क्वालिटी कंट्रोल) आर्डर, 2021 जो 18 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1928 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) द प्लग्स एण्ड सॉकेट-आउटलेट्स एण्ड अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट कनेक्टेड स्टेटिक प्रिपेमेंट मीटर्स फॉर एक्टिव एनर्जी (क्वालिटी कंट्रोल) आर्डर, 2021 जो 7 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2166 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) द बाईसाइक्लिस-रेट्रो रेफ्लेटिव डिवाइसेज (क्वालिटी कंट्रोल) आर्डर, 2021 जो 25 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2028 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) द फ्लक्स कोर्ड (ट्यूबलर) इलेक्ट्रोड्स (क्वालिटी कंट्रोल) आर्डर, 2021 जो 12 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1203 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 की धारा 87 की उप-धारा (3) के अंतर्गत माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) (संशोधन) नियम, 2020 जो

26 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 528(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री कौशलेन्द्र कुमार ने सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) ''महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा'' के बारे में 48वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(2) ''आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा'' के बारे में 49वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(3) ''आश्वासनों को छोड़ने के लिए अनुरोध (स्वीकार किए गए)'' से संबंधित 50वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(4) ''आश्वासनों को छोड़ने के लिए अनुरोध (स्वीकार नहीं किए गए)'' से संबंधित 51वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

7. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. शशि थरूर ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'दूरसंचार सेवाओं/इंटरनेट का निलंबन और इसके प्रभाव' विषय के बारे में 26वां प्रतिवेदन।

(2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'मीडिया कवरेज में नैतिक मानदंड' विषय के बारे में 27वां प्रतिवेदन।

(3) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में समिति के 22वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 28वां प्रतिवेदन।

(4) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में समिति के 23वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 29वां प्रतिवेदन।

(5) इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में समिति के 24वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 30वां प्रतिवेदन।

(6) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में समिति के 25वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 31वां प्रतिवेदन।

8. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के अंतिम की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण

श्रीमती अपरूपा पोद्दार ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले तीन अंतिम की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2019-20)' के बारे में समिति के तीसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 10वां प्रतिवेदन।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की 'उर्वरक राजसहायता की प्रणाली का अध्ययन' के बारे में 5वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति का 12वां प्रतिवेदन।

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2020-21)' के बारे में 7वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति का 14वां प्रतिवेदन।

9. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. जयंत कुमार राय ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित दस प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) 'दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण' के बारे में 316वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 348वां प्रतिवेदन।

(2) 'भारत में वनों की स्थिति' के बारे में 324वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 349वां प्रतिवेदन।

(3) 'टाटा मेमोरियल सेंटर (टीएमसी) के एक विस्तारित नेटवर्क के माध्यम से भारत में कैंसर उपचार में परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के लिए एक व्यापक भूमिका' के बारे में 325वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर विभाग द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 350वां प्रतिवेदन।

(4) परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में 341वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर विभाग द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 351वां प्रतिवेदन।

(5) जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में 342वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर विभाग द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में 352वां प्रतिवेदन।

(6) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में 343वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर विभाग द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 353वां प्रतिवेदन।

(7) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में 344वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर विभाग द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 354वां प्रतिवेदन।

(8) अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में 345वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर विभाग द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 355वां प्रतिवेदन।

(9) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में 346वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर विभाग द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 356वां प्रतिवेदन।

(10) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में 347वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर विभाग द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 357वां प्रतिवेदन।

10. वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव- समय को बढ़ाया जाना

श्री पी.पी.चौधरी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समय को संसद के शीतकालीन सत्र, 2021 के अंतिम सप्ताह तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

***अपराहन 12.07 बजे**

11. प्रस्ताव

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा 30 नवम्बर, 2021 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 25वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(लोक सभा अपराहन 1.35 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.36 बजे पुन: समवेत हुई।)

---

*अपराहन 12.09 बजे से अपराहन 1.35 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाये।

अपराह्न 2.36 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) श्री अनुराग शर्मा द्वारा झांसी जिले में स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों की स्थापना किए जाने के बारे में।

(2) श्री राम कृपाल यादव द्वारा बिहार के पाटलिपुत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सदीसोपुर रेलवे स्टेशन को एक पूर्ण रेलवे स्टेशन का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री रामदास सी. तडस द्वारा महाराष्ट्र के वर्धा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के दौरान रोक दी गई रेल सेवाओं को पुनः चालू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री छेदी पासवान द्वारा बिहार में आरा-कोछस-भभुआ रोड और भभुआ रोड से मां मुंड्डेश्वरी धाम रेल लाइन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) डॉ. हिना विजयकुमार गावीत द्वारा नंदुरबार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 100 से अधिक जनसंख्या वाले रिहायशी स्थानों को पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कनेक्टिविटी उपलब्ध कराए जाने के बारे में।

(6) श्री भागीरथ चौधरी द्वारा राजस्थान के अजमेर में डाक घर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उन्नयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) डॉ. सुकान्त मजूमदार द्वारा स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत बलूरघाट रेलवे स्टेशन को शामिल किए जाने के बारे में।

(8) श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नियोजित व्यावसायिक प्रशिक्षकों का वेतन बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी द्वारा न्यायिक व्यवस्था में सुधार लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री अरुण कुमार सागर द्वारा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 (बरेली-सीतापुर) को 4 लेन का बनाए जाने के बारे में।

(11) श्री भरतसिंहजी शंकरजी डाभी द्वारा गुजरात के पाटन में स्थित विश्व धरोहर स्थल 'रानी की वाव' को पर्यटकों हेतु रात में भी खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग-19 से संबंधित शेष कार्य को तेजी से पूरा किए जाने के बारे में।

(13) श्री राहुल कस्वां द्वारा जल जीवन मिशन योजना के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु जिला स्तर पर एक समिति का गठन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री मणिक्कम टैगोर द्वारा मदुरै जिले में तिरुपरनकुंदरम रेलवे स्टेशन का उन्नयन किए जाने के बारे में।

(15) श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी द्वारा हैदराबाद के शमशाबाद स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोविड-19 एंटीजन टेस्ट कथित रूप से अत्यधिक ऊंची दरों पर किए जाने के बारे में।

(16) श्री (एडवोकेट) डीन कुरियाकोस द्वारा जंगली सुअर को नाशक जानवर घोषित किए जाने के बारे में।

(17) डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन द्वारा मिशन मोड के अंतर्गत एसी/एसटी/ओबीसी समुदायों से संकाय सदस्यों की भर्ती किए जाने के बारे में।

(18) श्री पी.वी. मिथुन रेड्डी द्वारा वर्षा और बाढ़ संबंधी घटनाओं से प्रभावित आंध्र प्रदेश के लिए राहत उपायों के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(19) श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी द्वारा होमगार्डों की सेवा-शर्तों के बारे में।

(20) श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा पश्चिम बंगाल के आरामबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कमरकुंडु पर एक अंडरपास या भूमिगत पारपथ के लिए स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री सदाशिव किसान लोखंडे द्वारा गाय के दूध का गारंटीशुदा मूल्य नियत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा देश में कैंसर रोगियों की बढ़ती संख्या के मूल कारणों की जांच किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री कुंवर दानिश अली द्वारा उत्तर प्रदेश के अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चीनी मिलों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण के बारे में।

(24) श्री सय्यद ईमत्याज जलील द्वारा स्पाइनल मसक्यूलर अट्रोफी डिसऑर्डर के लिए सस्ते चिकित्सकीय उपचार के बारे में।

(25) श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा राजस्थान में अफीम पॉपी की खेती करने वालों की शिकायतों का निवारण किए जाने के बारे में।

अपराह्न 2.38 बजे

13. सरकारी विधेयक - पारित

सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2020

लिया गया समय: 3 घंटे 51 मिनट

डॉ. मनसुख मांडविया द्वारा विधेयक पर विचार किये जाने के लिए प्रस्ताव किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम
2. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
3. डॉ. गौतम सिगामणि पोन
4. डॉ.(श्रीमती) काकोली घोष दस्तीदार
5. डॉ. वेंकट सत्यवती बीसेट्टी
6. डॉ. आलोक कुमार सुमन
7. श्रीमती संगीता आजाद
8. श्रीमती सुप्रिया सुले
9. श्री अनुभव मोहंती
10. श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी
11. श्री हसनैन मसूदी
12. एडवोकेट ए.एम. आरिफ
13. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन
14. श्रीमती नवनित रवि राणा
15. श्री पी. रविन्द्रनाथ
16. श्री के. नवासखनी
17. श्रीमती प्रतिमा मण्डल
18. श्री अधीर रंजन चौधरी

डॉ. मनसुख मांडविया ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

अध्यक्ष ने श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न पर टिप्पणी[@] की।

विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ हुआ।

खंड 2, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

[@]मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

खंड 3, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 4, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 5, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 6, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 7, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 8 स्वीकृत हुआ।

खंड 9, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 10 स्वीकृत हुआ।

खंड 11 स्वीकृत हुआ।

खंड 12, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 13, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 14, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 15, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 16, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 17, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 18, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 19, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 20 स्वीकृत हुआ।

खंड 21, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 22, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 23, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 24, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 25, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 26 स्वीकृत हुआ।

खंड 27, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 28 से 31 स्वीकृत हुए।

खंड 32 स्वीकृत हुआ।

खंड 33, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 34 और 35 स्वीकृत हुए।

खंड 36, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 37 स्वीकृत हुआ।

खंड 38, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 39, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 40 स्वीकृत हुआ।

खंड 41, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 42, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 43, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 44 से 46 स्वीकृत हुए।

खंड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियम सूत्र, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम, यथासंशोधित, भी स्वीकृत हुआ।

डॉ. मनसुख मांडविया द्वारा विधेयक, यथासंशोधित, को पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, यथासंशोधित, पारित हुआ।

***अपराह्न 7.35 बजे**

(लोक सभा गुरुवार, 2 दिसम्बर, 2021 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

---

*सायं 6.29 बजे से सायं 7.35 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाये।

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 2 दिसम्बर, 2021/ 11 अग्रहायण, 1943 (शक)

संख्या 135

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 61, 62, 64 और 65 के मौखिक उत्तर दिए गए। सदस्य, जिनके नाम पर तारांकित प्रश्न संख्या 63 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उत्तर सभा पटल पर रखा। सदस्यों द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 63 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 66 से 80 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 691 से 920 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) श्री टी.आर. बालू ने हज प्रस्थान स्थल को चेन्नई से स्थानांतरित किए जाने के बारे में निवेदन किया।

*श्री मुख्तार अब्बास नक़वी ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.06 बजे

(दो) श्री असादुद्दीन ओवैसी ने मदरसा आधुनिकीकरण योजना के लिए वित्तीय सहायता के बारे में निवेदन किया।

*श्री मुख्तार अब्बास नक़वी ने उत्तर दिया।

---

*अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

अपराह्न 12.10 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

जल शक्ति मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जल तथा भूमि प्रबंधन संस्थान, तेजपुर के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जल तथा भूमि प्रबंधन संस्थान, तेजपुर के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) बेतवा रीवर बोर्ड, झांसी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बेतवा रीवर बोर्ड, झांसी के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रूड़की के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रूड़की के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता और गुणवत्ता केन्द्र, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता और गुणवत्ता केन्द्र, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता और गुणवत्ता केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा* की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, मुंबई के 2017-2018 से 2019-2020 तक के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, मुंबई के 2017-2018 से 2019-2020 तक के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14(क) के अंतर्गत वायुयान (पहला संशोधन) नियम, 2021, जो 16 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 192(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(4) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) केन्द्रीय मोटर यान (नौवां संशोधन) नियम, 2020 जो 23 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 579(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय मोटर यान (दसवां संशोधन) नियम, 2020 जो 25 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 585(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय मोटर यान (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2020 जो 25 सितम्बर, 2020 के भारत के

* वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे 11.02.2021 को सभा पटल पर रखे गये थे।

राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 584(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) का. आ. 3310 (अ) जो 25 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राज्य सरकार द्वारा धारा 210क के अंतर्गत किसी गुणक को निर्दिष्ट करने के बारे में है।

(पांच) का. आ. 3311(अ) जो 25 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मोटर यान संशोधन अधिनियम, 2019 की धारा 45,74,88,90,91 को लागू किया गया है।

(छह) केन्द्रीय मोटर यान (बारहवां संशोधन) नियम, 2020 जो 29 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 594(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) केन्द्रीय मोटर यान (तेरहवां संशोधन) नियम, 2020 जो 30 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 598(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) केन्द्रीय मोटर यान (चौदहवां संशोधन) नियम, 2020 जो 12 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 628(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) केन्द्रीय मोटर यान (पंद्रहवां संशोधन) नियम, 2020 जो 22 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 661(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) केन्द्रीय मोटर यान (सोलहवां संशोधन) नियम, 2020 जो 27 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 673(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) केन्द्रीय मोटर यान (सत्रहवां संशोधन) नियम, 2020 जो 29 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 682(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) केन्द्रीय मोटर यान (अठारहवां संशोधन) नियम, 2020 जो 6 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 690(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) का. आ. 4251 (अ) जो 26 नवंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मोटर यान(संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 36 को लागू करने की तिथि 27 नवम्बर, 2020 नियत करने के बारे में है।

(चौदह) दुपहिया मोटर यान चालक हेल्मेट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 जो 26 नवम्बर, 2020

के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सूचना का. आ. 4252 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(पंद्रह) केन्द्रीय मोटर यान (पहला संशोधन) नियम, 2021 जो 8 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 15(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) केन्द्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 जो 14 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 21(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) अंतर-देशीय परिवहन वाहन नियम, 2021 जो 15 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 25(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) केन्द्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम, 2021 जो 3 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 148(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) का. आ. 1026 (अ) जो 3 मार्च,2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो संपर्करहित सेवाएं प्राप्त करने के लिए आधार के बारे में है।

(बीस) केन्द्रीय मोटर यान (चौथा संशोधन) नियम, 2021 जो 8 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 156(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) अखिल भारतीय पर्यटक वाहन(प्राधिकार या परमिट) (चौथा संशोधन) नियम, 2021 जो 11 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 166(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बाईस) केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2021 जो 12 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 173(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेईस) का. आ. 1231 (अ) जो 16 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 अप्रैल, 2021 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है, जिसको मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 39 और 40 लागू होगी।

(चौबीस) का. आ. 1232 (अ) जो 16 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो वाहन रिकॉल पोर्टल के बारे में है।

(पच्चीस) का. आ. 1406 (अ) जो 30 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1365(अ) में

कतिपय संशोधन किये गए हैं।

(छब्बीस) केन्द्रीय मोटर यान (छठा संशोधन) नियम, 2021 जो 31 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 240(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्ताईस) का. आ. 1433 (अ) जो 31 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 अप्रैल, 2021 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है, जिसको मोटरवाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 में यथाउल्लिखित उपबंधों प्रभावी होंगे।

(अट्ठाईस) का. आ. 1441 (अ) जो 1 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 अप्रैल, 2021 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है, जिसको ऑक्सीजन सिलिंडरों के परिवहन के लिए छूट अनुमेय होगी।

(उनतीस) केन्द्रीय मोटर यान (सातवां संशोधन) नियम, 2021 जो 16 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 277(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीस) केन्द्रीय मोटर यान (आठवां संशोधन) नियम, 2021 जो 19 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 336(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(इकतीस) केन्द्रीय मोटर यान (नौवां संशोधन) नियम, 2021 जो 25 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 342(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बत्तीस) केन्द्रीय मोटर यान (दसवां संशोधन) नियम, 2021 जो 25 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 343(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तैंतीस) का.आ. 2159(अ) जो 3 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो वाहन की श्रेणी के लिए जारी चालक अनुज्ञप्ति के आधार पर मोटरवाहनों के प्रकार के बारे में है।

(चौंतीस) केन्द्रीय मोटर यान (बारहवां संशोधन) नियम, 2021 जो 8 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 393(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पैंतीस) केन्द्रीय मोटर यान (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2021 जो 8 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 394(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छत्तीस) का. आ. 2177 (अ) जो 8 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जिसके

द्वारा 1 जुलाई, 2021 को उस तिथि के रूप में नियत किया गया है जिसको मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 8 और धारा 17 का खंड (सात) प्रवृत्त होगा।

(सैंतीस) केन्द्रीय मोटर यान (तेरहवां संशोधन) नियम, 2021 जो 15 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 410(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(अड़तीस) केन्द्रीय मोटर यान (चौदहवां संशोधन) नियम, 2021 जो 24 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 435(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(उनतालीस) का. आ. 2513 (अ) जो 24 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जिसके द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर्स ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को "सुविधा केन्द्र " के रूप में कार्य करने के लिए मान्यरता प्रदान की गयी है।

(चालीस) केन्द्रीय मोटर यान (पंद्रहवां संशोधन) नियम, 2021 जो 16 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 492(अ) में प्रकाशित हुए थे।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए), गुड़गांव के वर्ष 2010-2011 से 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत प्रणाली प्रचालनों में संचार प्रणाली के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2020 जो 27 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. संचार मानक/पीसीडी/सीईए में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेंगे:-

(1) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 31 की उप-धारा (3) के अंतर्गत तेल उद्योग (विकास) संशोधन नियम, 2020 जो 22 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 575(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों के लिए समग्रता प्रबंधन प्रणाली) विनियम, 2021 जो 8 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ सं. पीएनजीआरबी/टेक/15-आईएमएसपीपीपीएलआरईजी./(1)/2021-खण्ड (3)(पी-3385) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्कों के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विनिर्देशन) संशोधन विनियम, 2021 जो 8 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. पीएनजीआरबी/टेक/1-टी4एससीजीडी/(1)/2021 (पी-3369) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण) संशोधन विनियम, 2021 जो 8 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ

सं. पीएनजीआरबी/वित्त/8-ओसी(2)/2018 (पी-3270) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्कों को कॉमन कैरियर या कॉन्ट्रैक्ट कैरियर घोषित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत) विनियम, 2020 जो 30 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. पीएनजीआरबी/प्राधि./7-विविध (03)/2015(पी-143) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम, ऑटो एलपीजी और सीएनजी वितरित करने वाले रिटेल आउटलेट्स के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विनिर्देशन) संशोधन विनियम, 2020 जो 18 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. पीएनजीआरबी/टेक/5-टी4एसआरओ/(2)/2020 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्कों को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार के लिए संस्थाओं को प्राधिकृत किया जाना) संशोधन विनियम, 2020 जो 30 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. पीएनजीआरबी/प्राधि./1-सीजीडी/(07)/2020 (पी-884) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण) संशोधन विनियम, 2020 जो 14 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ सं. पीएनजीआरबी/वित्त/8-ओसी(1)/2018 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्कों के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विनिर्देशन) दूसरा संशोधन विनियम, 2020 जो 18 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. पीएनजीआरबी/टेक/1-टी4एससीजीडी/(1)/2020 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (तृतीय पक्ष अनुरूपता आकलन) संशोधन विनियम, 2021 जो 17 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. पीएनजीआरबी/टेक/24-टीपीसीए/(1)/2019 (पी-354) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्कों को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार के लिए संस्थाओं को प्राधिकृत किया जाना) संशोधन विनियम, 2021 जो 8 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. पीएनजीआरबी/प्राधि./1-सीजीडी/(79)/2019 (पी-770) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड [आपात अनुक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना (ईआरडीएमपी) के लिए व्यवहार संहिता] संशोधन विनियम, 2020 जो 18 सितम्बर, 2021 के

भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. पीएनजीआरबी/टेक/19-ईआरडीएमपी/(1)/2020 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क की क्षमता का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2020 जो 30 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. पीएनजीआरबी/टेक/9-सीएपीसीजीडीआरईजी/(1)/2020 (पी-2138) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण) दूसरा संशोधन विनियम, 2020 जो 29 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ सं. पीएनजीआरबी/वित्त/8-ओसी(1)/2018 (पी-836) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन वहन टैरिफ का निर्धारण) चौथा संशोधन विनियम, 2020 जो 29 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. पीएनजीआरबी/3/पीपीपीएल टैरिफ(1)/2012 खण्ड-चार (पी-1018) में प्रकाशित हुए थे।

(पंद्रह) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (गैस एक्सचेंज) विनियम, 2020 जो 29 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. पीएनजीआरबी/टेक/35-गैस एक्सचेंज/(2)/2020 (पी-1687) में प्रकाशित हुए थे।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर**)** ने संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत डीएमआरसी, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दिल्ली मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के फेज-।।। के कार्यान्वयन के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (2021 का संख्यांक 11) - के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

5. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री राजेश वर्मा ने अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

---

*** इन तीन प्रतिवेदनों को अध्यक्ष के निदेश के निदेश 71(क)(एक) के अंतर्गत 4.10.2021 को माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को प्रस्तुत किया गया। माननीय अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।**

(1) "कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) में नियोजन में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय" के बारे में समिति के तीसरे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति (2021-2022) का 12वां प्रतिवेदन।

(2) "राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) में नियोजन में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय" के बारे में समिति के चौथे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति (2021-2022) का 13वां प्रतिवेदन।

(3) शिक्षा मंत्रालय से संबंधित "दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी में प्रवेश और शिक्षकों की नियुक्ति में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय" के बारे में समिति के छठे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति (2021-2022) का 14वां प्रतिवेदन।

6. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन

डॉ. संजीव कुमार शिंगरी ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित सात की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) से संबंधित 'बंद और रूग्ण उर्वरक इकाईयों का पुनरूद्धार' के बारे में समिति के अठारहवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 24वां प्रतिवेदन।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में समिति के 20वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति का 25वां प्रतिवेदन।

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रो रसायन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में समिति के 19वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति का 26वां प्रतिवेदन।

(4) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रो रसायन विभाग) से संबंधित 'आयात और निर्यात सहित पेट्रो रसायनों की मांग और उपलब्धता' के बारे में समिति के सोलहवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 27वां

प्रतिवेदन।

(5) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) की अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में समिति के 21वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति का 28वां प्रतिवेदन।

(6) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) से संबंधित 'प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) की समीक्षा' के बारे में समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 29वां प्रतिवेदन।

(7) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) से संबंधित 'भारत में कोविड-19 टीका उत्पादन की स्थिति' के बारे में समिति के बाईसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 30वां प्रतिवेदन।

7. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती रमा देवी ने 'अनुसूचित जाति के बालकों तथा बालिकाओं के लिए बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई)' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का 26वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराहन 12.12 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) श्री राजेश वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 के सीतापुर से शाहजहांपुर खंड के निर्माण में तेजी लाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री रविन्दर कुशवाहा द्वारा उत्तर प्रदेश की कतिपय जातियों को अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित करने के बारे में।

(3) श्री चुन्नीलाल साहू द्वारा गुरु घासीदास की जन्म वर्षगांठ 18 दिसम्बर को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री सुमेधानन्द सरस्वती ने राजस्थान के सीकर और अन्य जिलों में पेय जल की कमी की गंभीर समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री भोला सिंह द्वारा रेलवे पेंशनधारियों की पेंशन को संशोधित किए जाने के बारे में।

(6) श्री अजय निषाद द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल भूमिगत पारपथों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री मोहन मंडावी द्वारा छत्तीसगढ़ में प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को भरे जाने के बारे में।

(8) श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे द्वारा महाराष्ट्र के लातूर रेलवे स्टेशन पर पिट लाइन के निर्माण हेतु धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल द्वारा मध्य प्रदेश के खरगौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री रतन लाल कटारिया द्वारा अम्बाला रेलवे स्टेशन को एक विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) डॉ. ढालसिंह बिसेन द्वारा मध्य प्रदेश के बालाघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के शिवनी शहर में बार-बार भूकंप का अनुभव किए जाने के बारे में।

(12) श्री सु. थिरुनवुक्करासर द्वारा तमिलनाडु में भारी वर्षा के कारण हुई क्षति के लिए राहत उपाय किए जाने के बारे में।

(13) श्री वी.के. श्रीकंदन द्वारा केरल के पलक्कड़ में एम्स की स्थापना किए जाने के बारे में।

(14) श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत द्वारा तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्याप्त निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्रीमती गोड्डेति माधवी द्वारा अराकू ईको-टूरिज्म सर्किट का विकास किए जाने के बारे में।

(16) श्री विनायक राऊत द्वारा मुम्बई विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि पर स्थापित झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास हेतु जरूरी कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री दिलेश्वर कामैत द्वारा बिहार के सुपौल जिले में त्रिवेणीगंज के रास्ते परसरमा से अररिया जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-327ई के निर्माण के बारे में।

(18) श्री के. सुब्बारायण द्वारा नई श्रमिक संहिताओं का निरसन किए जाने के बारे में।

अपराहन 12.14 बजे

9. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 11 घंटे 01 मिनट

अध्यक्ष ने कोविड-19 महामारी के बारे में टिप्पणी@ की।

तत्पश्चात्, श्री विनायक भाऊराव राऊत ने कोविड-19 महामारी और उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा उठायी।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री रतन लाल कटारिया

(*लोक सभा अपराहन 1.18 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.22 बजे पुन: समवेत हुई।*)

अपराहन 2.22 बजे

2. श्री गौरव गोगोई
3. डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.
4* श्री पी.आर. नटराजन
5* श्री एस.आर. पार्थिबन
6. डॉ. (श्रीमती) काकोली घोष दस्तीदार
7* श्री बालूभाऊ नारायणराव उर्फ सुरेश धानोरकर
8. श्रीमती गोड्डेति माधवी
9. श्री अच्युतानंद सामंत
10* डॉ. गौतम सिगामणि पोन
11. श्री कौशलेन्द्र कुमार
12* श्री गणेशन सेल्वम
13* डॉ. संजय जायसवाल
14. श्री राम शिरोमणि वर्मा
15. डॉ. एस.टी. हसन
16* श्री देवजी एम. पटेल
17. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
18. श्री जगदम्बिका पाल

@मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

19* श्री कनि के. नवास

20. श्री सुरेश कोडिकुन्नील

21. डॉ. एम.पी. अब्दुस्समद समदानि

22* डॉ. राजदीप राय

23. एडवोकेट ए.एम. आरिफ

24. श्री जयदेव गल्ला

25. डॉ. (प्रो.) किरिट पी. सोलंकी

26* श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर

27. श्री कल्याण बनर्जी

28* श्री एस. ज्ञानतिरावियम

29* श्री मुनियन सेल्वराज

30. श्री श्रीकृष्णा देवरायालू लावू

31. श्री के. सुब्बारायण

32* श्री रामचरण बोहरा

33* श्री निहाल चन्द चौहान

34. श्री अधीर रंजन चौधरी

35* श्री धनुष एम. कुमार

36* श्री राजू बिष्ट

37. डॉ. निशिकांत दुबे

38. श्री असादुद्दीन ओवैसी

39. डॉ. डी. रविकुमार

40. श्री राजीव प्रताप रूडी

41* डॉ. कलानिधि वीरास्वामी

42. श्री हनुमान बेनीवाल

43. श्री राहुल रमेश शेवाले

44* श्री गिरीश चन्द्र

45. प्रो. सौगत राय

46. श्रीमती सुप्रिया सुले

47. श्री रितेश पाण्डेय

---

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

48. श्रीमती नवनित रवि राणा

49[*] श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे

50. श्री रामप्रीत मंडल

51. डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखेपाटील

52. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

53. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका

54. श्री पी. रविन्द्रनाथ

55. श्री सी. लालरोसांगा

56. श्रीमती के. अगाथा संगमा

57. श्री थोमस चाजिकाडन

58. डॉ. थोलकाप्पियन तिरुमावलवन

59. प्रो. रीता बहुगुणा जोशी

60. श्री भर्तृहरि महताब

61. श्रीमती शताब्दी राय (बनर्जी)

62. श्रीमती गीता कोडा

63. श्री कुरुवा गोरांतला माधव

64. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे

65∗ श्री संजय सेठ

66∗ श्रीमती चिंता अनुराधा

67. कुंवर दानिश अली

68. डॉ. आलोक कुमार सुमन

69. श्री एल.एस. तेजस्वी सूर्या

70. श्री जुगल किशोर शर्मा

71. श्री जसबीर सिंह गिल

72. श्री शंकर लालवानी

73[*] श्री मनोज किशोरभाई कोटक

74. श्री तापिर गाव

∗ लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

75. श्रीमती प्रतिमा मण्डल

76. श्री एम.वी.वी. सत्यनारायण

77. श्री दुर्गा दास उइके

78. श्री कार्ती चिदंबरम

79. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल

80. श्री रमेश बिधूड़ी

81. श्रीमती अपरूपा पोद्दार

82. श्री भरत राम मारगनी

83. श्री अनिल फिरोजिया

84. श्री दीपक बैज

85. श्री दिलीप शइकीया

86. सुश्री महुआ मोइत्रा

87. श्री भोला सिंह

88. डॉ. वेंकट सत्यवती बीसेट्टी

89. श्रीमती रंजीता कोली

90. डॉ. के. जयकुमार

91. डॉ. अरविंद कुमार शर्मा

92. श्री असित कुमार मल

93. श्रीमती सुनीता दुग्गल

94. श्री खलीलुर रहमान

95. डॉ. अमर सिंह

चर्चा पूरी नहीं हुई।

[$]पूर्वाह्न 12.19 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 3 दिसम्बर, 2021 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह

महासचिव

[$]सभा 3.12.2021 को पूर्वाह्न 12.19 बजे स्थगति हुई

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 3 दिसम्बर, 2021/ 12 अग्रहायण, 1943 (शक)

संख्या 136

पूर्वाहन 11.00 बजे

1. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 81 (83 के साथ युग्मित), 82, और 84 से 86 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 87 से 100 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 921 से 1150 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. **अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी**[%]

अध्यक्ष ने सदस्यों से सभा में शिष्टाचार और गरिमा बनाए रखने की अपील की।

अपराहन 12.01 बजे

4. **अध्यक्ष द्वारा उल्लेख**[*]

अध्यक्ष ने विश्व दिव्यांग दिवस का उल्लेख किया और सभी दिव्यांगजनों को शुभकामनाएं दीं।

अपराहन 12.03 बजे

5. **अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी**[*]

अध्यक्ष ने पीठासीन अधिकारियों की गरिमा के बारे में टिप्पणी की।

[%] पूर्वाहन 11.43 बजे की गई। मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

[*] मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

अपराह्न 12.06 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विदेश मंत्री (डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर) निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 से 2019-2020 तक के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 से 2019-2020 तक के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 36 के अंतर्गत भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (शुल्कों और प्रभारों का उद्ग्रहण और संग्रहण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, जो 10 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. आईडब्ल्यूएआई-230184(14)/1/2021 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 की धारा 47 की उपधारा 2 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या आईएमयू/एचक्यू/एडीएम/अधिसूचना/2019/02, जो 18 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई

थी तथा जो कैंपस निदेशक के पद के लिए भर्ती नियम, विभाग प्रमुख के कर्तव्य और पीएच.डी विनियमन से संबंधित है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस.पी. सिंह बघेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भारत, भोपाल के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भारत, भोपाल के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) नोटरी अधिनियम,1952 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) का.आ. 3191 (अ) जो 3 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में दो और अधिकारियों नामत: श्री टी.के. मलिक, डीएलए और श्री प्रवीण श्रीवास्तव, डीएलए को केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले नोटरी के संबंध में नोटरी नियम, 1956 के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

(दो) नोटरी (तीसरा संशोधन) नियम, 2019 जो 6 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 821(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) नोटरी (संशोधन) नियम, 2021 जो 25 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 341(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (दूसरा संशोधन) नियम, 2021, जो दिनांक 4 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 531(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अंतर्गत नौसेना अनुष्ठानिक, सेवा शर्तें और प्रकीर्ण (संशोधन) विनियम, 2021, जो दिनांक 24 जुलाई, 2021 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. का.नि.आ. 26 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण

की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) भारतीय परिचर्या वृत्ति परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) भारतीय परिचर्या वृत्ति परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय परिचर्या वृत्ति परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मंगलागिरी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मंगलागिरी के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) निम्नलिखित केन्द्रों के संबंध में वर्ष 2020-2021 के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे:-

(एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (सांख्यिकी विभाग, पटना विश्वविद्यालय), पटना।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (सामान्य और अनुप्रयुक्त भूगोल विभाग, डॉ. हरीसिंह गौड़ विश्वविद्यालय), सागर।

(तीन) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (आंध्र विश्वविद्यालय), विशाखापट्टनम।

(चार) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान), बैंगलौर।

(पांच) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (पंजाब विश्वविद्यालय), चंडीगढ़।

(छह) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (सांख्यिकी विभाग, विज्ञान संकाय, महाराजा सयाजीराव बड़ौदा विश्वविद्यालय), वडोदरा।

(सात) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (गौहाटी विश्वविद्यालय), गुवाहाटी।

(आठ) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (ग्रामीण और औद्योगिक विकास अनुसंधान केंद्र), चंडीगढ़।

(नौ) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनोमिक्स), पुणे।

(दस) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय), शिमला।

(ग्यारह) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (कश्मीर विश्वविद्यालय), श्रीनगर।

(बारह) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय), उदयपुर।

(तेरह) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण न्यास संस्थान), गांधीग्राम।

(चौदह) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय), लखनऊ।

(10) वर्ष 2020-2021 के लिए उपर्युक्त मद संख्या (9) में उल्लिखित जनसंख्या अनुसंधान केंद्रों के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) एचएलएल मेडीपार्क लिमिटेड, तिरूवनन्तपुरम के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एचएलएल मेडीपार्क लिमिटेड, तिरूवनन्तपुरम का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) एचएलएल मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिस्टल लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एचएलएल मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिस्टल लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड, तिरूवनन्तपुरम के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड, तिरूवनन्तपुरम का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) गोवा एंटीबायटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, परनेम के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा एंटीबायटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, परनेम का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ.) (एक) एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विसेस लिमिटेड, तिरूवनन्तपुरम के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विसेस लिमिटेड, तिरूवनन्तपुरम का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) एचएलएल बायोटेक लिमिटेड, तिरुवनन्तपुरम के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एचएलएल बायोटेक लिमिटेड, तिरुवनन्तपुरम का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले छह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) भारतीय परिचर्या वृत्ति परिषद अधिनियम, 1947 की धारा 16 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय परिचर्या वृत्ति परिषद (बीएससी, के लिए संशोधित विनियम और पाठ्यचर्या) (परिचर्या वृत्ति कार्यक्रम) विनियम, 2020, जो 5 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 11-1/2019-आईएनसी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय परिचर्या वृत्ति परिषद (परिषद द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयें में परिचर्या वृत्ति कार्यक्रम में पीएचडी शुरू करने के लिए दिशानिर्देश) विनियम, 2020, जो 6 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 11-1/2019-आईएनसी में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय परिचर्या वृत्ति परिषद (ऑन्कोलॉजी विशेषज्ञता परिचर्या वृत्ति में पोस्ट बेसिक डिप्लोमा - रेजीडेंसी कार्यक्रम) विनियम, 2020, जो 22 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 11-1/2019-आईएनसी में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय परिचर्या वृत्ति परिषद {स्वैच्छिक आधार पर सामान्य परिचर्या वृत्ति और मिडवाईफरी (जीएनएम) पाठ्यक्रम को बीएससी (परिचर्या वृत्ति) पाठ्यक्रम में अपग्रेड करने के लिए दिशा निर्देश/मानदण्ड} विनियम, 2020, जो 6 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना

संख्या एफ.सं. 1-5/एसईएल/2019-आईएनसी में प्रकाशित हुए थे।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 58 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, स्वायत्त बोर्ड (चौथे सदस्य की नियुक्ति की रीति और वेतन, भत्ते तथा सेवा के निबंधन एवं शर्तें, और परिसंपत्तियों की घोषणा, अध्यक्ष एवं सदस्यों का व्यावसायिक और वाणिज्यिक नियोजन) विनियम, 2021 जो 20 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 282(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (सदस्यों की नियुक्ति तथा नामनिर्देशन की रीति, उनका वेतन, भत्ते तथा सेवा के निबंधन एवं शर्तें, और परिसंपत्तियों की घोषणा, व्यावसायिक और वाणिज्यिक नियोजन) संशोधन नियम, 2021 जो 20 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 283(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) का.आ. 2008(अ) जो 24 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो अध्यक्ष, आयुर्विज्ञान आकलन और रेटिंग बोर्ड तथा अध्यक्ष आचार नीति एवं आयुर्विज्ञान रेटिंग बोर्ड की नियुक्ति के बारे में है।

(चार) का.आ. 2036(अ) जो 28 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो सचिव, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की नियुक्ति के बारे में है।

(16) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) चौदहवां संशोधन विनियम, 2018 जो 20 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. मानक/एफएंडवीपी/अधिसूचना(04)/एफएसएसएआई-2016 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 जो 24 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. 1-95/मानक/पैकेजिंग/एसपी/(एलएण्डसी/ए)/एफएसएसएआई-2017 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पादों का सुदृढ़ीकरण) दूसरा संशोधन विनियम, 2021 जो 22 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. 1-116/वैज्ञानिक समिति/अधिसूचना28.6/2010-एफएसएसएआई में प्रकाशित हुए थे।

(चार) खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) पहला संशोधन विनियम, 2018 जो 24 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. आरईजी/11/27/बीईवीओ-लेबलिंग/एफएसएसएआई-2018 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) पांचवां संशोधन विनियम, 2019 जो 29 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एमएण्डएमपी/विविध मानक/अधिसूचना(03)/एफएसएसएआई-2018 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) तीसरा संशोधन विनियम, 2021 जो 26 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. 1-116/वैज्ञानिक समिति/अधिसूचना28.4/2010-एफएसएसएआई(1) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) खाद्य सुरक्षा और मानक (स्वास्थ्य अनुपूरक, न्यूट्रास्यूटिकल्स, विशेष आहार उपयोग के लिए खाद्य, विशेष चिकित्सा उपयोग के लिए खाद्य, फंक्शनल फूड और नोवल फूड) पहला संशोधन विनियम, 2021 जो 6 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. मानक/03/अधिसूचना(न्यूट्रा/एफएसएसएआई-2017 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) चौथा संशोधन विनियम, 2021 जो 3 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. 1-116/वैज्ञानिक समिति/अधिसूचना28.4/2010-एफएसएसएआई(1)(भाग च) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) पहला संशोधन विनियम, 2021 जो 13 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. मानक/एसपी-08/ए-1.2019/एन-02 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) पहला संशोधन विनियम, 2021 जो 3 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. 4067/एमओसी-व्यापार/आरईजी - एफएसएसएआई/2017(भाग-1) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) खाद्य सुरक्षा और मानक (जैविक खाद्य उत्पाद) पहला संशोधन विनियम, 2021 जो 14 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. मानक/जैविक/अधिसूचना-01/एफएसएसएआई-2019 में प्रकाशित हुए थे।

(17) उपर्युक्त (16) की मद सं. (एक) और (पांच) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री (डामुंजपरा . महेन्द्रभाई) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे -:

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक-प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(i) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा के वर्ष 2019-2020 के

कार्यकरण के सरकार द्वारा समीक्षा।

(ii) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (i) नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन, पासीघाट के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ii) नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन, पासीघाट के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (i) सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ii) सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (i) चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(iii) चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 4 की उप-धारा (5) के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते और सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2021 जो 4 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 532 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) आय्रुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2021 की धारा 27 के अंतर्गत आय्रुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान नियम, 2021 जो 3 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 387 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत ओषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) नियम, 2021 जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 202 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

7. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का विवरण

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत ने "महिलाओं के लिए योग और खेल सुविधाएं" विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2018-19) के चौदहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (2019-20) के पहले प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय एक और अध्याय पाँच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

8. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. राजदीप राय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) "कोविड-19 महामारी का प्रकोप और उसका प्रबंधन" के बारे में समिति के 123वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 130वां प्रतिवेदन।

(2) आयुष मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2021-22 (मांग संख्या 4) के बारे में समिति के 128वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 131वां प्रतिवेदन।

(3) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों 2021-22 (मांग संख्या 45) के बारे में समिति के 127वें प्रतिवेदन अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 132वां प्रतिवेदन।

9. मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट) की ओर से रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'सामान्य रक्षा बजट, बीआरओ, आईसीजी, एमईएस, डीजीडीई, डीपीएसयू, सीएसडी, भूतपूर्व सैनिक कल्याण, ईसीएचएस, रक्षा पेंशन और सैनिक स्कूल (मांग सं. 18, 19, 20 और 21)' के बारे में वर्ष 2020-21 के लिए अनुदानों की मांगों पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.09 बजे

10. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सोमवार, 6 दिसम्बर, 2021 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य दिया।

11. अनुदानों की अनुपूरक मांगे

श्री पंकज चौधरी ने श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से वर्ष 2021-2022 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों - दूसरा बैच को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.14 बजे

12. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021

श्री सुरेश कोडिकुन्नील, प्रो. सौगत राय, डॉ. शशि थरूर, श्री अधीर रंजन चौधरी और श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन ने विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगे।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

13. अध्यादेश के बारे में विवरण - सभा पटल पर रखा गया

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 9) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

अपराह्न 12.31 बजे

14. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2021

श्री गौरव गोगोई, डॉ. शशि थरूर, प्रो. सौगत राय, श्री अधीर रंजन चौधरी और श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन ने विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगे।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

***अपराह्न 12.39 बजे**

15. अध्यादेश के बारे में विवरण

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 10) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

(लोक सभा अपराह्न 1.33 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.34 बजे पुन: समवेत हुई।)

* अपराह्न 12.40 बजे से अपराह्न 1.33 बजे तक सदस्यों ने अवलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

[&]16. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी*

अध्यक्ष ने नियम 377 के अधीन अनुमोदित मामलों को सभा पटल पर रखे जाने के बारे में एक टिप्पणी* की।

[&]17. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) श्री एम. के. राघवन द्वारा कोझीकोड, केरल में एम्स जैसे संस्थान की स्थापना किए जाने के बारे में।

(2) श्री सप्तगिरी शंकर उलाका द्वारा ओडिशा में केन्द्रीय सड़क निधि के तहत कोलाब जलाशय के ऊपर सड़क का निर्माण करने के बारे में।

(3) डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. द्वारा कावेरी नदी के ऊपर पुलों का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता के बारे में।

(4) डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती द्वारा राज्य सरकार की निवल उधारी उपरिसीमा (नेट बोरोईंग सीलिंग) के बारे में।

(5) एडवोकेट ए.एम. आरिफ़ द्वारा कुछ केन्द्रीय विद्यालयों को प्रोजेक्ट सेक्टर से सिविल सेक्टर में बदलने के बारे में।

(6) श्री पी. रविन्द्रनाथ द्वारा तमिलनाडु में अतिवर्षा से प्रभावित किसानों और अन्य को अंतरिम सहायता देने के बारे में।

अपराह्न 2.35 बजे

18. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 12 घंटे 26 मिनट

श्री विनायक भाऊराव राऊत द्वारा 2 दिसम्बर, 2021 को कोविड-19 महामारी और उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में उठाई गई चर्चा पर आगे बहस जारी रही।

[&] अपराह्न 2.39 बजे।

[*] मूल हिन्दी में। ब्यौरे के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

अध्यक्ष ने कोविड-19 महामारी पर चर्चा में सदस्यों के भाग लेने के संबंध में टिप्पणी[#] की।

निम्नलिखित सदस्यों ने अपने लिखित भाषण सभा पटल पर रखे:-

1. श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ
2. श्रीमती रंजनबेन भट्ट

[*]श्री मनसुख मांडविया ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

अपराह्न 4.01 बजे

19. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक- पुरःस्थापित

1. श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 124क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)
2. श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य का धर्म संपरिवर्तन (प्रतिषेध) विधेयक, 2019
3. श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य का *संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (नई धारा 14क का अंतःस्थापन, आदि)*
4. श्री अधीर रंजन चौधरी, संसद सदस्य का *पश्चिम बंगाल राज्य विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2019*
5. श्री एम. के. राघवन, संसद सदस्य का एम्बुलेन्स चालक एवं सहायक (कल्याण) विधेयक, 2021
6. श्री एम. के. राघवन, संसद सदस्य का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2021 (धारा 61 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)
7. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन, संसद सदस्य का *लोक सभा (प्रशासन) विधेयक, 2019*
8. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन, संसद सदस्य का *आशा कार्यकर्ता (सेवा और अन्य प्रसुविधाओं का नियमितीकरण) विधेयक, 2020*
9. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन, संसद सदस्य का *नागरिकता संशोधन) विधेयक, 2020 (धारा 2 का संशोधन, आदि)*
10. श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य का *संपर्क-विच्छेद का अधिकार विधेयक, 2019*
11. श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य का *पूर्व -विधायी परामर्श विधेयक, 2019*
12. श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य का *निजी क्षेत्र में सूचना प्रदाता (संरक्षण) विधेयक, 2020*
13. श्री विनायक राऊत, संसद सदस्य का *तटीय क्षेत्रों में लाइट फिशिंग पर पूर्ण प्रतिषेध और मात्स्यिकी की पारंपरिक तकनीक का संरक्षण और विकास विधेयक, 2019*
14. श्री विनायक राऊत, संसद सदस्य का तटीय क्षेत्रों में उद्यान-कृषि फसल, ताजे जल की फसल और लवणीय जल की फसल (न्यूनतम समर्थन मूल्य) विधेयक, 2020
15. एडवोकेट डीन कुरियाकोस, संसद सदस्य का *मसाले (लाभकारी समर्थन मूल्य) विधेयक, 2019*
16. एडवोकेट डीन कुरियाकोस, संसद सदस्य का *यातना तथा अत्याचार निवारण (लोक सेवकों द्वारा) विधेयक, 2019*
17. एडवोकेट डीन कुरियाकोस, संसद सदस्य का *वन्यजीवों के हमलों के पीड़ितों को प्रतिकर का संदाय विधेयक,* 2021
18. श्री मनीश तिवारी, संसद सदस्य का *आसूचना सेवा (शक्तियां और विनियमन)* विधेयक, 2019
19. श्री मनीश तिवारी , संसद सदस्य का *संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (दसवीं अनुसूची का संशोधन)*

[#] मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

[*] स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्री।

20. श्री मनीश तिवारी , संसद सदस्य का *संविधान (संशोधन) विधेयक*, 2021 *(अनुच्छेद 80 का संशोधन, आदि)*

21. डॉ॰ शशि थरूर, संसद सदस्य का *कानूनी कार्रवाई के बिना दंड देने से संरक्षण विधेयक, 2020*
22. डॉ॰ शशि थरूर, संसद सदस्य का *राज्य की राजधानियों में उच्च न्यायालयों की स्थायी न्यायपीठों की स्थापना विधेयक, 2019*
23. डॉ॰ शशि थरूर, संसद सदस्य का *डाटा एकांतता और संरक्षण विधेयक, 2019*
24. श्री गौरव गोगोई, संसद सदस्य का *संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (नए अनुच्छेद 26क का अतःस्थापन)*
25. श्री गौरव गोगोई, संसद सदस्य का *वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2019 (धारा 5 का संशोधन, आदि)*
26. डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखे पाटील, संसद सदस्य का *केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019(नई धारा 3ङ का अंतःस्थापन, आदि)*
27. डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखे पाटील, संसद सदस्य का *सरकारी स्थापनों और विद्यालयों में वर्षाजल का अनिवार्य संचयन विधेयक, 2019*
28. डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखे पाटील, संसद सदस्य का *संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (नए अनुच्छेद 21ख का अंतःस्थापन)*
29. श्री हिबी ईडन, संसद सदस्य का *संविधान (संशोधन) विधेयक, 2020 (अनुच्छेद 39क का संशोधन)*
30. श्री हिबी ईडन, संसद सदस्य का *भारत का उच्चतम न्यायालय (एर्नाकुलम, मुंबई और कोलकाता में सर्किट न्यायपीठों की स्थापना) विधेयक, 2020*
31. श्री धैर्यशील संभाजी राव माणे, संसद सदस्य का *वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2019 (धारा 2 और 9 का संशोधन)*
32. श्री धैर्यशील संभाजी राव माणे, संसद सदस्य का *कपास उत्पादक (कल्याण) विधेयक, 2019*
33. श्री धैर्यशील संभाजी राव माणे, संसद सदस्य का *संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (7वीं अनुसूची का संशोधन)*
34. डॉ. टी. सुमति (ए.) तामिझाची थंगापंडियन, संसद सदस्य का *कामकाजी महिला (मूलभूत सुविधाएं एवं कल्याण) विधेयक, 2019*
35. डॉ. टी. सुमति (ए.) तामिझाची थंगापंडियन, संसद सदस्य का *मलिन बस्ती और झुग्गी-झोंपड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता विधेयक, 2019*
36. डॉ. टी. सुमति (ए.) तामिझाची थंगापंडियन, संसद सदस्य का *कलाकार कल्याण विधेयक, 2019*
37. श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ, संसद सदस्य का *अनाथ और लावारिस बालक (कल्याण) विधेयक, 2020*
38. श्री कृपाल तुमाने, संसद सदस्य का *संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (अनुच्छेद 72 का संशोधन)*
39. श्री कृपाल तुमाने, संसद सदस्य का *एक-समान नागरिक संहिता विधेयक, 2019*
40. श्री कृपाल तुमाने, संसद सदस्य का *अनिवार्य मतदान विधेयक, 2019*
41. श्री ई॰ टी॰ मोहम्मद बशीर, संसद सदस्य का *स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2020 (धारा 2 का संशोधन, आदि)*
42. श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी, संसद सदस्य का *संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (नई धारा 300ख का अंतःस्थापन)।*

43. श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी, संसद सदस्य का *राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2020 (धारा 2 का संशोधन)*

44. श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी, संसद सदस्य का *संविधान (संशोधन) विधेयक, 2020 (अनुच्छेद 312 का संशोधन)*

45. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालु, संसद सदस्य का *भारतीय सुखाचार (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 15 का संशोधन, आदि)*

46. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालु, संसद सदस्य का *लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2019(नई धारा 127ख का अंतःस्थापन)*

47. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायाल, संसद सदस्य का *पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति (संशोधन) विधेयक, 2019(धारा 2 का संशोधन, आदि)*

48. श्री एंटो एन्टोनी, संसद सदस्य का *संविधान (संशोधन) विधेयक, 2020(नए अनुच्छेद 14 क का अंतःस्थापन)*

49. श्री एंटो एन्टोनी, संसद सदस्य का *दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2020 (नई धारा 18 क का अंतःस्थापन)*

50. श्री राजीव प्रताप रूडी, संसद सदस्य का *मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 2 का संशोधन, आदि)*
51. श्री राजीव प्रताप रूडी, संसद सदस्य का *वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2019 (नई धारा 28क, 28ख, 28ग, 28घ तथा 28ङ का अंतःस्थापन)*

52. श्री राजीव प्रताप रूडी, संसद सदस्य का *संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (7वीं और 12वीं अनुसूची का संशोधन)*

53. श्री गिरीश भालचंद्र बापट, संसद सदस्य का आयुर्वेदिक उपचार के लिए बीमा कवरेज विधेयक, 2021

54. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, संसद सदस्य का *राष्ट्रीय महिला किसान आयोग विधेयक, 2019*

55. श्री श्रीरंग आप्पा बारण, संसद सदस्य का *नियोजन अभिकरण (विनियमन) विधेयक, 2019*

56. ***श्री* श्रीरंग आप्पा वारणे,** संसद सदस्य का *राष्ट्रीय खेल विकास आयोग विधेयक, 2019*

57. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका, संसद सदस्य का *संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2019 (अनुसूची का संशोधन)*

58. **श्री सप्तगिरि शंकर उलाका,** संसद सदस्य का *ओडिशा राज्य के के बी के-के क्षेत्र को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2020*

59. **श्री टी.एन. प्रथापन,** संसद सदस्य का *एक वृक्ष प्रति शिशु मानक प्रोत्साहन विधेयक, 2020*

60. **सुश्री एस. जोतिमणि,** संसद सदस्य का *ऋतुस्राव संबंधी स्वास्थ्य और सवैतनिक अवकाश का अधिकार विधेयक, 2019*

61. **सुश्री एस. जोतिमणि,** संसद सदस्य का *पितृत्व प्रसुविधा विधेयक, 2019*

62. **डॉ॰ टी॰ आर॰ पारिवेन्धर,** संसद सदस्य का *संविधान (संशोधन) विधेयक, 2020 (अनुच्छेद 326 का संशोधन)*

63. **डॉ॰ टी॰ आर॰ पारिवेन्धर,** संसद सदस्य का *संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (लोक सभा) विकास निधि विधेयक, 2020*

64. **श्री राहुल शेवाले,** संसद सदस्य का *वन्यजीव गलियारे विधेयक, 2019*

65. **श्री राहुल शेवाले,** संसद सदस्य का *खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 19 का संशोधन)*

66. **श्री राहुल शेवाले,** संसद सदस्य का *मानव दुर्व्यापार (निवारण) विधेयक, 2019*

67. **डॉ॰ संजय जायसवाल,** संसद सदस्य का *बाल विवाह प्रतिषेध* (संशोधन) विधेयक, *2019 (धारा 2 का* संशोधन, *आदि)।*

68. **डॉ॰ संजय जायसवाल,** संसद सदस्य का *उपभोक्ता संरक्षण*(संशोधन) विधेयक, *2019 (धारा 2 का* संशोधन*)।*

69. **डॉ॰ संजय जायसवाल,** संसद सदस्य का *नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2020 (धारा 12 का संशोधन)*

70. **श्री पी.पी. चौधरी,** संसद सदस्य का *संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019(अनुच्छेद 16 का संशोधन)*

71. **श्री पी.पी. चौधरी,** संसद सदस्य का *संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (अनुच्छेद 12 का संशोधन)*

72. **श्री पी.पी. चौधरी,** संसद सदस्य का *संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (7वीं अनुसूची का संशोधन)*

73. **श्री प्रद्युत बोरदोलोई,** संसद सदस्य का *दोहरा समय-परिक्षेत्र विधेयक , 2020*

74 **श्री थॉमस चाजिकाडन,** संसद सदस्य का *पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक,* 2021 *(नई धारा 39क का अंतःस्थापन)*

75. श्री सुनील कुमार सिंह, संसद सदस्य का राष्ट्रीय पर्यटन (सतत् विकास और संवर्धन) विधेयक, 2019

76. श्री सुनील कुमार सिंह, संसद सदस्य का वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयों की स्थापना विधेयक, 2019

77. श्री सुनील कुमार सिंह, संसद सदस्य का भिक्षावृत्ति निवारण विधेयक, 2019

78. श्री रितेश पाण्डेय, संसद सदस्य का अनिवार्य जल संरक्षण और पुनर्भरण विधेयक, 2019
79. श्री रितेश पाण्डेय, संसद सदस्य का राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा क्रेडिट सहायता विधेयक, 2021
80. श्री रमेश बिधूड़ी, संसद सदस्य का बेरोजगार स्नातकोत्तरों को वित्तीय सहायता विधेयक, 2019
81. श्री रमेश बिधूड़ी, संसद सदस्य का शैक्षिक संस्थाओं में नैतिक शिक्षा पाठ्य-पुस्तक के रूप में भगवद्गीता का अनिवार्य शिक्षण, 2019
82. श्री श्याम सिंह यादव, संसद सदस्य का राष्ट्रीय किसान कल्याण आयोग विधेयक, 2019
83. डॉ. निशिकांत दुबे, संसद सदस्य का पवित्र शहर देवधर (सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण) विधेयक, 2019
84. डॉ. निशिकांत दुबे, संसद सदस्य का कृषकों के परिवारों का संरक्षण विधेयक, 2019
85. डॉ. निशिकांत दुबे, संसद सदस्य का युवक (विकास और कल्याण) विधेयक, 2019
86. श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)
87. श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, संसद सदस्य का आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में विशेष अवसंरचना विकास विधेयक, 2019
88. श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, संसद सदस्य का इलाहाबाद उच्च न्यायालय (महोबा में एक स्थायी न्यायापीठ की स्थापना) विधेयक, 2019
89. श्री राजेन्द्र अग्रवाल, संसद सदस्य का संस्कृत भाषा का संवर्धन विधेयक, 2019
90. श्री राजेन्द्र अग्रवाल, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (नई धारा 123क का अंत:स्थापन)
91. श्री राजेन्द्र अग्रवाल, संसद सदस्य का राष्ट्रीय तीर्थयात्रा निधि विधेयक, 2019
92. डॉ. डी. रविकुमार, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2021 (अनुच्छेद 129 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन, आदि)
93. डॉ. डी. रविकुमार, संसद सदस्य का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2021 (धारा 62 का संशोधन)

94. डॉ. डी. रविकुमार, संसद सदस्य का भारतीय साक्ष्य (संशोधन) विधेयक, 2021 (नई धारा 114कक का अंतःस्थापन)
95. डॉ. थोल तिरुमावलवन, संसद सदस्य का *संविधान (संशोधन) विधेयक, 2020 (अनुच्छेद 124 का संशोधन, आदि।)*
96. डॉ. थोल तिरुमावलवन, संसद सदस्य का संविधान की पाँचवीं अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 2020
97. डॉ. थोल तिरुमावलवन, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2021 (अनुच्छेद 55 का संशोधन, आदि)
98. डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद, संसद सदस्य का *संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (नई धारा 47क का अंतःस्थापन, आदि)*
99. डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद, संसद सदस्य का *भारत का उच्चतम न्यायालय (चेन्नई में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2020*
100. श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल', संसद सदस्य का *संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (नए अनुच्छेद 21ख का अंतःस्थापन)*
101. श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल', संसद सदस्य का *समुद्रपारीय कर्मकार (प्रबंध और कल्याण) विधेयक, 2019*
102. श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल', संसद सदस्य का *ग्रामीण श्रमिक कल्याण निधि विधेयक, 2019*

103. श्री विष्णु दयाल राम, **संसद सदस्य का** *जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, 2019*

104. श्री विष्णु दयाल राम, **संसद सदस्य** *बाल-विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 2 का संशोधन)।*

105. श्री विष्णु दयाल राम, **संसद सदस्य का** *संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (7वीं अनुसूची का संशोधन)*

106. श्रीमती रमा देवी, **संसद सदस्य का** *राष्ट्रीय महिला किसान आयोग विधेयक, 2019*

107. श्रीमती रमा देवी, **संसद सदस्य का** *महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2019 (अनुसूची 1 का संशोधन)*

108. श्री सुशील कुमार सिंह, **संसद सदस्य का** *जनसंख्या (स्थिरीकरण और योजना) विधेयक, 2019*

109. श्री कुलदीप राय शर्मा, **संसद सदस्य का** *अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के विद्यालयों में अनिवार्य खेल और शारीरिक शिक्षा एवं अवसंरचना का विकास विधेयक, 2019*

110. श्री कुलदीप राय शर्मा, **संसद सदस्य का** *संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019(नए अनुच्छेद 239 ग का अंतःस्थापन)*

111. श्री कुलदीप राय शर्मा, **संसद सदस्य का** *अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के सरकारी स्थापनाओं में पदों का आरक्षण विधेयक, 2019*

112. **श्री देवजी एम. पटेल, संसद सदस्य का** ***विशेष पेयजल एवं सिंचाई विकास निधि (डार्क जोन क्षेत्र)*** *विधेयक, 2019*

113. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल, **संसद सदस्य का** *बेरोजगार युवा (भत्ते तथा रोजगार के अवसर) विधेयक, 2019*

114. श्री प्रवेश साहिब सिंह, **संसद सदस्य का** *खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2019(धारा 50 का संशोधन, आदि)*

115. श्री प्रवेश साहिब सिंह, **संसद सदस्य का** *विदेशी मूल के व्यक्तियों की निरर्हता विधेयक, 2019*

116. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल, **संसद सदस्य का** *महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 22 का संशोधन, आदि)*

117. श्री प्रवेश साहिब सिंह, **संसद सदस्य का** *दिल्ली सीलिंग का निवारण विधेयक, 2019*

118. डॉ॰ आलोक कुमार सुमन, संसद सदस्य का *बाढ़ और सूखा नियंत्रण विधेयक, 2019*

119. श्री सुशील कुमार सिंह, **संसद सदस्य का** *लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 62 का संशोधन)*

120. श्री सुशील कुमार सिंह, **संसद सदस्य का** *संविधान (संशोधन) विधेयक, 2020 (अनुच्छेद 21 क का संशोधन)*

121. श्री अब्दुल खालेक, **संसद सदस्य का** *असम राज्य में संदिग्ध मतदाता (विशेष उपबंध) विधेयक, 2020*

122. डॉ. आलोक कुमार सुमन, **संसद सदस्य का** *रोजगार विधेयक, 2020*

123. डॉ. आलोक कुमार सुमन, **संसद सदस्य का** *जनसंख्या विनियमन विधेयक, 2020*

124. श्री श्याम सिंह यादव, **संसद सदस्य का** *श्रम (कल्याण और पुनर्वास) विधेयक, 2020*

125. श्री श्याम सिंह यादव, **संसद सदस्य का** *संविधान (संशोधन) विधेयक, 2020 (अनुच्छेद 15 और 16 का संशोधन)*

126. श्री गणेश सिंह, संसद सदस्य का *निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण विधेयक, 2020*

127. श्री गणेश सिंह, संसद सदस्य का *निजी शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रवेश में आरक्षण विधेयक, 2020*

128. श्री ए. गणेशमूर्ति, संसद सदस्य का *संविधान (संशोधन) विधेयक, 2020 (अनुच्छेद 120 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)*

129. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल, संसद सदस्य का *बेरोजगार युवा (भत्ते तथा रोजगार के अवसर) विधेयक, 2019*

130. श्री कार्ती पी॰ चिदम्बरम, संसद सदस्य का *बाल-विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2020 (धारा 2 का संशोधन)।*

131. डॉ॰ रमापति राम त्रिपाठी, संसद सदस्य का *ग्रामीण श्रमिक (कल्याण) विधेयक, 2020।*

132. डॉ॰ रमापति राम त्रिपाठी, संसद सदस्य का *राष्ट्रीय अपशिष्ट प्रबंधन परिषद विधेयक, 2020।*

133. श्री गणेश सिंह, संसद सदस्य का *महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (अनुसूची 1 का संशोधन)*

134. डॉ॰ मोहम्मद जावेद, संसद सदस्य का *सौर संयंत्रों का अनिवार्य संस्थापन विधेयक, 2021*

135. डॉ॰ मोहम्मद जावेद, संसद सदस्य का *पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) विधेयक, 2021 (धारा 11 का संशोधन)*

136. डॉ. मोहम्मद जावेद, संसद सदस्य का *दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2021(अनुसूची का संशोधन)*

137. श्री अनुभव मोहंती, संसद सदस्य का *लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2021 (धारा 11 का संशोधन)*

138. श्री अनुभव मोहंती, संसद सदस्य का *पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) विधेयक, 2021 (धारा 11 का संशोधन)*

139. श्री अनुभव मोहंती, संसद सदस्य का *दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 (धारा 41 और 309 का संशोधन)*

140. श्री भोला सिंह, संसद सदस्य का ठूँठ का प्रबंधन और नियंत्रण विधेयक, 2021

141. श्री भोला सिंह, संसद सदस्य का जनसंख्या (नियंत्रण और प्रबंधन) विधेयक, 2021

142. श्री जयंत सिन्हा, संसद सदस्य का *जलवायु परिवर्तन (नेट जीरो कार्बन) विधेयक, 2021*

143. श्री जयंत सिन्हा, संसद सदस्य का *प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2020 (नई धारा 2क का अंतःस्थापन)*

144. श्री जयंत सिन्हा, संसद सदस्य का *निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 11 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)*

145. श्री कनुमुरू रघु राम कृष्ण राजू, संसद सदस्य का *कृषकों और कृषि श्रमिकों को नकद सहायकी का संदाय विधेयक, 2019*

अपराह्न 5.41 बजे

20. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक - विचाराधीन
अनिवार्य मतदान विधेयक, 2019

श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल' द्वारा 12.07.2019 को पेश किए गए विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री पी.पी. चौधरी
2. श्री टी.एन. प्रथापन (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 6.01 बजे

(लोक सभा सोमवार, 6 दिसम्बर, 2021 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 6 दिसम्बर, 2021/ 15 अग्रहायण, 1943 (शक)

संख्या 137

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. सदस्यों द्‌वारा निवेदन

श्री अधीर रंजन चौधरी तथा श्री सुदीप बंदोपाध्याय ने नागालैण्ड में नागरिकों की तथाकथित हत्याओं के बारे में निवेदन किया।

*श्री प्रहलाद जोशी ने उत्तर दिया।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

2. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 101-107 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 108-120 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 1151-1380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. #**अध्यक्ष द्‌वारा निदेश**

अध्यक्ष ने निदेश दिया कि सदस्यों को मूल प्रश्न से सीधे संबंधित पूरक प्रश्न पूछने चाहिए।

---

* संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) ।

#अपराह्न 11.50 बजे। मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

अपराह्न 12.02 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-20 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के कार्यकरण और प्रशासन के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 241 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 30 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2021-22/जीएन/आरईजी 078 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 30 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2021-22/जीएन/आरईजी 079 में प्रकाशित हुए थे।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) ने राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2011-2012 से 2013-2014 तक के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत किशनराव कराड़) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 29 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केन्द्र प्राधिकरण (प्रतिभूतियों को जारी करना और सूचीयन) विनियम, 2021 जो 19 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीएस/2021-22/जीएन/आरईजी015 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केन्द्र प्राधिकरण (बीमा व्यवसाय का पंजीकरण) विनियम, 2021 जो 20 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीएस/2021-22/जीएन/आरईजी016 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केन्द्र प्राधिकरण (बीमा मध्यवर्ती) विनियम, 2021 जो 20 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीएस/2021-22/जीएन/आरईजी017 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केन्द्र प्राधिकरण (पूंजी बाजार-मध्यवर्ती) विनियम, 2021 जो 20 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीएस/2021-22/जीएन/आरईजी018 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) का.आ.4246(अ) जो 14 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की पहली अनुसूची को संशोधित किया गया है।

(2) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ((हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एक रुपया, दो रुपया, पांच रुपया, दस रुपया और बीस रुपया सिक्का निर्माण नियम, 2021 जो दिनांक 8 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 783(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सिक्का निर्माण (हार्कोर्ट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय कानपुर के शताब्दी समारोह मनाने के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2021 जो दिनांक 18 नवंबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 806 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) जो प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के उपबंधों के बारे में स्पष्टीकरण के सबंध में दिनांक 23 मार्च, 2021 के परिपत्र संख्या 2021 का 4 की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(4) का.आ.1432 (अ) जो 31 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों में छूट) अधिनियम, 2020 के अंतर्गत घोषणा को दाखिल करने के लिए तिथि को अधिसूचित किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(5) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी

तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आयकर (20वां संशोधन) नियम, 2021 जो 27 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 509(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (22वां संशोधन) नियम, 2021 जो 9 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 545(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (23वां संशोधन) नियम, 2021 जो 10 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 551(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) आयकर (24वां संशोधन) नियम, 2021 जो 18 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 578(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आयकर (25वां संशोधन) नियम, 2021 जो 31 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 604(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का.आ. 3561(अ) जो 1 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा अग्रिम विनिर्णय देने के प्रयोजन के लिए 3 अग्रिम विनिर्णय बोर्डों का गठन किया गया हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का.आ. 3562(अ) जो 1 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा आवेदन दायर करने के प्रयोजन के लिए दिनांक 01.09.2021 को नियत किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) आयकर (26वां संशोधन) नियम, 2021 जो 2 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 612(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) आयकर (26वां संशोधन) नियम, 2021 जो 6 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 616(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन और उसका शुद्धिपत्र जो 7 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 619(अ) में प्रकाशित हुए थे त ।

(दस) आयकर (28वां संशोधन) नियम, 2021 जो 10 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 623(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) आयकर (29वां संशोधन) नियम, 2021 जो 13 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 627(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) आयकर (30वां संशोधन) नियम, 2021 जो 24 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 661(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) आयकर (31वां संशोधन) नियम, 2021 जो 1 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 713(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) वैधकरण की छूट (वित्त अधिनियम, 2012 की धारा 199) नियम, 2021, जो 14 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.737(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक

ज्ञापन।

(पन्द्रह) ई-समाधान योजना, 2021, जो 1 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.4584(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) का.आ. 4207(अ) जो 11 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा उसमे निर्दिष्ट शर्तों के अधीन निर्धारण वर्ष 2021-22 से आगे आय के रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता से व्यक्तियों के कतिपय वर्गों को छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(6) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.3068 (अ) जो 30 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रॉस-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टेरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) 5 अगस्त, 2021 की अधिसूचना संख्या 65/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ.3243 (अ) जो 11 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रॉस-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टेरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ.3296 (अ) जो 13 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रॉस-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टेरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है और दिनांक 17 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 3365(अ) में उसका शुद्धिपत्र प्रकाशित हुआ था, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) 19 अगस्त, 2021 की अधिसूचना संख्या 68/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का.आ.3559 (अ) जो 31 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रॉस-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टेरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) 2 सितम्बर, 2021 की अधिसूचना संख्या 71/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का.आ.3793 (अ) जो 15 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो

अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रॉस-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टेरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) 16 सितम्बर, 2021 की अधिसूचना संख्या 74/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का.आ.4045 (अ) जो 30 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रॉस-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टेरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) 7 अक्तूबर, 2021 की अधिसूचना संख्या 80/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) का.आ.4297 (अ) जो 14 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रॉस-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टेरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) 21 अक्तूबर, 2021 की अधिसूचना संख्या 82/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) का.आ.4527 (अ) जो 29 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रॉस-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टेरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) 29 अक्तूबर, 2021 की अधिसूचना संख्या 88/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) 3 नवम्बर, 2021 की अधिसूचना संख्या 90/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) का.आ.4753 (अ) जो 15 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रॉस-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टेरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) 18 नवम्बर, 2021 की अधिसूचना संख्या 92/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) 24 नवम्बर, 2021 की अधिसूचना संख्या 93/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) 25 नवम्बर, 2021 की अधिसूचना संख्या 94/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि. 582(अ) जो 19 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 20 अगस्त 2021 से 30 सितम्बर 2021 तक के लिए बीसीडी को क्रूड सोया तेल (1507 10 00) पर 15% से 7.5%; क्रूड सूरजमुखी तेल (1512 11 10) पर 15% से 7.5%; रिफाइंड सोया तेल (1507 90 10) पर 45% से 37.5%; रिफाइंड सूरजमुखी तेल (1512 19 10) पर 45% से 37.5% कम करने के लिए दिनांक 29.06.2021 की अधिसूचना संख्या 34/2021 में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि. 601(अ) जो 30 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एक कोविड-19 राहत उपाय के रूप में 30 सितम्बर तक उक्त अधिसूचना के अंतर्गत छूट की वैधता के विस्तार के लिए दिनांक 24.04.2021 की अधिसूचना सं. 28/2021 में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि. 624(अ) जो 10 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय (क) टैरिफ मद 1507 10 00 के अंतर्गत आने वाले क्रूड सोयाबीन तेल पर बीसीडी को 7.5% से कम करके 2.5% (ख) टैरिफ मद 1512 11 10 के अंतर्गत आने वाले क्रूड सूरजमुखी तेल पर बीसीडी को 7.5% से कम करके 2.5% (ग) टैरिफ मद 1511 10 00 के अंतर्गत आने वाले क्रूड पॉम ऑयल पर बीसीडी को 10% से कम करके 2.5% (घ) टैरिफ मद 1511 10 00 के अंतर्गत आने वाले क्रूड पॉम ऑयल पर बीसीडी को 17.5% से कम करके 20% (ङ) टैरिफ मद 1507 90 10 के अंतर्गत आने वाले क्रूड सोयाबीन तेल पर बीसीडी को 37.5% से कम करके 32.5% (च) टैरिफ मद 151910 00 के अंतर्गत आने वाले रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर बीसीडी को 37.5% से कम करके 32.5% (छ) उप-शीर्ष 1511 90 के अंतर्गत आने वाले रिफाइंड पॉमोलीन ऑयल और अन्यों पर बीसीडी को 37.5% से कम करके 32.5% करने के लिए दिनांक 30 जून 2017 की अधिसूचना सं. 50/2017 और दिनांक 01.02.2021 की अधिसूचना सं.11/2021 में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.का.नि. 625(अ) जो 10 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिसके द्वारा दिनांक 29.06.2021 की अधिसूचना सं.34/2021-सीमाशुल्क को निरस्त किया गया है तथा एक

व्यांख्यायत्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा.का.नि. 640(अ) जो 17 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संयुक्त राज्य अमेरिका मे उत्पादित या उससे निर्यात होने वाली मसूर पर बीसीडी दर को 10% से बढ़ा कर 30% करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छब्बीस) सा.का.नि. 672(अ) जो 29 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 31 दिसम्बर, 2021 तक भारत में आयात होने वाले कोविड-19 टीके पर लगाए जाने वाले समूचे सीमाशुल्क की छूट का विस्तार किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्ताईस) सा.का.नि. 708(अ) जो 30 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी रोग, आदि, तथा साथ ही विमानों के पट्टे और/अथवा पट्टों के नवीकरण से संबंधित आयातों पर आईजीएसटी के संबंध में जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक में की गई सिफारिशों को प्रभावी करने के लिए दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 50/2017 में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अट्ठाईस) सा.का.नि. 709(अ) जो 30 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अंटार्टिका और बॉर्डर हाट से संबंधित वस्तुओं के आयात से संबंधित आईजीएसटी के संबंध में जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए दिनांक 7 सितम्बर, 2019 की अधिसूचना सं. 90/2009-सीमाशुल्क और दिनांक 14 जुलाई, 2011 की अधिसूचना सं. 60/2011-सीमाशुल्क में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उनतीस) सा.का.नि. 733(अ) जो 13 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 14.10.2021 से 31.03.2021 तक बीसीडी में निम्नलिखित परिवर्तनों यथा:- (क) टैरिफ मद 1507 10 00 के अंतर्गत आने वाले क्रूड सोयाबीन तेल पर बीसीडी को 2.5% से कम करके शून्य (ख) टैरिफ मद 1511 10 00 के अंतर्गत आने वाले क्रूड पॉम ऑयल पर बीसीडी को 2.5% से कम करके शून्य (ग) टैरिफ मद 1512 11 10 के अंतर्गत आने वाले क्रूड सूरजमुखी तेल पर बीसीडी को 2.5% से कम करके शून्य (घ) टैरिफ मद 1507 90 10 के अंतर्गत आने वाले रिफाइंड सोयाबीन तेल पर बीसीडी को 32.5% से कम करके 17.5% (छ) उप-शीर्ष 1511 90 के अंतर्गत आने वाले आरबीडी पॉमोलीन ऑयल और अन्यों पर बीसीडी को 32.5% से कम करके 17.5% (च) टैरिफ मद 1507 90 10 के अंतर्गत आने वाले रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर बीसीडी को 32.5% से कम करके 17.5% करने, को प्रभावी करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सा.का.नि. 734(अ) जो 13 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 14.10.2021 से 31.03.2022 तक एआईसीडी में निम्नलिखित परिवर्तनों यथा:- (क) टैरिफ मद 1507 10 00 के अंतर्गत आने वाले क्रूड सोयाबीन तेल पर एआईसीडी को 20% से कम करके 5% (ख) टैरिफ मद 1511 10 00 के अंतर्गत आने वाले क्रूड पॉम ऑयल पर एआईसीडी को 20% से कम करके 5% (ग) टैरिफ मद 1512 11 10 के अंतर्गत आने वाले क्रूड सूरजमुखी तेल पर एआईसीडी को 20% से कम करके 5% करने, को प्रभावी करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतीस) सा.का.नि. 756(अ) जो 22 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत की ड्यूटी फ्री प्रेफरेंस (डीएफटीपी) स्कीम, 2008 के अंतर्गत शुल्क-रहित टैरिफ पहुंच मुहैया करवाने के लिए न्यूनतम-विकसित देशों (एलडीसी) की सूची में सियरा लिओन को शामिल

करने के लिए दिनांक 13.08.2008 की अधिसूचना सं. 96/2008 में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बत्तीस) सा.का.नि. 757(अ) जो 22 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 31.03.2021 की अधिसूचना सं. 25/2021-सीमा शुल्क में संशोधन करना है ताकि एचएस कोड 16041410, 16041410 और 16042000 वाले उत्पादों के संबंध में 0% की दर पर 7000 टन का संयुक्त कोटा तथा एचएस कोड 220844011, 22084012, 22084091 और 22084092 वाले उत्पादों के संबंध में 50% की दर पर 1.50 मिलियन लीटर का संयुक्त कोटा निर्दिष्ट किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तैंतीस) सा.का.नि. 781(अ) जो 3 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अतिरिक्त सीमा शुल्क के रुप में संग्रहीत सड़क और अवसंरचना उपकर (आरआईसी) को पेट्रोल पर 18 रुपये प्रति लीटर से 13 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 18 रुपये प्रति लीटर से 8 रुपये प्रति लीटर की दर से कम करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौंतीस) शुल्क उद्ग्रहण (सीमा शुल्क दस्तावेज) संशोधन विनियम, 2021 जो 17 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 719(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पैंतीस) प्रविष्टि बिल (इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत घोषणा और पेपरलेस प्रक्रमण) विनियम, 2021 जो 29 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 210(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छत्तीस) प्रविष्टि बिल (प्ररूप) संशोधन विनियम, 2021 जो 29 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 219(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सैंतीस) सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांशिपमेंट (संशोधन) विनियम, 2021 जो 31 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 238(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अड़तीस) सीमा शुल्क (पहचान सत्यापन और अनुपालन) विनियम, 2021 जो 5 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 249(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतालीस) सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांशिपमेंट (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 15 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 265(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चालीस) सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांशिपमेंट (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 31 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 356(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतालीस) सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांशिपमेंट (चौथा संशोधन) विनियम, 2021 जो 30 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 457(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बयालीस) सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांशिपमेंट (चौथा संशोधन) विनियम, 2021 जो 30 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 466(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तैंतालीस) सा.का.नि. 466(अ) जो 1 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 14 मई, 2018 की अधिसूचना सं. 41/2018 का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(चवालीस) सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांशिपमेंट (पांचवां संशोधन) विनियम, 2021 जो 23 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 504(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पैंतालीस) सीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंसिंग (संशोधन) विनियम, 2021 जो 23 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 505(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छियालीस) सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांशिपमेंट (छठा संशोधन) विनियम, 2021 जो 30 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 521(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सैंतालीस) सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांशिपमेंट (सातवां संशोधन) विनियम, 2021 जो 31 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 606(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अड़तालीस) सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांशिपमेंट (आठवां संशोधन) विनियम, 2021 जो 30 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 677(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनचास) सा.का.नि. 663(अ) जो 24 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय राज्य और केंद्रीय करों और लेवी (आरओएससीटीएल) की छूट और शर्तों एवं प्रतिबंधों के तहत निर्यात किए गए मालों के लिए भारत सरकार, कपड़ा मांत्रालय की अधिसूचना संख्या 12015/11/2020-टीटीपी दिनांक 13 अगस्त, 2021 के अनुसार शुल्क क्रेडिट जारी करने के तरीके एवं इसे नियंत्रित करने वाली शर्तों और प्रतिबंधों को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पचास) इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लैजर विनियम, 2021 जो 23 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 654(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्यावन) सा.का.नि. 655(अ) जो 23 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट योजना (आरओडीटीईपी) के तहत निर्यात किए गए मालों के लिए, विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.01(ङ) के अनुसार शुल्क क्रेडिट जारी करने के तरीके और इसे नियंत्रित करने वाली शर्तों और प्रतिबंधों को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) उपर्युक्त (6) की मद संख्या (चौंतीस) से (अड़तालीस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 94 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कोरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रक्रमण) संशोधन विनियम, 2021 जो 27 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 768(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कोरियर आयात और निर्यात (स्वीकृति) संशोधन विनियम, 2021 जो 27 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 769(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(9) सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उप-धारा (3) के अंतर्गत पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम, 2021, जो 7 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 723(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 3 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/48 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 3 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/32 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 26 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/54 में प्रकाशित हुए थे।

(11) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) (संशोधन) नियम, 2021 जो 9 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3206(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 जो 19 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3411(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) (तीसरा संशोधन) नियम, 2021 जो 5 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 4091(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) (चौथा संशोधन) नियम, 2021 जो 12 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 4242(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(12) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केन्द्रीय माल और सेवा कर (सातवां संशोधन) नियम, 2021 जो 29 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 598(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 599(अ) जो 29 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्ररूप जीएसटीआर 3बी विलम्ब शुल्क छूट योजना की समय-सीमा को 31.08.2021 से 30.11.2021 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 600(अ) जो 29 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा

जिनका आशय ऐसे मामलों में, जहां सीजीएसटी अधिनियम की धारा 29(2) के खंड (ख) या खंड (ग) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण रद्द किया गया है, उनमें रजिस्ट्रीकण के रद्दकरण को 30.09.2021 तक प्रतिसंहरण करने के लिए आवेदन दाखिल करने की समय-सीमा को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) केन्द्रीय माल और सेवा कर (आठवां संशोधन) नियम, 2021 जो 24 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 659(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 660(अ) जो 24 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 23 फरवरी, 2021 की अधिसूचना सं. 03/2021 में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 687(अ) जो 30 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 11/2017-केंद्रीय कर (दर) में संशोधन करना है ताकि जीएसटी परिषद की 17.9.2021 को हुई 45वीं बैठक में की गई अनुशंसा के अनुसार विभिन्न सेवाओं की सीजीएसटी दरें अधिसूचित की जा सकें तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 688(अ) जो 30 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 12/2017-केंद्रीय कर (दर) में संशोधन करना है ताकि जीएसटी परिषद की 17.9.2021 को हुई 45वीं बैठक में की गई अनुशंसाओं को लागू किया जके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 693(अ) जो 30 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 1/2017--केंद्रीय कर (दर) में संशोधन करना है ताकि जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक में की गई अनुशंसा के अनुसार कतिपय माल की दरों में परिवर्तन को लागू किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 694(अ) जो 30 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017-केंद्रीय कर (दर) की अधिसूचना सं. 2/2017 में संशोधन करना है ताकि जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक में की गई अनुशंसा के अनुसार जीएसटी के उद्ग्रहण से बुआई के लिए आशयित बीजों को छूट प्रदान की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 695(अ) जो 30 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 4/2017-केंद्रीय कर (दर) में संशोधन करना है ताकि जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक में की गई अनुशंसा के अनुसार रिजर्व प्रभार तंत्र के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को गैर-रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से मेंथा ऑयल लेने की अनुमति प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 696(अ) जो 30 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे

तथा जिनका आशय 18 अक्तूबर, 2017 की अधिसूचना सं. 39/2017-केंद्रीय कर (दर) में संशोधन करना है ताकि जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक में की गई अनुशंसा के अनुसार आईसीडीएस और अन्य सामान योजनाओं में फोर्टिफाइड राइस केर्नेल के संदर्भ में प्रभारों को प्रवृत्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 697(अ) जो 30 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक में की गई अनुशंसा के अनुसार कोविड-19 में प्रयुक्त विनिर्दिष्ट औषधियों पर सीजीएसटी को 31 दिसम्बर, 2021 तक छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 763(अ) जो 27 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28.06.2017 की अधिसूचना सं. 1/2017-केंद्रीय कर (दर) में संशोधन करना है ताकि जीएसटी परिषद की 17.9.2021 को हुई 45वीं बैठक में की गई अनुशंसा के अनुसार समस्त माल के आईपीआर के स्थायी अंतरण पर 18% की विनिर्दिष्ट समान जीएसटी दर निर्दष्ट की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 816(अ) जो 18 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28.06.2017 की अधिसूचना सं. 1/2017-केंद्रीय कर (दर) में संशोधन करना है ताकि वस्त्र और फुटवियर के मामले में उत्क्रम शुल्क संरचना को सही किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि. 807(अ) जो 18 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28.06.2017 की अधिसूचना सं. 11/2017-केंद्रीय कर (दर) में संशोधन करना है ताकि जीएसटी परिषद की 17.9.2021 को हुई 45वीं बैठक में की गई सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 810(अ) जो 18 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28.06.2017 की अधिसूचना सं. 12/2017-केंद्रीय कर (दर) में संशोधन करना है ताकि जीएसटी परिषद की 17.9.2021 को हुई 45वीं बैठक में की गई सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 813(अ) जो 18 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28.06.2017 की अधिसूचना सं. 11/2017-केंद्रीय कर (दर) में संशोधन करना है ताकि जीएसटी परिषद की 17.9.2021 को हुई 45वीं बैठक में की गई सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(13) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 522(अ) जो 31 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा शुरू की गई समीक्षा के अनुसरण में रूस से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन

पर प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को 30 नवम्बर, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, की अवधि के लिए बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 523(अ) जो 1 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय के अनुरोध पर चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'एलॉय या नॉन-एलॉय की वायर रॉड' के आयात पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.543(अ) जो 9 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य, इंडोनेशिया, कोरिया जनवादी गणराज्य और थाईलैंड से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित पथेलिक एनहाइड्राइड के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क आरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.572(अ) जो 12 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और इंडोनेशिया से "विस्कोज स्टेपल फाईबर" के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण के लिए दिनांक 8 अगस्त, 2016 की अधिसूचना सं. 43/2016-सी.शु. (एडीडी) का विखंडन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि.585(अ) जो 24 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से "बेरियम कार्बोनेट" के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण के प्रतिसंहरण के लिए दिनांक 21 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना सं. 14/2016-सी.शु. (एडीडी) का विखंडन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि.588(अ) जो 25 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 29 नवम्बर, 2016 की अधिसूचना सं. 54/2016 - सीमाशुल्क (एडीडी) के माध्यम से आरोपित तथा चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत या निर्यातित 'एक्सल फॉर ट्रेलर्स" के आयातों पर प्रतिपाटन शुल्क (एडीडी) को 28 जनवरी, 2022 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि.590(अ) जो 26 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशलय (डीजीटीआर) के सिफारिश के आधार पर पांच वर्षों की अवधि के लिए चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित "प्राकृतिक अभ्रक आधारित सौद्रर्य श्रेणी के रंजकों को छोड़कर पर्ल औद्योगिक रंजकों" के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क (एडीडी) का उद्ग्रहण 25 अगस्त, 2026 तक करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि.597(अ) जो 27 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 56/2018-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 4 दिसम्बर, 2018 में संशोधन करके व्यापार उपचार महानिदेशालय की सिफारिशों पर इंडोनेशिया और सिंगापुर से 'अनकोटेड कॉपियर पेपर' पर उद्ग्रहण को 28 फरवरी 2022 तक बढ़ाना है

तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि.607(अ) जो 31 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से "ग्लास फाइबर और उसकी वस्तुओं" पर उद्ग्रहण को 31 अक्टूबर, 2021 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि.630(अ) जो 14 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 54/2017-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 17.11.2017 में संशोधन करके व्यापार उपचार महानिदेशालय की सिफारिशों पर "सोल्यूटिया यूरोप बीवी" से आयातक के नाम में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि.637(अ) जो 16 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशलय (डीजीटीआर) के सिफारिश के आधार पर पांच वर्षों की अवधि के लिए चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया, थाइलैंड और इंडोनेशिया में उद्भूत या वहां से निर्यातित "एल्यूमिनियम फॉयल" के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क का उद्ग्रहण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि.649(अ) जो 22 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) की सिफारिशों पर चीन जनवादी गणराज्य से "टायर करिंग प्रेसेस" पर आरोपित प्रतिपाटन शुल्क के प्रतिसंहरण के लिए दिनांक 29 मार्च, 2016 की अधिसूचना सं. 11/2016-सी.शु. (एडीडी) को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि.671(अ) जो 29 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 49/2017 सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 में संशोधन करके व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) के सिफारिशों पर चीन जनवादी गणराज्य और यूरोपीय संघ से 'नन-एलॉय स्टील एलॉय के कलर कोटेड/प्रिपेंटेड फ्लैट उत्पादों' पर एडीडी की उगाही 31 मार्च 2022 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि.685(अ) जो 30 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 29/2017-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 14 जून, 2017 के माध्यम से आरोपित तथा चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "ग्लेजड/अनग्लेजड पोर्सिलेन/विट्रिफाइड टाइल्स पॉलिश सहित अथवा रहित जिसकी क्षमता 3 प्रतिशत से भी कम पानी सोखने की हो" पर 28 फरवरी 2022 तक की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क को व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) के अनुरोध पर बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि.681(अ) जो 30 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 54/2018 सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 में संशोधन करके चीन जनवादी गणराज्य से "सीधे लंबे बार और एलॉय स्टील की रॉड" के भारत में आयात पर दिनांक 31 जनवरी, 2022 तक जनहित में प्रतिपाटन शुल्क के

अस्थायी तौर पर प्रतिसंहरण को बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि.682(अ) जो 30 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 38/2019 सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 25 सितम्बर, 2019 में संशोधन करके चीन जनवादी गणराज्य, ब्राजील और जर्मनी से "नॉन-कोबाल्ट ग्रेड के हाई स्पीड स्टील" के भारत में आयात पर दिनांक 31 जनवरी 2022 तक जनहित में अस्थायी तौर पर प्रतिसंहरण को बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 683(अ) जो 30 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनका आशय अधिसूचना सं. 16/2020 सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 23 जून, 2020 में संशोधित करना है जिससे कि चीन जनवादी गणराज्य, वियतनाम, कोरिया और जनवादी गणराज्य कोरिया से 31 जनवरी, 2022 तक जनहित में फ्लेट रोल्ड प्रोडक्ट्स ऑफ स्टील कोटेड बिद एल्युमीनियम और जिंक पर प्रतिपाटन शुल्क के अस्थाई प्रतिसंग्रहण को विस्तार दिया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि. 662(अ) जो 24 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनका आशय डीजीआर की सिफारिश पर पांच वर्ष की अवधि के लिए

मलेशिया से उद्भूत या निर्यातित ''9 एमएम से 13 एमएम की व्यास के एल्यूमीनियम वॉयर इन क्वायल फार्म/वॉयर रॉड इन क्वायल फार्म'' पर प्रतिकारी शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि. 684(अ) जो 30 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से भारत में आयातित हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील फ्लेट उत्पादों पर 31 जनवरी 2020 तक जनहित में प्रतिपाटन शुल्क के अस्थाई प्रतिसंग्रहण को विस्तार देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि. 712(अ) जो 01 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनका आशय नेपाल और बंगलादेश से पटसन उत्पादों के आयात पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को 31 मई, 2022 तक जिसमें यह तारीख भी शामिल है पर प्रतिकारी शुल्क लगाना है, बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि. 715(अ) जो 4 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनका आशय डीजमीटीआर की सिफारिश पर अधिसूचना सं. 4/2018-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 21 फरवरी, 2018 के तहत चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत या निर्यातित 'सिरेमिक टेबिलवेयर और किचेनवेयर जिनमें चाकू और प्रसाधन संबंधी वस्तुओं' पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया था को मलेशिया से उद्भूत अथवा निर्यातित 'सिरेमिक टेबिलवेयर और किचेनवेयर जिनमें चाकू और प्रसाधन संबंधी वस्तुओं' पर प्रतिपाटन शुल्क की उगाही के सरकमवेंशन को रोकना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि. 739(अ) जो 14 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनका आशय 5 वर्षों की अवधि के लिए चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत या

निर्यातित 'एरोमैटिक या हेट्रोसाइक्लिक यौगिकों के एसीटो एसिटाइल डेरिबेटिव्स जिन्हें ऐरिलाइड्स के नाम से जाना जाता है, के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि. 748(अ) जो 20 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनका आशय यूरोपीय संघ, सिंगापुर और कोरिया जनवादी गणराज्य से 'फिनॉल' के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क की उगाही को हटाने के लिए अधिसूचना सं. 06/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 8 मार्च, 2016 को रद्द करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.का.नि. 753(अ) जो 22 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनका आशय रूस से उद्भूत या वहां से आयातित पॉलीटेट्राफ्लुओरोएथिलीन पर एडीडी के उगाही को हटाने के लिए अधिसूचना संख्या 23/2016- सीमा शुल्क एडीडी दिनांक 6 जून, 2016 को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा.का.नि. 754(अ) जो 22 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनका आशय कोरिया से उद्भूत या वहां से आयातित पॉलीटेट्राफ्लुओरोएथिलीन पर एडीडी के उगाही को हटाने के लिए अधिसूचना संख्या 24/2021- सीमा शुल्क एडीडी दिनांक 26 अप्रैल, 2021 को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा.का.नि. 771(अ) जो 28 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनका आशय डीजमीटीआर की सिफारिश पर पांच वर्ष की अवधि के लिए चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत या निर्यातित ''सीमलेस टयूब, लोहे के पाइप और होलो प्रोफाइल, मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु स्टील (कच्चा लोहा) और स्टेनलेस स्टील के अलावा), चाहे हॉट फिनिस्ड हो या कोल्ड ड्रान या बाहरी व्यास 355.6 एमएम या 14'' ओडी से अधिक न हो'' के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा.का.नि. 760(अ) जो 27 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनका आशय इन नियमों में गैर अवशोषण प्रावधानों को लाने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ (क्षति के निर्धारण के लिए रियायती वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण नियम, 1995 में और आगे संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सा.का.नि. 761(अ) जो 27 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनका आशय गैर अवशोषण प्रावधानों को लाने के लिए कतिपय अन्य विविध परिवर्तन करने हेतु सीमा शुल्क टैरिफ (क्षति के निर्धारण के लिए रियायती वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण नियम, 1995 में और आगे संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) सा.का.नि. 789(अ) जो 11 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनका आशय अधिसूचना सं. 34/2016 सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 14 जुलाई, 2016 में संशोधन करके वियतनाम से उद्भूत या वहां से निर्यातित 'ऐसे फाइबर बोर्ड जो सादा हो और मध्यम घनत्व का हो और जिसकी मोटाई 6 मिमी या उससे अधिक हो' के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को डीजीटीआर की अनुशंसा पर वापस लिया

जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सा.का.नि. 790(अ) जो 11 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य से उद्भूत या आयातित 'अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका' के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्तीस) सा.का.नि. 794(अ) जो 12 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनका आशय अधिसूचना सं. 17/2020 दिनांक 8.7.2021 के तहत चीन जनवादी गणराज्य से मेजरिंग टेप्स पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क के एंटी सिरकमवेंशन के संबंध में व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) की सिफारिशों के आधार पर सिंगापुर और कम्बोडिया से उद्भूत या वहां से निर्यातित "मेजरिंग टेप्स" पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(14) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 689(अ) जो 30 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 8/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है ताकि 17.09.2021 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 45वीं बैठक में की गई सिफारिश के अनुसार विभिन्न सेवाओं की आईजीएसटी दरों को अधिसूचित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 690(अ) जो 30 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 09/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है ताकि 17.09.2021 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 45वीं बैठक में की गई सिफारिशों को लागू किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा.का.नि. 698(अ) जो 30 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है ताकि माल और सेवा कर परिषद की 45वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार कतिपय माल की दरों में परिवर्तन को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि. 699(अ) जो 30 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 2/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है ताकि माल और सेवा कर परिषद की 45वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार बुआई के लिए रखे बीजों पर माल और सेवा कर के उद्ग्रहण से छूट

को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पाँच) सा.का.नि. 700(अ) जो 30 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 4/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है ताकि माल और सेवा कर परिषद की 45वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार रिर्वस चार्ज मेकेनिज्म के अंतर्गत मैंथा ऑयल की आपूर्ति को अपंजीकृत व्यक्ति से पंजीकृत व्यक्ति तक लाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) सा.का.नि. 701(अ) जो 30 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 18 अक्तूबर, 2017 की अधिसूचना संख्या 40/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है ताकि माल और सेवा कर परिषद की 45वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार आईसीडीएस और अन्य इसी प्रकार की स्कीमों में प्रयोग किए गए सुदृढ़ीकृत राइस करनेल के संबंध में परिवर्तनों को प्रभावी बनाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा.का.नि. 702(अ) जो 30 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय माल और सेवा कर परिषद की 45वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार कोविड-19 में इस्तेमाल की गई विनिर्दिष्ट दवाओं पर एकीकृत माल और सेवा कर में 31 दिसम्बर, 2021 तक छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा.का.नि. 764(अ) जो 27 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है ताकि 17.09.2021 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 45वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार सभी मालों के आईपीआर के स्थायी अंतरण पर 18 प्रतिशत की एक समान जीएसटी दर निर्धारित की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा.का.नि. 817(अ) जो 18 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वस्त्रों और पादुकाओं के मामले में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) सा.का.नि. 808(अ) जो 18 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 8/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है ताकि 17.09.2021 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 45वीं बैठक में की गई सिफारिशों को लागू किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह) सा.का.नि. 811(अ) जो 18 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 9/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है ताकि 17.09.2021 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 45वीं बैठक में की गई सिफारिशों को लागू किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) सा.का.नि. 814(अ) जो 18 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा

जिनका आशय दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 14/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है ताकि 17.09.2021 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 45वीं बैठक में की गई सिफारिशों को लागू किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(15) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 691(अ) जो 30 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 11/2017 - संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि 17.09.2021 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 45वीं बैठक में की गई सिफारिश के अनुसार विभिन्न सेवाओं की यूटीजीएसटी दरों को अधिसूचित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 692(अ) जो 30 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 12/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि 17.09.2021 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 45वीं बैठक में की गई सिफारिशों को लागू किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा.का.नि. 703(अ) जो 30 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 1/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि माल और सेवा कर परिषद की 45वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार कतिपय माल की दरों में परिवर्तन को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि. 704(अ) जो 30 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 2/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि माल और सेवा कर परिषद की 45वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार बुआई के लिए रखे बीजों पर माल और सेवा कर के उद्ग्रहण से छूट को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पाँच) सा.का.नि. 705(अ) जो 30 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 4/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि माल और सेवा कर परिषद की 45वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार रिर्वस चार्ज मेकेनिज्म के अंतर्गत मेंथा ऑयल की आपूर्ति को अपंजीकृत व्यक्ति से पंजीकृत व्यक्ति तक लाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) सा.का.नि. 706(अ) जो 30 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 18 अक्तूबर, 2017 की अधिसूचना संख्या 39/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि माल और सेवा कर परिषद की 45वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार आईसीडीएस और अन्य इसी प्रकार की स्कीमों में प्रयोग किए गए सुदृढ़ीकृत राइस करनेल के संबंध में परिवर्तनों को प्रभावी बनाया जा सके तथा

एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा.का.नि. 707(अ) जो 30 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय माल और सेवा कर परिषद की 45वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार कोविड-19 में इस्तेमाल की गई विनिर्दिष्ट दवाओं पर संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर में 31 दिसम्बर, 2021 तक छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा.का.नि. 765(अ) जो 27 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ताकि 17.09.2021 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 45वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार सभी मालों के आईपीआर के स्थायी अंतरण पर 18 प्रतिशत की एक समान जीएसटी दर निर्धारित की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा.का.नि. 818(अ) जो 18 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वस्त्रों और पादुकाओं के मामले में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 1/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) सा.का.नि. 809(अ) जो 18 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 11/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि 17.09.2021 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 45वीं बैठक में की गई सिफारिशों को लागू किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह) सा.का.नि. 812(अ) जो 18 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 12/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि 17.09.2021 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 45वीं बैठक में की गई सिफारिशों को लागू किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) सा.का.नि. 815(अ) जो 18 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 12/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि 17.09.2021 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 45वीं बैठक में की गई सिफारिशों को लागू किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(16) प्रतिकर उपकर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 710(अ) जो 30 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनका आशय जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक की गई सिफारिश के अनुसार फलों के रस के साथ फल पेयों अथवा कार्बोनेटिड पेयों के कार्बोनेटिड पेयों के संबंध में जीएसटी प्रतिकर उपकर दरों में परिवर्तन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(17) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत सा.का.नि. 782(अ) जो 3 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अतिरिक्त सीमा शुल्क के रुप में संग्रहित सड़क और अवसंरचना उपकर (आरआईसी) को पेट्रोल पर 18 रुपये प्रति लीटर से 13 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 18 रुपये प्रति लीटर से 8 रुपये प्रति

लीटर की दर से कम करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) ने शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपुर्णा देवी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे -:

(1) (एक) समग्र शिक्षा, पुदुचेरी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा, पुदुचेरी के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) समग्र शिक्षा-दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र, सिल्वासा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा-दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र, सिल्वासा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) समग्र शिक्षा-लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र, कवारत्ती के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा-लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र, कवारत्ती के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) समग्र शिक्षा-लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र, कवारत्ती के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) समग्र शिक्षा मिजोरम, आइजोल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा मिजोरम, आइजोल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) समग्र शिक्षा, सिक्किम, गंगतोक के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा, सिक्किम, गंगतोक के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) समग्र शिक्षा गुजरात स्कूली शिक्षा परिषद्, गांधीनगर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा गुजरात स्कूली शिक्षा परिषद्, गांधीनगर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) पश्चिम बंग समग्र शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पश्चिम बंग समग्र शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) समग्र शिक्षा केरल, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा केरल, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) समग्र शिक्षा महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद्, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद्, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी) अधिनियम, 2017 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.4727(अ) जो 15 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल बी.टेक कार्यक्रम अध्यादेशों के बारे में है।

(दो) का.आ.4728(अ) जो 15 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान सूरत के अध्यादेशों के बारे में है।

(तीन) का.आ.4604(अ) जो 6 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अगरतला बी.टेक कार्यक्रम अध्यादेशों के बारे में है।

(चार) का.आ.4605(अ) जो 6 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भागलपुर के अध्यादेशों के बारे में है।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय), वाराणसी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय), वाराणसी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय), वाराणसी के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़, हुबली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़, हुबली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं

की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़, हुबली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुपति, तिरुपति के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुपति, तिरुपति के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुपति, तिरुपति के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, मंडी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, रुड़की के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, मंडी के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान आंध्र प्रदेश, ताड़ेपल्लीगुड़म के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान आंध्र प्रदेश, ताड़ेपल्लीगुड़म के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मिजोरम, आइजॉल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की

एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मिजोरम, आइजॉल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) भारतीय प्रबंधन संस्थान उदयपुर, उदयपुर के वर्ष 2021-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंधन संस्थान उदयपुर, उदयपुर के वर्ष 2021-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) भारतीय प्रबंधन संस्थान अमृतसर, अमृतसर के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंधन संस्थान अमृतसर, अमृतसर के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) (एक) नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर, हमीरपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर, हमीरपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान जम्मू, जम्मू के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान जम्मू, जम्मू के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान काशीपुर, काशीपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान काशीपुर, काशीपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान सिरमौर, सिरमौर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान सिरमौर, सिरमौर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान बोधगया, बोधगया के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान बोधगया, बोधगया के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रांची, रांची के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रांची, रांची के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कुरनूल के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कुरनूल के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कोटा, कोटा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कोटा, कोटा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कल्याणी, के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कल्याणी, के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कल्याणी, के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली, के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली, के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एफ.सं. एआईसीटीई/पीएण्डएपी/इंज. डिसिप्लीन/2021 जो 14 अक्तूबर, 2021 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा विनियम (मेजर कोर ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी एण्ड देयर रेलीवेंट/एप्रोप्रिएट कोर्सेज लीडिंग टू डिग्री इन इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी) 2017 शिक्षण पदों की युक्तिका है की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत किशनराव कराड़) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा-परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई, के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई, के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई की 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार 51वीं मूल्यांकन रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई, के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई, के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्रतिभूतियों का संरक्षक) (संशोधन) विनियमन, 2021 जो 22 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/10 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा अन्य सेवा के निबंधन और शर्तें (तीसरा संशोधन) नियम, 2021 जो 12 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. सा.का.नि.731(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(6) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 के अंतर्गत केनरा बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) संशोधन विनियम, 2021 जो 29 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एचआरडब्ल्यू:आईआरएस:124सी:एलडब्ल्यू:3231:2021 में प्रकाशित हुए थे, की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) फेक्टर विनियम अधिनियम, 2011 की धारा 33 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन ऑफ असाइनमेंट ऑफ रिसीवेबल्स (अमेंडमेंट) नियम, 2021 जो 14 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.732(अ) में प्रकाशित हुए थे, की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) ऋण वसूली और दिवाला अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ.4145(अ) जो भारत के राजपत्र में 8 अक्तूबर, 2021 को प्रकाशित हुई थी तथा जिसके अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ.379(अ) दिनांक 9 फरवरी, 2017 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

6. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा ने 2 दिसम्बर, 2021 को हुई अपनी बैठक में बांध सुरक्षा विधेयक, 2021 को संशोधनों के साथ पारित किया और इस अनुरोध के साथ वापस लौटाया कि इन संशोधनों पर लोक सभा की सहमति के बारे में राज्य सभा को संसूचित किया जाए।

7. **राज्य सभा द्वारा यथासंशोधित विधेयक - सभा पटल पर रखा गया**

बांध सुरक्षा विधेयक, 2021

8. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कार्य मंत्रणा समिति का 26वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

9. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री पी.पी.चौधरी ने विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किए:-

(1) 'विदेशों के साथ भारत की प्रत्यावर्तन संधियों, आश्रय संबंधी मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय साइबर-सुरक्षा और वित्तीय अपराधों के मुद्दों सहित भारत और अन्तराष्ट्रीय विधि' विषय के बारे में नौवां प्रतिवेदन।

(2) 'भारत और द्विपक्षीय निवेश संधियां' विषय के बारे में दसवां प्रतिवेदन।

(3) 'वर्ष 2021-22 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में आठवें प्रतिवेदन में

अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों' पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 11वां प्रतिवेदन।

10. उद्योग संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

सुश्री जोतिमणि एस. ने उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 'इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड मोबिलिटी - वाहन उद्योग में संभाव्यताएं और चुनौतियां' के बारे में 309वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

11. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1)[&] गृह मंत्री (श्री अमित शाह) ने मोन जिला, नागालैण्ड में 4.12.2021 को गोली चलाए जाने की घटना के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(2) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वित्त मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) की ओर से राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

(3) शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) ने उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के 329वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

[%]अपराह्न 12.08 बजे

12. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2021

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, श्री भर्तृहरि महताब और श्री सुरेश कोडिकुन्नील ने विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगें।

वित्त मत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत किशनराव कराड़) ने वित्त मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

तत्पश्चात् प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

13. अध्यादेश के बारे में विवरण - सभा पटल पर रखा गया

[&] अपराह्न 3.02 बजे से अपराह्न 3.06 बजे तक दिया गया।

[%] अपराह्न 12.19 बजे से अपराह्न 2.03 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 8) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के लिए कारणों को दर्शाए जाने वाला एक स्पष्टीकारक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

(लोक सभा अपराह्न 2.03 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.01 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 3.01 बजे

14. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) श्री मनोज कोटक द्वारा महाराष्ट्र में भांडुप रेलवे स्टेशन पर कोंकण जाने वाली सभी ट्रेनों के ठहराव किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(2) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा वस्त्र पर जीएसटी बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(3) डॉ. ढाल सिंह बिसेन द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की सूची में कृषि संबंधी गतिविधियों को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(4) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार में सीतामढ़ी से शिवहर तक की रेल लाइन परियोजना का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(5) श्री सत्यदेव पचौरी द्वारा केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में श्रेणी 'ग' और 'ख' पदों में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु मानदण्डों में ढील दिए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(6) श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी द्वारा महाराष्ट्र में विशेषकर मुम्बई में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बारे में ।

(7) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहार के औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 को छह लेन का किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(8) श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा दिल्ली में पेयजल और सीवर समस्या के बारे में ।

(9) श्री देवजी एम. पटेल द्वारा झेर्डा-सिरोही और रोहित-करडा-संचोरे को गतिशक्ति योजना से जोड़ने के बारे में।

(10) श्री रोड़मल नागर द्वारा मध्य प्रदेश में राजगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोजिस्टिक पार्क विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(11) श्री सुदर्शन भगत द्वारा झारखंड में लोहरदगा या गुमला जिले में बॉक्साइट आधारित फैक्ट्री स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(12) श्री मोहन मंडावी द्वारा छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 30 की स्थिति के बारे में ।

(13) श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा राजस्थान में टोंक सवाई माधोपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सेना भर्ती परीक्षा कराए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(14) श्री भोला सिंह द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आरक्षण नीति के कथित उल्लंघन के बारे में ।

(15) श्री भागीरथ चौधरी द्वारा राजस्थान में किशनगढ़ में 100 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पीटल की स्थापना के बारे में ।

(16) श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित की गई झारखंड में जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को जोड़ने वाली ट्रेन सेवाओं को पुन: शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(17) श्री टी.एन. प्रथापन द्वारा विमानपत्तनों पर आरटीपीसीआर टेस्ट कराए जाने की लागत के बारे में ।

(18) श्री हिबी ईडन द्वारा एर्णाकुलम मार्शलिंग यार्ड को इंटीग्रेटेड कोचिंग टर्मिनल के रूप में बदले जाने के बारे में ।

(19) श्री सप्तगिरी शंकर उलाका द्वारा ओडिशा में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत भूमि हेतु मुआवजा दिए जाने के बारे में ।

(20) श्री एस. रामलिंगम द्वारा हथकरघा वस्त्रों पर जीएसटी 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत किए जाने के प्रस्ताव के बारे में ।

(21) श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ द्वारा आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक के बारे में ।

(22) प्रो. सौगत राय द्वारा सीएए और एनआरसी का निरसन किए जाने के बारे में ।

(23) श्री ओम प्रकाश भूपाल सिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर द्वारा सोयाबीन के आयात पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(24) श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी द्वारा बिहार के पटना विश्वविद्यालय में डॉ. अम्बेडकर चेयर हेतु धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(25) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा राष्ट्रीय आपदा से प्रभावित किसानों के लिए राहत उपाय किए जाने के बारे में ।

(26) श्री कुंवर दानिश अली द्वारा उत्तर प्रदेश के अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु धनराशि की शेष किस्तें जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(27) श्री जयदेव गल्ला द्वारा बैंक लॉकर सुरक्षा नियमों की समीक्षा के बारे में ।

(28) श्री नव कुमार सरनीया द्वारा नए जनजातीय राज्यों की मांग के बारे में ।

अपराह्न 3.07 बजे

15. सरकारी विधेयक - पारित

राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2021

लिया गया समय: 3 घंटे 40 मिनट

डॉ. मनसुख मांडविया द्वारा विधेयक पर विचार किये जाने के लिए प्रस्ताव किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री अब्दुल खालेक
2. डॉ राजदीप राय
3. डॉ. वीरास्वामी कलानिधि
4. प्रो. सौगत राय
5. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी
6. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
7. डॉ. आलोक कुमार सुमन
8. सुश्री चन्द्राणी मुर्मु
9. कुंवर दानिश अली
10. श्रीमती सुप्रिया सुले
11. डॉ. मोहम्मद जावेद
12. श्री अनुराग शर्मा
13. श्री एस. वेंकटेशन
14. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर
15. श्री मुनियन सेल्वराज
16. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन
17. श्री हनुमान बेनीवाल
18. एडवोकेट डीन कुरियाकोस
19. श्रीमती सुनीता दुग्गल

20. श्रीमती प्रतिमा मंडल

21. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे

22. श्री पी. रविन्द्रनाथ

23. श्रीमती नवनित रवि राणा

24. श्री अधीर रंजन चौधरी

डॉ. मनसुख मांडविया ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ हुआ।

खंड 2 से 5 स्वीकृत हुए।

खंड 6, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 7 से 9 स्वीकृत हुए।

खंड 10 से 17 स्वीकृत हुए।

खंड 18, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 19 से 28 स्वीकृत हुए।

खंड 29, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 30 से 34 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

डॉ. मनसुख मांडविया द्वारा विधेयक, यथासंशोधित, को पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, यथासंशोधित, पारित हुआ।

सायं 6.47 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 7 दिसम्बर, 2021 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह

महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 7 दिसम्बर, 2021/ 16 अग्रहायण, 1943 (शक)

संख्या 138

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 121-126 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 127-140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1381-1610 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

सूचना और प्रसारण मंत्री; तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर) ने प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 34 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(एक) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) राजभाषा पद भर्ती विनियम, 2021 जो 1 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एन-10/10/2013-पीपीसी/पीबीआरबी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) कनिष्ठ प्रशासनिक पद भर्ती विनियम, 2021 जो 10 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एन-10/001(4)/2015-पीबीआरबी में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (वरिष्ठ प्रशासनिक और अनुप्रयुक्त पद) भर्ती

विनियम, 2021 जो 10 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एन-10/12/2013-पीपीसी/पीबीआरबी में प्रकाशित हुए थे।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 29 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 4598(अ) जो 3 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची-एक में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(एक) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 77 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (समूह 'क' पद) भर्ती (संशोधन), नियम 2021 जो 15 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.632(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 की धारा 155 की उप-धारा (3) के अंतर्गत गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल, हेड कांस्टेबल, समूह 'ग' कॉम्बेटाइज्ड (गैर-राजपत्रित) मोटर ट्रांसपोर्ट और मेकेनिक काडर पद, भर्ती नियम, 2021 जो 19 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.76 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 की धारा 46 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. 309/डीआरपीसीएयू(वीसी), पूसा, जो 13 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, बिहार के नियंत्रक के पद के लिए उसमें उल्लिखित भर्ती नियमों में संशोधन करने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री प्रतिमा भौमिक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) सूर्य किरण पैरेंट्स एसोसिएशन फॉर दी वेलफेयर ऑफ दी मैंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, गुंटूर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सूर्य किरण पैरेंट्स एसोसिएशन फॉर दी वेलफेयर ऑफ दी मैंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, गुंटूर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) चवारा स्पेशल स्कूल फॉर मैंटली रिटार्टेड चैलेंज्ड, कूनाम्मावु के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चवारा स्पेशल स्कूल फॉर मैंटली रिटार्टेड चैलेंज्ड, कूनाम्मावु के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) चाइल्ड गाइडेंस सेंटर, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चाइल्ड गाइडेंस सेंटर, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) सूर्य किरण पैरेंट्स एसोसिएशन फॉर दि वेलफेयर ऑफ दि मैंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, गुंटूर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सूर्य किरण पैरेंट्स एसोसिएशन फॉर दि वेलफेयर ऑफ दि मैंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, गुंटूर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) कार्मेल ज्योति चैरिटेबल सोसायटी, इडुक्की के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कार्मेल ज्योति चैरिटेबल सोसायटी, इडुक्की के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार

द्‌वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) सूर्य किरण पैरेंट्स एसोसिएशन फॉर दी वेलफेयर ऑफ दी मैंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, गुंटूर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सूर्य किरण पैरेंट्स एसोसिएशन फॉर दी वेलफेयर ऑफ दी मैंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, गुंटूर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्‌वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) चवारा स्पेशल स्कूल फॉर मैंटली रिटार्टेड चैलेंज्ड, कूनाम्मावु के वर्ष 2011-2012, 2014-2015 और 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चवारा स्पेशल स्कूल फॉर मैंटली रिटार्टेड चैलेंज्ड, कूनाम्मावु के वर्ष 2011-2012, 2014-2015 और 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्‌वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) दुर्गाबाई देशमुख वोकेशनल ट्रेनिंग एण्ड रिहैबिटेशन सेंटर फॉर हैण्डीकैप्ड, आंध्र महिला सभा, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दुर्गाबाई देशमुख वोकेशनल ट्रेनिंग एण्ड रिहैबिटेशन सेंटर फॉर हैण्डीकैप्ड, आंध्र महिला सभा, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्‌वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) मॉन्टफोर्ट सेंटर फॉर एजुकेशन, दनकगरे के वर्ष 2011-2012 और 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मॉन्टफोर्ट सेंटर फॉर एजुकेशन, दनकगरे के वर्ष 2011-2012 और 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्‌वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो

विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) मानसिक विकास केंद्रम, विजयवाड़ा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मानसिक विकास केंद्रम, विजयवाड़ा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) भैरबी क्लब, खोरधा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भैरबी क्लब, खोरधा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) स्नेहा सोसायटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन, निजामाबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्नेहा सोसायटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन, निजामाबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) एस.के.आर. प्यूपिल्स वेलफेयर सोसायटी, प्रकाशम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एस.के.आर. प्यूपिल्स वेलफेयर सोसायटी, प्रकाशम के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) पीएडब्ल्यूएमईएनसीएपी, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पीएडब्ल्यूएमईएनसीएपी, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) मेरियन सर्विस सोसायटी, पलक्कड़ के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मेरियन सर्विस सोसायटी, पलक्कड़ के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) हेलेन कैलर्स स्कूल फॉर डेफ एंड मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, सिकन्दराबाद के वर्ष 2011-2012 और 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा

लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हेलेन कैलर्स स्कूल फॉर डेफ एंड मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, सिकन्दराबाद के वर्ष 2011-2012 और 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) सोशल वेलफेयर सेंटर, त्रिसूर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोशल वेलफेयर सेंटर, त्रिसूर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) संजोस वेलफेयर सेंटर, कोट्टायम के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संजोस वेलफेयर सेंटर, कोट्टायम के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) रामकृष्ण मिशन ब्लाइंड बॉयज एकेडमी, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामकृष्ण मिशन ब्लाइंड बॉयज एकेडमी, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(29) (एक) मेडिकल केयर सेंटर ट्रस्ट, वड़ोदरा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मेडिकल केयर सेंटर ट्रस्ट, वड़ोदरा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) मूक और बधिर विद्यालय, मेरठ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मूक और बधिर विद्यालय, मेरठ के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(32) (एक) आश्रय आकृति, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आश्रय आकृति, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(33) (एक) साधना सोसायटी फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 से 2015-2016 तक के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साधना सोसायटी फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 से 2015-2016 तक के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) एस.के.आर. प्यूपिल्स वेलफेयर सोसायटी, प्रकासम के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एस.के.आर. प्यूपिल्स वेलफेयर सोसायटी, प्रकासम के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) हैंडीकैप्ड डेवलपमेंट काउंसिल, आगरा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हैंडीकैप्ड डेवलपमेंट काउंसिल, आगरा के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) (एक) सोसायटी ऑफ कृष्ट ज्योति, वाराणसी के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसायटी ऑफ कृष्ट ज्योति, वाराणसी के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) (एक) प्रगति चैरिटीज, नेल्लौर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रगति चैरिटीज, नेल्लौर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) (एक) सीरी इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड, काकीनाडा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सीरी इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड, काकीनाडा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(44) (एक) तपन रिहैबिलिटेशन सोसायटी, करनाल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तपन रिहैबिलिटेशन सोसायटी, करनाल के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) (एक) इम्फाल गार्जियन सोसायटी, इम्फाल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इम्फाल गार्जियन सोसायटी, इम्फाल के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(47) (एक) इम्फाल गार्जियन सोसायटी, इम्फाल के वर्ष 2013-2014 से 2015-2016 तक के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इम्फाल गार्जियन सोसायटी, इम्फाल के वर्ष 2013-2014 से 2015-2016 तक के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) (एक) कार्मेल ज्योति चैरिटेबल सोसायटी, इडुक्की के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कार्मेल ज्योति चैरिटेबल सोसायटी, इड्डुकी के वर्ष 2020-2021के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(50) (एक) मोन्टफोर्ट सेंटर फॉर एजुकेशन, डानाकगरे के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोन्टफोर्ट सेंटर फॉर एजुकेशन, डानाकगरे के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(51) (एक) फ्रेन्ड्स ऑफ हैंडीकैप्ड-इंडिया, मेरठ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फ्रेन्ड्स ऑफ हैंडीकैप्ड-इंडिया, मेरठ के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निशीथ प्रामाणिक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. प्राक्कलन समिति के की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण

श्री दिलीप शइकीया ने प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) 'राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय' विषय पर प्राक्कलन समिति के तीसवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर समिति के छठे की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(2) 'भू-जल में आर्सेनिक की उच्च मात्रा' विषय पर प्राक्कलन समिति के पहले प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर समिति के उन्नीसवें की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(3) 'नाभिकीय संयंत्रों के लिए यूरेनियम का आयात' विषय पर प्राक्कलन समिति के इकतीसवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर समिति के पांचवें की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

----

5. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का विवरण

श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे ने 'विद्यालयों में महिला शिक्षकों की कार्य-दशाएं' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2018-19) के पंद्रहवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (2019-20) के दूसरे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

----

6. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री राजीव रंजन सिंह *उर्फ* ललन सिंह ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) 'राष्ट्रीय सौर मिशन - एक मूल्यांकन' विषय पर ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के अट्ठाईसवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के आठवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(2) 'गैस आधारित विद्युत संयंत्रों में दबावग्रस्त/गैर-निष्पादनकारी आस्तियां' विषय पर ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के बयालीसवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(3) 'जल विद्युत' विषय पर ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के तैंतालीसवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के बारहवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(4) 'वर्ष 2019-20 के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों' पर ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के तेरहवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(5) 'वर्ष 2019-20 के लिए विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों' पर ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के

चौदहवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(6) 'वर्ष 2020-21 के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों' पर ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के पंद्रहवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(7) 'वर्ष 2020-21 के लिए विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों' पर ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के सोलहवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

----

7. खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय ने खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2021-2022) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में समिति के नौवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौदहवां प्रतिवेदन।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में समिति के दसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई

संबंधी पंद्रहवां प्रतिवेदन।

(3) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) के 'आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि - कारण और प्रभाव' विषय पर समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सोलहवां प्रतिवेदन।

(4) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) के "सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण - प्रौद्योगिकीय साधनों के उपयोग में वृद्धि तथा 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना का कार्यान्वयन" विषय पर समिति के बारहवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सत्रहवां प्रतिवेदन।

----

8. ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री प्रतापराव जाधव ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(एक) 'ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2019-20)' पर पहले प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 7वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(दो) 'पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2019-20)' पर दूसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 8वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(तीन) 'ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2020-21)'

पर चौथे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 10वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(चार) 'पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21)' पर छठे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 12वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(पांच) 'ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2021-22)' पर 13वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 17वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(छह) 'भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2021-22)' पर 14वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 18वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(सात) 'पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22)' पर 15वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 19वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

----

9. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री एम. धनुष कुमार ने जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) जल शक्ति मंत्रालय - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' पर दसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तेरहवां प्रतिवेदन।

(2) जल शक्ति मंत्रालय - पेयजल और स्वच्छता विभाग की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' पर ग्यारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौदहवां प्रतिवेदन।

----

10. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के विवरण

डॉ. संजय जायसवाल ने निम्नलिखित प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2019-20)' के बारे में दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

(2) जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' के बारे में चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

----

11. मंत्री द्वारा विवरण

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) ने ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित बीपीएल सर्वेक्षण [वर्तमान में सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना (एसईसीसी), 2011] के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

***अपराह्न 12.06 बजे**

12. प्रस्ताव

श्री अधीर रंजन चौधरी ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया-

"कि यह सभा 6 दिसम्बर, 2021 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(लोक सभा अपराह्न 2.34 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.32 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 3.32 बजे

13. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:-

1. श्री विष्णु दयाल राम द्वारा सिंगरौली-पटना एक्सप्रेस का नाम बदलकर श्री बंशीधर एक्सप्रेस किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
2. श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर द्वारा नांदेड रेल मंडल को मध्य रेलवे जोन के अधीन लाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
3. श्री अर्जुनलाल मीणा द्वारा राजस्थान विशेषत: राज्य के उदयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कार्यान्वयन की गति तेज किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
4. डॉ जयंत कुमार राय द्वारा पश्चिम बंगाल में मनरेगा के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के बारे में।
5. श्री छेदी पासवान द्वारा बिहार में सोन नदी द्वारा होने वाले भूक्षरण को रोकने हेतु उपचारी उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
6. श्री नितेश गंगा देब द्वारा संबलपुर, ओडिशा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क ऑफ इंडिया स्थापित किए जाने के बारे में ।
7. श्री कृपानाथ मल्लाह द्वारा करीमगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हैलाकांडी और रामकृष्ण नगर में दो नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के बारे में ।

---

* अपराह्न 12.06 बजे से अपराह्न 2.34 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाये।

8. डॉ. सुकान्त मजूमदार द्वारा वर्ष 1971 में बंगलादेश की आजादी के दौरान शहीद हुए सैनिकों के बलिदान की स्मृति में हिल्ली में एक भव्य युद्ध स्मारक के निर्माण के बारे में ।

9. श्री नारणभाई बी. काछड़िया द्वारा गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल परियोजनाओं के लिए निधियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

10. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के जन्मदिन को 'मेधा दिवस' के रूप में मनाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

11. श्री बैन्नी बेहनन द्वारा सबरी रेल परियोजना के विकास के बारे में ।

12. श्री राजमोहन उन्नीथन द्वारा चीन में एमबीबीएस की व्यावसायिक डिग्री हेतु पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के लिए क्लीनिकल रोटेशन सुविधाओं का उपबंध किए जाने के बारे में ।

13. श्री अंडीमुथु राजा द्वारा उदगमंडलम में फिल्म सिटी का विकास किए जाने के बारे में ।

14. श्री ए.के.पी. चिनराज द्वारा ट्रेन संख्या 02652 और 06020 में रेलवे बुकिंग में आ रही समस्याओं के बारे में।

15. श्री के. रघु राम कृष्ण राजू द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण बनाए जाने के बारे में।

16. श्री खलीलुर रहमान द्वारा मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी द्वारा होने वाले भूक्षरण को रोकने हेतु स्थायी समाधान किए जाने के बारे में ।

17. श्री गजानन सी. कीर्तिकर द्वारा देश के सभी विमानों पर कूट अक्षर वीटी में परिवर्तन किए जाने के बारे में ।

18. श्री राम शिरोमणि वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में कटहरी रेलवे स्टेशन पर एक अंडर पास बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

19. श्री पी.आर. नटराजन द्वारा सूती धागे के मूल्य नियंत्रण और कपास का उत्पादन बढ़ाए जाने की नीति के बारे में।

20. श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा कृषि महाविद्यालय, नागौर का स्तरोन्नयन कर 'केन्द्रीय शुष्क कृषि विश्वविद्यालय' बनाए जाने तथा इस प्रयोजन हेतु निधियां भी उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 3.33 बजे

14. सरकारी विधेयक - विचाराधीन

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) विधेयक, 2021

लिया गया समय: 4 घंटे 38 मिनट

श्री किरेन रिजीजू द्वारा विधेयक पर विचार किये जाने के लिए प्रस्ताव किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. डॉ. शशि थरूर
2. श्री पी.पी. चौधरी
3. श्री थिरू दयानिधि मारन

4. श्री कल्याण बनर्जी
5. श्री अरविंद गणपत सावंत
6. श्रीमती गीता विश्वनाथ वांगा
7. श्री महाबली सिंह
8. श्री पिनाकी मिश्रा
9. श्री श्याम सिंह यादव
10. श्री फैजल पी.पी. मोहम्मद
11. श्री सुरेश कोडिकुन्नील
12. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
13. श्री हसनैन मसूदी
14. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर
15. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
16. श्री हनुमान बेनीवाल
17. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन
18. श्री श्री कृष्णा देवरायालू लावू
19. डॉ. डी. रविकुमार
20. श्री बालूभाऊ नारायणराव उर्फ सुरेश धानोरकर
21. श्री सुरेश कुमार पुजारी
22. श्री कुंवर दानिश अली
23. श्री थोमस चाज़िकाडन
24. मौलाना बदरूद्दीन अजमल
25. डॉ. थोलकाप्पियन तिरूमावलवन
26. श्री अरूण साव
27. श्री अधीन रंजन चौधरी

चर्चा पूरी नहीं हुई।

रात्रि 8.11 बजे

(लोक सभा बुधवार, 8 दिसम्बर, 2021 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 8 दिसम्बर, 2021/ 17 अग्रहायण, 1943 (शक)

संख्या 139

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 141-148 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 149-160 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1611-1840 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराहन 12.02 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(एक) कोयला-खान नियंत्रण (संशोधन) नियम, 2021, जो 9 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि.546(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2021, जो 4 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि.717(अ) में प्रकाशित हुए थे।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय उष्णदेशीय मौसम-विज्ञान संस्थान, पुणे के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय उष्णदेशीय मौसम-विज्ञान संस्थान, पुणे के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केन्द्र, वास्को-डी-गामा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केन्द्र, वास्को-डी-गामा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केन्द्र, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केन्द्र, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2020-2021 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, शिलांग के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, शिलांग के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड, बैंगलुरू का वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड, बैंगलुरू का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(8) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा (आचरण) संशोधन नियम, 2021 जो 15 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 634(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) भारत के संविधान के अनुच्छेद 320(5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) तीसरा संशोधन विनियम, 2021 जो 29 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 515(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) चौथा संशोधन विनियम, 2021 जो 30 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 678(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) पांचवां संशोधन विनियम, 2021 जो 24 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 834(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(10) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 319(अ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 4 मई,

2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गनसिंह कुलस्ते) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे :-

(एक) केआईओसीएल लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केआईओसीएल लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे* :-

(1) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 105 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (वार्षिक प्रतिवेदन) नियम, 2021, जो 27 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 665(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (विशेषज्ञों और वृत्तिकों के नियोजन की रीति) विनियम, 2021, जो 27 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. जे-25/6/2020/सीसीपीए में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2021, जो 27 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. बीएस/11/11/2021 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो (हॉलमार्किंग) संशोधन विनियम, 2021, जो 27 अक्तूबर,

---

* अपराहन 12.08 बजे

2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. बीएस/11/05/2018 में प्रकाशित हुए थे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने मंत्रियों द्वारा पंद्रहवीं, सोलहवीं और सत्रहवीं लोक सभाओं के विभिन्न सत्रों के दौरान दिए गए आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

पंद्रहवीं लोक सभा

1.	विवरण सं. 35	पांचवा सत्र, 2010
2.	विवरण सं. 37	आठवां सत्र, 2011
3.	विवरण सं. 33	दसवां सत्र 2012
4.	विवरण सं. 30	ग्यारहवां सत्र 2012
5.	विवरण सं. 31	तेरहवां सत्र 2013
6.	विवरण सं. 26	चौदहवां सत्र 2013

सोलहवीं लोक सभा

7.	विवरण सं. 26	दूसरा सत्र, 2014
8.	विवरण सं. 26	तीसरा सत्र, 2014
9.	विवरण सं. 25	चौथा सत्र, 2015
10.	विवरण सं. 22	पांचवां सत्र, 2015
11.	विवरण सं. 22	छठा सत्र, 2015
12.	विवरण सं. 20	आठवां सत्र, 2016
13.	विवरण सं. 19	नौवां सत्र, 2016
14.	विवरण सं. 17	ग्यारहवां सत्र, 2017
15.	विवरण सं. 15	बारहवां सत्र, 2017
16.	विवरण सं. 14	तेरहवां सत्र, 2017-18
17.	विवरण सं. 13	चौदहवां सत्र, 2018
18.	विवरण सं. 12	पंद्रहवां सत्र, 2018
19.	विवरण सं. 9	सत्रहवां सत्र, 2019

सत्रहवीं लोक सभा

20.	विवरण सं. 8	पहला सत्र, 2019

21. विवरण सं. 6 तीसरा सत्र, 2020
22. विवरण सं. 3 पांचवां सत्र, 2021
23. विवरण सं. 2 छठा सत्र, 2021

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी :-

(एक) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता और इसकी अनुषंगी कंपनियों के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता और इसकी अनुषंगी कंपनियों के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) केंद्रीय भंडारण निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय भंडारण निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उप-धारा (5) के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी) (चौथा संशोधन) विनियम, 2021, जो भारत के राजपत्र में दिनांक 2 सितम्बर, 2021 की अधिसूचना सं. ईपी.33(1)/2017 में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल) ने निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखे :-

(1) मसाला बोर्ड अधिनियम**, 1986** की धारा 39 के अंतर्गत मसाला बोर्ड (निर्यातकों का रजिस्ट्रीकरण) (संशोधन) विनियम, 2021 जो भारत के राजपत्र में दिनांक 1 नवम्बर, 2021 की अधिसूचना सं. एफ.सं. एमकेटी-आरईजीएन/0002/2017 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कॉफी अधिनियम, **1942** की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत कॉफी बोर्ड (संवर्ग और भर्ती) संशोधन नियम, 2021 जो भारत के राजपत्र में दिनांक 20 अक्तूबर, 2021 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 747(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 49 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) चाय (विपणन) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2021 जो 2 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3086(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) चाय (वितरण और निर्यात) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2021 जो 6 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3158(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) का.आ. 3415(अ) जो दिनांक 23 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो चाय अधिनियम, 1953 की धारा 12 से 16, धारा 39 और धारा 40 के प्रचालन के स्थगन के बारे में है।

(4) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 19 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 3317(अ) जो 16 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कोविड-19 रैपिड एंटीजन परीक्षण किट की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

(दो) का.आ. 3953(अ) जो 23 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पान के पत्तों की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

(तीन) का.आ. 3954 (अ) जो 23 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पारा निर्यात नीति में संशोधन करने और नीतिगत शर्त के अंत:स्थापन के बारे में है।

(चार) का.आ. 4066 (अ) जो 4 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो सिरिंज निर्यात नीति में संशोधन करने और नीतिगत शर्त का समावेश करने के बारे में है।

(पांच) का.आ. 4141 (अ) जो 7 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुआ था तथा जो लाल चन्दन लकड़ी निर्यात नीति में ढील दिए जाने के बारे में है।

(छह) का.आ. 4294 (अ) जो 14 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मेल्ट ब्लोन फैब्रिक निर्यात नीति में संशोधन करने के बारे में है।

(सात) का.आ. 4295 (अ) जो 14 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो सिरिंज निर्यात नीति में संशोधन करने के बारे में है।

(आठ) का.आ. 4296 (अ) जो 14 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो डायग्नॉस्टिक किट निर्यात नीति में संशोधन करने के बारे में है।

(नौ) का.आ. 4609 (अ) जो 8 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पशु उप-उत्पाद निर्यात नीति में संशोधन करने के बारे में है।

(दस) का.आ. 4014 (अ) जो 28 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विदेश व्यापार नीति 2015-2020 को 31.03.2022 तक समय विस्तार दिए जाने के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 3203 (अ) जो 9 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एकीकृत परिपथों (आईसी) की आयात नीति में संशोधन और आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय-85 के एचएस कोड 85423100, 85423900, 85423200, 85429000 और 85423300 की निर्यात नीति के समावेश के बारे में है।

(बारह) का.आ. 3204(अ) जो 9 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईईसी के संशोधन की अवधि को 31.08.2021 तक आगे बढ़ाए जाने और अगस्त, 2021 के दौरान किए गए आईईसी अद्‌यतन के लिए शुल्क माफ किए जाने के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 3215 (अ) जो 10 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 2.07 में संशोधन करने के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 3464(अ) जो 24 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) की आयात नीति अनुसूची-एक, (आयात) के बारे में सामान्य टिप्पण के पैरा 6(ख) के उपबंध को लागू किए जाने में ढील दिए जाने के बारे में है।

(पंद्रह) का.आ. 3560(अ) जो 31 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ

था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय-88 की नीतिगत शर्त संख्या 1 में संशोधन करने के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 3594(अ) जो 2 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 18 दिसम्बर, 2019 की अधिसूचना सं. 36/2015-2020 में स्पष्टीकरण का समावेश करने के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 3614(अ) जो 3 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 24.08.2021 की अधिसूचना सं. 20/2015-2020 के अनुक्रम में आयात पत्तनों को शामिल करने के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 3657(अ) जो 9 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी एचएस कोड 28054000 के अंतर्गत पारा आयात नीति में संशोधन और आईटीसी (एचएस), अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय-28 में नीतिगत शर्त सं. 03 के अंत:स्थापन के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 3708(अ) जो 13 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 24.08.2021 की अधिसूचना सं. 20/2015-20 के अनुक्रम में आयात की अंतिम तारीख के संबंध में स्पष्टीकरण के बारे में है।

(बीस) का.आ. 3803(अ) जो 16 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017 अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय-27 की नीतिगत शर्त सं. पांच में संशोधन करने के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 3966(अ) जो 25 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 24.08.2021 की अधिसूचना सं. 20/2015-20 तथा 03.09.2021 की अधिसूचना सं. 23/2015-20 के अनुक्रम में आयात पत्तनों को शामिल करने के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 4167(अ) जो 8 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 24.08.2021 की अधिसूचना सं. 20/2015-20, 03.09.2021 की अधिसूचना सं. 23/2015-20 तथा 25.09.2021 की अधिसूचना सं. 32/2015-2020 के अनुक्रम में आयात पत्तनों को शामिल करने के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 4594(अ) जो 3 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017 अनुसूची-एक (आयात नीति) में यूरिया आयात नीतिगत शर्त [एक्जिम कोड 31021000] में संशोधन करने के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 4794(अ) जो 22 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017 की अनुसूची (एक) के अध्याय-

71 और आईटीसी (एचएस), 2018 की अनुसूची (दो) के अंतर्गत आने वाले रफ डायमण्ड्स के आयात और निर्यात को नियंत्रित करने वाली नीतिगत शर्तों में संशोधन करने के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 3707(अ) जो 13 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 15 मई, 2021 की अधिसूचना सं. 1858(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(5) (एक) भारतीय मसाला बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय मसाला बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) भारतीय मसाला बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) चर्म निर्यात परिषद, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चर्म निर्यात परिषद, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) खेल सामान निर्यात संवर्द्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) खेल सामान निर्यात संवर्द्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एसटीसीएल लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एसटीसीएल लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(9) तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 30 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 4437(अ) जो 25 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन फसल सीजन 2021-22 के लिए नीलामियों के दौरान कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य में व्यापारियों/डीलरों को दोनों राज्यों में से अपने नीलामी प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित अधिशेष फ्ल्यू उपचारित वर्जिनिया तम्बाकू और गैर-पंजीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित अनधिकृत फ्ल्यू उपचारित वर्जिनिया तम्बाकू खरीदने की अनुमति देने के लिए तम्बाकू बोर्ड को प्राधिकृत किया गया है।

(दो) का.आ. 4438(अ) जो 25 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा फसल सीजन 2021-22 में नीलामियों के दौरान कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य में उक्त अधिनियम की धारा 14क की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 10 की उप-धारा (1) के उपबंधों के प्रचालन में ढील दी गयी है तथा तम्बाकू बोर्ड द्वारा प्राधिकृत नीलामी प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत उत्पादकों की अधिशेष फ्ल्यू उपचारित वर्जिनिया तम्बाकू और गैर-पंजीकृत उत्पादकों की अनधिकृत फ्ल्यू उपचारित वर्जिनिया तम्बाकू खरीदने की अनुमति दी गयी है।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव चन्द्रशेखर) ने आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (शास्तियों का अधिनिर्णयन) नियम, 2021 जो 2 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.772(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) आधार (अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य निर्धारण) विनियम, 2021 (2021 का संख्यांक 1) जो 14 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. के-11022/632/2019/प्राधि./ यूआईडीएआई (2021 का संख्यांक 1) में प्रकाशित हुए थे।

(3) आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021 जो 9 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. के-11020/240/2021/प्राधि./यूआईडीएआई (2021 का संख्यांक 2) में प्रकाशित हुए थे।

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज' रिसर्च एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज' रिसर्च एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) ने पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 160 के अंतर्गत पेटेंट (संशोधन) नियम, 2021 जो 21 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 646(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

4. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

श्री अधीर रंजन चौधरी ने लोक लेखा समिति (2021-22) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) *'पूंजीगत राजसहायता के संवितरण के बारे में योजना उद्देश्यों को कार्यान्वित करने में विफलता' संबंधी 39वां प्रतिवेदन*।

(2) *'विशेष आर्थिक क्षेत्रों का कार्यनिष्पादन' के बारे में समिति के 90वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 40वां प्रतिवेदन*।

(3) 'सम्पदा निदेशालय का कार्यकरण' के बारे में 41वां प्रतिवेदन।

(4) 'स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों (2018-19) से अधिक व्यय' के बारे में 42वां प्रतिवेदन।

(5) 'दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का अधिग्रहण और विकास' के बारे में समिति के 135वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 43वां प्रतिवेदन।

----

5. रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री जुएल ओराम ने रक्षा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) 'सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक, रक्षा सम्पदा संगठन, सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों, कैंटीन भंडार विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण और रक्षा पेंशन (मांग सं. 18 और 21)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2021-22 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति का तेईसवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(2) 'थल सेना, नौ सेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना और सैनिक स्कूलों (मांग सं. 19 और 20)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2021-22 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के बीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति का चौबीसवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(3) 'रक्षा सेवाओं संबंधी पूंजीगत परिव्यय, खरीद नीति, रक्षा आयोजना और विवाहित आवास परियोजना (मांग सं. 20)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2021-22 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति का पच्चीसवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

------

* 39वां और 40वां प्रतिवेदन 11.8.2021 को राज्य सभा के पटल पर पहले ही रखे जा चुके हैं और 6.10.2021 को माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को प्रस्तुत किए गए।

अपराह्न 12.04 बजे

6. मंत्रियों द्वारा विवरण

(1) रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) ने रेल मंत्रालय से संबंधित 'रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण सहित यात्री सुविधाओं' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश) ने वस्त्र मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2021-2022)' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22), (मांग सं. 11) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 160वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(4) संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवुसिंह चौहान) ने डाक विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित "अनुदानों की मांगों (2021-22)" के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

[*]अपराह्न 12.07 बजे

7. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि इस सभा के सदस्य कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) नियम, 1986 के नियम 3 के साथ पठित एपीईडीए अधिनियम, 1985 की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (घ) के अनुसरण में, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(लोक सभा अपराह्न 1.17 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.18 बजे पुनः समवेत हुई)

[*] अपराह्न 12.08 बजे से अपराह्न 1.17 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 2.18 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:-

(1) श्री रवि किशन द्वारा फिल्म निर्माण से जुड़े हुए कामगारों की वित्तीय सुरक्षा का उपबंध करने वाला कानून बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(2) श्रीमती सुनीता दुग्गल द्वारा हरियाणा के सिरसा और फतेहाबाद जिलों में झींगा मछली पालन को बढ़ावा देने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(3) श्री गोपाल जी ठाकुर द्वारा कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार का केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(4) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के भाग के रूप में मेरठ में रेलवे फ्रेट हेतु गुड्स साइडिंग का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(5) श्री खगेन मुर्मु द्वारा पश्चिम बंगाल में मालदा में एक विमानपत्तन स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(6) श्रीमती गोमती साय द्वारा छत्तीसगढ़ में रायगढ़ से सरायपाली तक एनएच-153 के निर्माण में शीघ्रता लाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(7) श्री राजू बिष्ट द्वारा संगाई हिरन और लोकटक झील के संरक्षण हेतु समग्र योजना बनाए जाने के बारे में ।

(8) श्री अनुराग शर्मा द्वारा बुंदेली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(9) श्रीमती जसकौर मीना द्वारा राजस्थान के दौसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की समस्या के बारे में ।

(10) श्री मुकेश राजपूत द्वारा उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्राचीन शिव मंदिर 'टेढ़े महादेव शिवलिंग' का कायाकल्प किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(11) श्री अजय निषाद द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रातःकाल और सांय काल स्थानीय रेल गाड़ियों के फेरों में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(12) श्री रतन लाल कटारिया द्वारा हरियाणा के अम्बाला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बांध के निर्माण के बारे में ।

(13) श्री परबतभाई सवाभाई पटेल द्वारा गुजरात के बनासकांठा संसदीय निवार्चन क्षेत्र में समपार संख्या 166 और 41 के समीप स्थित गांवों के किसानों को रेलवे लाइनों के आर-पार जाने हेतु रास्ता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(14) श्री अब्दुल खालेक द्वारा सीएए के निरसन के बारे में ।

(15) श्री प्रद्युत बोरदोलोई द्वारा हाल ही में अनुमोदित हुए ऑयल पाम संबंधी मिशन के बारे में ।

(16) श्री एस.आर पार्थिबन द्वारा तमिलनाडु इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में ।

(17) श्रीमती गोड्डेति माधवी द्वारा न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाए जाने के बारे में ।

(18) श्री कोटागिरी श्रीधर द्वारा स्वच्छतापूर्वक भोजन बनाने हेतु सौर ऊर्जा के प्रयोग के बारे में ।

(19) श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा आरामबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डाकघर चलाए जाने में आ रही समस्याओं के बारे में ।

(20) डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा अम्बरनाथ रेलवे स्टेशन को हेरिटेज स्टेशन घोषित किए जाने के बारे में ।

(21) श्री सुनील कुमार द्वारा बिहार के वाल्मीकि नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गांवों का विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(22) श्री चंद्र शेखर साहू द्वारा ओडिशा में अधिक संख्या में मोबाइल बेस स्टेशन स्वीकृत किए जाने के बारे में ।

(23) श्री एम. सेल्वराज द्वारा तिरुवरूर से कराईकुडी तक रेल सेवा को पूर्णरुपेण आरंभ किए जाने तथा चेन्नई-कराईकुडी खंड पर रेल सेवाएं पुनः आरंभ किए जाने के बारे में ।

अपराहन 2.19 बजे

9. सरकारी विधेयक - पारित

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) विधेयक, 2021

लिया गया समय: 5 घंटे 41 मिनट

श्री किरेन रिजीजू द्वारा विधेयक पर विचार किये जाने के लिए प्रस्ताव पर आगे चर्चा की गयी।

श्री किरेन रिजीजू ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और3 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री किरेन रिजीजू ने विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

अपराहन 3.23 बजे

10. सरकारी विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन - सहमति हुई

**बाँध सुरक्षा विधेयक, 2019*

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, लोक सभा द्वारा यथापारित, में राज्य सभा द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाये।

<u>अधिनियमन सूत्र</u>

1. कि पृष्ठ **1,** पंक्ति 1 में**,** शब्द "सत्तरवें" ***<u>के स्थान पर</u>*** "बहत्तरवें" ***<u>प्रतिस्थापित</u>*** करें।

---

* **विधेयक लोक सभा द्वारा 2 अगस्त, 2019 को पारित किया गया था, और राज्य सभा को उसकी सहमति के लिए भेजा गया। राज्य सभा ने 2 दिसम्बर, 2021 को हुई अपनी बैठक में विधेयक संशोधनो के साथ पारित किया और इसे 3 दिसम्बर, 2021 को लोक सभा को लौटा दिया।**

<u>खंड 1</u>

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 5 में, "2019" अंकों ***<u>के स्थान पर</u>*** "2021" ***<u>प्रतिस्थापित</u>*** करें।

विचार के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने यह प्रस्ताव किया कि सभा विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमत हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और संशोधनों पर सहमति हुई।

अपराहन 3.25 बजे

11. नियम 193 के अंतर्गत चर्चा

लिया गया समय 2 घंटे 37 मिनट

अध्यक्ष ने जलवायु परिवर्तन पर चर्चा के महत्व के बारे में एक टिप्पणी* की।

तत्पश्चात, श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि ने जलवायु परिवर्तन पर चर्चा उठाई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. डॉ. संजय जायसवाल
2. श्री अधीर रंजन चौधरी
3. %श्री भूपेन्द्र यादव (हस्तक्षेप किया)
4. डॉ. (श्रीमती) काकोली घोष दस्तीदार
5. श्री कोटागिरी श्रीधर
6. श्री राहुल रमेश शेवाले
7. श्री दिलेश्वर कामैत
8. श्री अच्युतानंद सामंत
9. श्री रितेश पाण्डेय
10. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील
11. श्री प्रद्युत बोरदोलोई

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.02 बजे

(लोक सभा गुरूवार, 9 दिसम्बर, 2021 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

---

* मूल हिंदी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

% **पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्री।**

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरूवार, 9 दिसम्बर, 2021/ 18 अग्रहायण, 1943 (शक)

संख्या 140

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. मंत्री द्वारा स्व-प्रेरणा वक्तव्य

रक्षा मंत्री (श्री राज नाथ सिंह) ने बुधवार, 8 दिसम्बर, 2021 को जनरल बिपिन रावत, सीडीएस और अन्य सशस्त्र बल कार्मिकों को ले जा रहे सैन्य हैलीकॉप्टर की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के बारे में एक वक्तव्य दिया।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

2. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने 8.12.2021 को सैन्य हैलीकॉप्टर की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत, सीडीएस और अन्य सशस्त्र बल कार्मिकों की मृत्यु के बारे में एक दु:खद उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्य दिवंगत आत्माओं की स्मृति में थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

3. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 161,162,164 और 166 के मौखिक उत्तर दिए गए। जिन सदस्यों के नाम पर तारांकित प्रश्न 163 और 165 सूचीबद्ध थे, वे अनुपस्थित रहे। तथापि, संबंधित मंत्रियों ने उत्तरों को सभा पटल पर रखा। तारांकित प्रश्न संख्या 163 और 165 पर सदस्यों द्वारा पूरक प्रश्न पूछे गये। तारांकित प्रश्न संख्या 167-180 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1841-2070 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 45 की उपधारा (2) के अंतर्गत राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2020, जो 19 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.एवी/28060/4/2018-एसडीआईटी(ईआर)-एमओसीए में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, वित्त संवर्ग (उप महाप्रबंधक (वित्त और लेखा), प्रबंधक (वित्त और लेखा), उप प्रबंधक (वित्त और लेखा), सहायक प्रबंधक (वित्त और लेखा) और लेखाकार) (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2020 जो 04 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 11012/248/2015-प्रशासन में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) तीसरा संशोधन विनियम, 2020 जो 20 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 11012/248/2015-प्रशासन में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सदस्यों की पदावधि तथा सेवा की अन्य शर्तें) चौथा संशोधन नियम, 2015 जो 12 अक्तूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 774(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सदस्यों की पदावधि तथा सेवा की अन्य शर्तें) (संशोधन) नियम, 2017 जो 6 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1370(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2021 जो 12 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 792(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) उपर्युक्त (2) की मद संख्या (एक) से (चार) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.3092(अ) जो 2 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-7 के किलोमीटर 229/2 से 243/6 किलोमीटर तक रीवा बाईपास की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(दो) का. आ. 3166 (अ) जो 6 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग- 46) के डिजाइन किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 8.310 (विद्यमान किलोमीटर 0.000 से

किलोमीटर 8.310) तक और डिजाइन किलोमीटर 20.700 से किलोमीटर 61.500 (विद्यमान किलोमीटर 20.700 से किलोमीटर 63.000) तक ओबेदुल्लागंज से ईटारसी खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तीन) का. आ. 3358 (अ) जो 17 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-46) के डिजाइन किलोमीटर 255.300 से किलोमीटर 301.200 (विद्यमान किलोमीटर 255.300 से किलोमीटर 301.200) तक गौहरगंज से भोपाल खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चार) का. आ. 3412 (अ) जो 19 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 75/76 के डिजाइन किलोमीटर 124.732 से किलोमीटर 162.132 तक झांसी-खजुराहो खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग-75 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-39) के किलोमीटर 57.936 से किलोमीटर 74.000 तक बमीठा-सतना खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पांच) का. आ. 3459 (अ) जो 24 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 354ड़ के डिजाइन किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 50.885 तक डबवाली-सितुगुन्नो-अबोहर खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(छह) का. आ. 3506 (अ) जो 26 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 95 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 के डिजाइन किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 86.199 तक और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (रूपनगर की ओर) के किलोमीटर 0.445 भाग तक चंडीगढ़ लुधियाना खंड की चार और अधिक लेन खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सात) का. आ. 3589 (अ) जो 2 सितंबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 53 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 6) के डिजाइन चैनेज किलोमीटर 360.000 से किलोमीटर 422.700 (विद्यमान चैनेज किलोमीटर 359.310 से किलोमीटर 423.680 तक चिखाली-तरसोड खंड के लिए दिनांक 29 अप्रैल, 2021 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1711(अ) में संशोधन किए जाने के बारे में हैं।

(आठ) का. आ. 3590 (अ) जो 2 सितंबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-219) के डिजाइन किलोमीटर 58.600 से किलोमीटर 140.040 (विद्यमान किलोमीटर 58.600 से किलोमीटर 140.680) तक पलामानेरू से कृष्णागिरी खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(नौ) का. आ. 3616 (अ) जो 3 सितंबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 (पुराना राज्य राजमार्ग 107) के डिजाइन किलोमीटर 15.320 से किलोमीटर 85.204 (राज्य राजमार्ग 107 के विद्यमान किलोमीटर 15.700 से किलोमीटर 81.400) तक गुंडुगोलानू-देवारापल्ली-कोवुरु खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(दस) का. आ. 3620 (अ) जो 6 सितंबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा

जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730 के डिजाइन किलोमीटर 140.000 से किलोमीटर 188.826 (विद्यमान किलोमीटर 140.000 से किलोमीटर 188.800) तक लखीमपुर-सिसैया खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(ग्यारह) का. आ. 3654 (अ) जो 9 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के किलोमीटर 380.000 से किलोमीटर 440.000 तक पिम्पलगांव-नासिक-गोंडे खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बारह) का. आ. 3655 (अ) जो 9 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 552 के विस्तार के मिहोना से लाहर से दबोह खंड के डिजाइन किलोमीटर 2.800 से किलोमीटर 10.955 और डिजाइन किलोमीटर 17.335 से किलोमीटर 36.540 और दबोह से भंदेर से उत्तर प्रदेश सीमा खंड के डिजाइन किलोमीटर 40.230 से किलोमीटर 70.525 और डिजाइन किलोमीटर 76.900 से किलोमीटर 89.860 तक परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तेरह) का. आ. 3759 (अ) जो 15 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग- 4 की हुबली-धारवाड़ बाईपास की परियोजना के लिए दिनांक 22 जुलाई, 2020 की अधिसूचना सं. का.आ. 2414(अ) में प्रकाशित प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना में संशोधन के बारे में है।

(चौदह) का. आ. 3955 (अ) जो 14 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 78) मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ सीमा से सूरजपुर खंड तक डिजाइन किलोमीटर 245.000 से किलोमीटर 323.100 (विद्यमान किलोमीटर 245.000 से किलोमीटर 331.000) तक की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पंद्रह) का. आ. 3965 (अ) जो 25 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 27 के किलोमीटर 536.000 से किलोमीटर 430.100 (लंबाई 105.900 किलोमीटर) तक पालनपुर-राधनपुर-समखियाली खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सोलह) का. आ. 4074 (अ) जो 5 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग- 731 और नया राष्ट्रीय राजमार्ग-31) के डिजाइन किलोमीटर 209.230 से किलोमीटर 272.590 तक (विद्यमान किलोमीटर 205.000 से किलोमीटर 263.000 तक) सुलतानपुर-वाराणसी खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सत्रह) का. आ. 4211 (अ) जो 11 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1) के किलोमीटर 387.100 से किलोमीटर 456.100 तक जालंधर से अमृतसर खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 4212(अ) जो 12 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 168 के 0.00 डिजाइन किलोमीटर से 42.420 किलोमीटर तथा 43.250 डिजाइन किलोमीटर से 68.174 किलोमीटर तक थराड-धनेरा-

पंथवाड़ा खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 4213(अ) जो 12 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में एनएच-334ख के 0.000 किलोमीटर से 44.800 किलोमीटर तक उत्तर प्रदेश/हरियाणा सीमा से रोहना खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बीस) का.आ. 4214(अ) जो 12 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (पुराना एनएच-59क) के 129.000 डिजाइन किलोमीटर से 271.400 किलोमीटर तक के खण्ड के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 4497(अ) जो 28 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 168क के 0.00 डिजाइन किलोमीटर से 33.600 किलोमीटर (मौजूदा 0.00 किलोमीटर से 33.600 किलोमीटर) तक संचोरे से धनेरा से दीसा रोड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 4588(अ) जो 2 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 (नया एनएच-25) के 0.000 किलोमीटर से 109.655 किलोमीटर (मौजूदा चेनेज/0.00 किलोमीटर से 111.000 किलोमीटर) तक बार-बिलारा-जोधपुर खण्ड की चार लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 4593(अ) जो 3 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में एनएच-27 के 589.600 किलोमीटर से 536.000 किलोमीटर (लम्बाई 53.600 किलोमीटर) तक पालनपुर-राधनपुर-समखियाली खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 4765(अ) जो 17 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नया एनएच-44) के 546.420 डिजाइन किलोमीटर से 653.770 किलोमीटर तक लखनडोन से मोहगांव से खवासा से मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(5) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड नियम, 2021 जो 6 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 615(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अधिसूचना सं. आरटी-25014/1/2015-आरएस जो 29 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन किया गया है।

(तीन) का.आ. 3627(अ) जो 6 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन किया गया है।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2021-22 के वार्षिक बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए), गुड़गांव के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए), गुड़गांव के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) (एक) विनियामक मंच, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 से 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विनियामक मंच, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 से 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत विद्युत (पारेषण प्रणाली आयोजना, विकास और अंतर-राज्यीय पारेषण प्रभारों की वसूली) नियम, 2021 जो 1 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 711(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 59 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी दामोदर घाटी निगम (कामकाज का संचालन) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 16 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ सं.01/01/2020-डीवीसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 97 के अंतर्गत भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (संशोधन) नियम, 2021 जो 16 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 573(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) (एक) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति ।

(दो) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) (एक) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) (एक) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एण्ड पॉलीमर लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एण्ड पॉलीमर लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:

(1) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) महाराष्ट्र मेट्रो रेल लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र मेट्रो रेल लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) मेट्रो रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 1 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 3956(अ) जो 24 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो नागपुर मेट्रो रेल परियोजना फेज-। के 'जीरो माइल' मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर 'जीरो माइल फ्रीडम पार्क' किए जाने के बारे में है।

(दो) का.आ. 4447(अ) जो 26 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो सूरत मेट्रो रेल परियोजना कॉरिडोर-। और कॉरिडोर-।। के संरेखण के बारे में है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) पोलावरम परियोजना प्राधिकरण, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पोलावरम परियोजना प्राधिकरण, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जॉन बर्ला) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) हज कमेटी ऑफ़ इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) हज कमेटी ऑफ़ इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) हज कमेटी ऑफ़ इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) मौलाना आजाद एजूकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत ने " **'बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ'** योजना के विशेष संदर्भ में शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तीकरण" विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री राजेन्द्र अग्रवाल ने सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) "आश्वासनों को छोड़ने के लिए अनुरोध (स्वीकार किए गए)" से संबंधित 52वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(2) "आश्वासनों को छोड़ने के लिए अनुरोध (स्वीकार नहीं किए गए)" से संबंधित 53वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

8. कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री कुनार हेम्ब्रम ने कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) इस्पात मंत्रालय से संबंधित "इस्पात पीएसयू में सीएसआर क्रियाकलाप" के बारे में 48वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों संबंधी पहले प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(2) "खान मंत्रालय के अधीन पीएसयू द्वारा सीएसआर क्रियाकलाप" के बारे में 49वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों संबंधी दूसरे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(3) कोयला मंत्रालय से संबंधित "अनुदानों की मांगों (2019-20)" के बारे में तीसरे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों संबंधी दसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(4) इस्पात मंत्रालय से संबंधित "अनुदानों की मांगों (2019-20)" के बारे में पांचवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों संबंधी बारहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(5) कोयला मंत्रालय से संबंधित "अनुदानों की मांगों (2020-21)" के बारे में छठे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों संबंधी तेरहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(6) इस्पात मंत्रालय से संबंधित "अनुदानों की मांगों (2020-21)" के बारे में आठवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों संबंधी पंद्रहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(7) कोयला मंत्रालय से संबंधित "अनुदानों की मांगों (2021-22)" के बारे में सोलहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों संबंधी बाईसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(8) खान मंत्रालय से संबंधित "अनुदानों की मांगों (2021-22)" के बारे में सत्रहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों संबंधी तेईसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(9) इस्पात मंत्रालय से संबंधित "अनुदानों की मांगों (2021-22)" के बारे में अठारहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों संबंधी चौबीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(10) कोयला मंत्रालय से संबंधित "कोयला संरक्षण और देश में कोयला ढुलाई के लिए अवसंरचना का विकास" के बारे में उन्नीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों संबंधी पच्चीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(11) इस्पात मंत्रालय से संबंधित "पट्टे पर दी गई लौह अयस्क खानों का विकास और इष्टतम उपयोग क्षमता" के बारे में बीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों संबंधी छब्बीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

9. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती मंजुलता मंडल ने वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में समिति के 159वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 165वां प्रतिवेदन।

(2) उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में समिति के 160वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 166वां प्रतिवेदन।

***अपराह्न 12.04 बजे**

10. मंत्रियों द्वारा विवरण

(1) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री **(**जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(एक) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 251वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 263वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(तीन) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 276वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने विद्युत मंत्रालय से संबंधित "वाणिज्यिक हानियों को रोकने के उपाय" के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(लोक सभा अपराह्न 1.31 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.32 बजे पुन: समवेत हुई)

---

* अपराह्न 12.08 बजे से अपराह्न 1.31 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाये।

अपराह्न 2.32 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:-

1. श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर द्वारा माधा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्थित रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद रिसर्च एंड हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज में नामांकन में कथित अनियमितता के बारे में ।
2. श्री रामदास सी. तडस द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के निर्माण के लिए इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में बने घरों के समतुल्य धनराशि का आबंटन किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
3. श्रीमती रीती पाठक द्वारा मध्य प्रदेश के सीधी जिला मुख्यालय में एक विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
4. श्री अशोक महादेवराव नेते द्वारा महाराष्ट्र के गढ़चिरौली'-चिमूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के मानदंडों में ढील दिए जाने के बारे में ।
5. श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारत पम्प एंड कम्प्रेशर लिमिटेड की नीलामी के बारे में ।
6. श्री दिलीप शइकीया द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 को चार लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
7. श्री छतर सिंह दरबार द्वारा मध्य प्रदेश के धार जिले को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
8. श्री गिरीश भालचन्द्र बापट द्वारा पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी की निसर्ग ग्राम परियोजना के निर्माण के बारे में ।
9. श्री धर्मवीर सिंह द्वारा अलवर-दादरी रेल लाइन को स्वीकृत कर उसका निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
10. डॉ निशिकांत दुबे द्वारा संथाल परगना क्षेत्र में तीन केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना के बारे में ।
11. डॉ. मनोज राजोरिया द्वारा 'राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2019'को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किए जाने के बारे में ।
12. श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे द्वारा महाराष्ट्र के लातूर जिले की चाकूर तहसील में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की एक अतिरिक्त शाखा खोले जाने की आवश्यकता के बारे में ।
13. श्री अरुण कुमार सागर द्वारा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में खेलो इण्डिया कार्यक्रम के अंतर्गत एक स्पोर्ट्स स्टेडियम की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
14. श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के मिश्रिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मनधना और मकनपुर के बीच स्थित समपारों पर अंडर पास एवं रेल उपरि पुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

15. सुश्री एस.जोतिमणि द्वारा करुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे भूमिगत पारपथों में पानी का जमाव होने के बारे में ।
16. श्री वी. कलानिधि द्वारा उत्तर चेन्नै में एक नया केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने के बारे में ।
17. श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी द्वारा भूतपूर्व सैनिकों की तैनाती के बारे में ।
18. श्री दिलेश्वर कामैत द्वारा बिहार के सुपौल जिले को आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
19. श्री श्याम सिंह यादव द्वारा उत्तर प्रदेश के जौनपुर स्थित मेडिकल कॉलेज से संबंधित समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
20. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर द्वारा देश में विचाराधीन कैदियों की स्थिति के बारे में ।
21. श्री पी. रविन्द्रनाथ द्वारा अनयमलयापट्टी स्थित अंगूर अनुसंधान केन्द्र को आईसीएआर के अंतर्गत एक नियमित केन्द्र के रूप में शामिल किए जाने के बारे में ।

अपराहन 2.33 बजे

12. (एक) सांविधिक संकल्प - अस्वीकृत;

(दो) सरकारी विधेयक - पारित

लिया गया समय: 4 घंटे 58 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदों को एक साथ लिया गया:-

(एक) केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 9) का निरनुमोदन करने वाला सांविधिक संकल्प।

(दो) केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021

(तीन) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 10) का निरनुमोदन करने वाला सांविधिक संकल्प।

(चार) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2021

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:-

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 14 नवम्बर, 2021 को केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 9) का निरनुमोदन करती है।"

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किये जाने के लिए प्रस्ताव डॉ. जितेन्द्र सिंह द्वारा पेश किया गया।

श्री मनीश तिवारी ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:-

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 14 नवम्बर, 2021 को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 10) का निरनुमोदन करती है।"

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किये जाने के लिये प्रस्ताव डॉ. जितेन्द्र सिंह द्वारा पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर
2. श्री ए. राजा
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री तालारी रंगैय्या
5. श्री विनायक भाऊराव राऊत
6. श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह
7. श्री भर्तृहरि महताब
8. श्रीमती सुप्रिया सुले
9. श्री अधीर रंजन चौधरी
10. डॉ. सत्य पाल सिंह
11. एडवोकेट ए.एम.आरिफ
12. श्री रितेश पाण्डेय
13. श्री बैन्नी बेहनन
14. प्रो. सौगत राय
15. श्री बृजेन्द्र सिंह
16. श्री कुरुवा गोरंतला माधव
17. श्री असादुद्दीन औवेसी
18. श्री हनुमान बेनीवाल
19. डॉ. डी. रविकुमार
20. श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी
21. श्रीमती सुनीता दुग्गल
22. सुश्री एस.जोतिमणि
23. कुंवर दानिश अली
24. श्री थॉमस चाज़िकाडन
25. श्री थोलकाप्पियन तिरूमावलवन

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

(एक) श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा पेश किये गये केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 9) का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प को मतदान के लिए रखा और अस्वीकृत किया गया।

(दो) विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

(तीन) श्री मनीश तिवारी द्वारा पेश किये गये दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 10) का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प को मतदान के लिए रखा और अस्वीकृत किया गया।

(चार) विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

सायं 7.31 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 2021 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 2021/ 19 अग्रहायण, 1943 (शक)

संख्या 141

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 183 के साथ युग्मित 181, 184,185 और 187-190 के मौखिक उत्तर दिए गए। जिन सदस्यों के नाम पर तारांकित प्रश्न 182 और 186 सूचीबद्ध थे, वे अनुपस्थित रहे। तथापि, संबंधित मंत्रियों ने उत्तरों को सभा पटल पर रखा। तारांकित प्रश्न संख्या 182 पर पूरक प्रश्न पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 186 पर कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा गया। तारांकित प्रश्न संख्या 191-200 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2071-2300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 2020-2021 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) मुरगांव पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मुरगांव पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) मुरगांव पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) मुरगांव पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 2020-2021 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) नव मंगलूरु पत्तन न्यास, नव मंगलूरु के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नव मंगलूरु पत्तन न्यास, नव मंगलूरु के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) नव मंगलूरु पत्तन न्यास, नव मंगलूरु के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) नव मंगलूरु पत्तन न्यास, नव मंगलूरु के वर्ष 2020-2021 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) नाविक भविष्य निधि संगठन, मुम्बई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नाविक भविष्य निधि संगठन, मुम्बई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 73 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) महापत्तन प्राधिकरण (लेखा और लेखा परीक्षा) नियम, 2021 जो 23 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 820(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) महापत्तन प्राधिकरण (मास्टर प्लान और गैर-पत्तन संबंधी उपयोग से निधियों का अनुप्रयोग) नियम, 2021 जो 23 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 821(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) महापत्तन प्राधिकरण (कारपोरेट सामाजिक दायित्व) नियम, 2021 (2021 का संख्यांक 1) जो 23 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 823(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) महापत्तन प्राधिकरण (दर, शुल्क और शर्तों का निर्धारण और कार्यान्वयन) नियम, 2021

जो 23 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 824(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) महापत्तन प्राधिकरण (ऋणशोधन निधि में धन का अनुप्रयोग) नियम, 2021 जो 23 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 825(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(9) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उप-धारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 725(अ) जो 8 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा चेन्नई पत्तन न्यास (लाइसेंसिंग ऑफ़ स्टीवडोरिंग एण्ड शोर हैण्डलिंग) विनियम, 2021 को अनुमोदित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) ने विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री **(**प्रो. एस.पी. सिंह बघेल) की ओर निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 की धारा 24 की उप-धारा(3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (दूसरा संशोधन) नियम**,** 2021 जो 4 अगस्त**,** 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 531(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम**,** 2021 जो 18 मार्च**,** 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 200(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) संशोधन नियम**,** 2020 जो 18 मार्च**,** 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 14(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) की मद सं. (दो) और (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 24 की उप-धारा(3) के अंतर्गत उच्च न्यायालय न्यायाधीश यात्रा भत्ता संशोधन नियम**,** 2020 जो 8 जनवरी**,** 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 13(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा

समीक्षा।

(दो) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) डिफेंस इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डिफेंस इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 347 की उप-धारा (4) के अंतर्गत छावनी बोर्ड कर्मचारी सेवा नियम, 2021 जो 14 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 16(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) निम्नलिखित केन्द्रों के वर्ष 2020-2021 के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे:-

(एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (जेएसएस आर्थिक अनुसंधान संस्थान), धारवाड़।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (आर्थिक विकास संस्थान), दिल्ली।

(तीन) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (केरल विश्वविद्यालय), तिरुवनंतपुरम।

(2) मद सं. (1) में उल्लिखित जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) न्यू ड्रग्स एण्ड क्लीनिकल ट्रायल्स (संशोधन) नियम, 2021, जो 31 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.605(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) औषध (पांचवां संशोधन) नियम, 2021, जो 27 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 766(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 की धारा 6 की उप-धारा (3) के अंतर्गत गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) नियम, 2021 जो 12 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.730(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पादों का पौष्टिकता संवर्धन) पहला संशोधन विनियम, 2021 जो 31 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. मानक/एसपी-18/ए-1.12/एन-1 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. **राज्य सभा से संदेश**

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:-

(एक) कि राज्य सभा 8 दिसम्बर, 2021 को हुई अपनी बैठक में सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2021, लोक सभा द्वारा यथापारित, पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) कि राज्य सभा 9 दिसम्बर, 2021 को हुई अपनी बैठक में राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2021, लोक सभा द्वारा यथापारित, पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई ।

5. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. सत्यपाल सिंह ने गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) गृह मंत्रालय की ''अनुदानों की मांगों (2021-22)'' संबंधी 231वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 235वां प्रतिवेदन।

(2) कोविड-19 महामारी का प्रबंधन और उससे संबंधित मुद्दों के बारे में 229वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 236वां प्रतिवेदन।

6. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री सुरेश कुमार पुजारी ने कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित चार प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में समिति के 106वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 108वां प्रतिवेदन।

(2) विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में समिति के 107वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 109वां प्रतिवेदन।

(3) ''पेंशनभोगियों की शिकायतें - पेंशन अदालतों तथा केन्द्रीकृत पेंशनभोगी शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीईएनजीआरएएमएस) का प्रभाव'' संबंधी 110वां प्रतिवेदन।

(4) 'भारत सरकार के शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत बनाने' संबंधी 111वां प्रतिवेदन।

7. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) के लिए लोक सभा के एक सदस्य के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

डॉ. मनसुख मांडविया ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

''कि इस सभा के सदस्य अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) अधिनियम, 1956 की धारा 6(3) के साथ पठित धारा 4(छ) के अनुसरण में, ऐसे रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन श्री रामस्वरूप शर्मा, जिनका 17.03.2021 को निधन हो गया है, *के स्थान पर* अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2021-22) के साथ राज्य सभा के एक सदस्य को सहयोजित किए जाने के लिए प्रस्ताव

श्री राजेश वर्मा ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा डॉ. बांडा प्रकाश, जिन्होंने राज्य सभा से त्यागपत्र दे दिया है, *के स्थान पर* अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की शेष अवधि के लिए समिति के

साथ सहयोजित किए जाने के लिए राज्य सभा के एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.06 बजे

9. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सोमवार, 13 दिसम्बर, 2021 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.08 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:-

(1) श्री जनार्दन मिश्र द्वारा मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्वीकृत सड़क परियोजनाओं के निर्माण के बारे में।

(2) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा देश में दुर्लभ मृदा खनिजों के लिए प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों के विकास के बारे में।

(3) श्री प्रदीप कुमार सिंह द्वारा बिहार के अररिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मक्का निर्यात संवर्धन योजनाओं और मक्का आधारित उद्योग के बारे में।

(4) श्री गणेश सिंह द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) डॉ. हिना विजयकुमार गावीत द्वारा महाराष्ट्र के नन्दुरबार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली मुहैया कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा झारखंड के चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक नया मेडिकल कॉलेज खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री विवेक नारायण शेजवलकर द्वारा कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की विधिक गांरटी दिए जाने के संबंध में किसानों की मांग के बारे में।

(8) श्री संजय सेठ द्वारा देश में समान नागरिक संहिता तैयार किए जाने एवं लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री रामचरण बोहरा द्वारा राजस्थान के जयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समपार संख्या-73 पर रेल उपरि पुल / रेल भूमिगत पार पथ का निर्माण तथा भूमिगत पार पथ संख्या-74 के आयामों में बदलाव किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री चुन्नी लाल साहू द्वारा छत्तीसगढ़ के महासमंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के किसानों के बैंक खातों में किसान सम्मान निधि की धनराशि जमा कराया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखेपाटील द्वारा उड़ान योजना के अंतर्गत मुम्बई और शिरडी के बीच रोज एक सीधी विमान सेवा शुरू किए जाने के बारे में।

(12) श्री के. मुरलीधरन द्वारा सहकारी समितियों के बारे में आरबीआई द्वारा जारी किए गए एक परिपत्र को वापस लेने के बारे में।

(13) श्री के. सुधाकरन द्वारा कियाल को एक हज एम्बारकेशन प्वांइट के रूप में सम्मिलित किए जाने के बारे में।

(14) श्री मणिक्कम बी. टैगोर द्वारा कड़ाईकुड्डी में नीरी का एक कार्यालय खोले जाने के बारे में।

(15) श्री के. षणमुग सुंदरम द्वारा पोल्लाची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मडुक्करई के नजदीक रेल गाड़ी से हाथियों के मारे जाने के बारे में।

(16) श्री पी. वेलुसामी द्वारा तमिलनाडु में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सड़क अवसंरचना का विकास किए जाने के बारे में।

(17) डॉ. बी.वी. सत्यवती द्वारा अनकापल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित कुछ मंदिरों को प्रसाद योजना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने के बारे में।

(18) श्री राजेन्द्र गावित द्वारा पालघर जिले में सिकल सेल स्वयंसेवियों की नियुक्ति के बारे में।

(19) श्री हसनैन मसूदी द्वारा जम्मू एण्ड कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में।

(20) श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी द्वारा सीसीएल के कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षु कार्यक्रम में प्रशिक्षुता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कोल इंडिया लिमिटेड (सीसीएल) में नियुक्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे द्वारा महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-753एफ की मरम्मत कराए जाने और उसे चार लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री राहुल कस्वां द्वारा राजस्थान के चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नोहर-सिधमुख क्षेत्र को भाखड़ा मेन लाइन से जल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.11 बजे

11. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय : 6 घंटे 26 मिनट

श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि द्वारा 8 दिसम्बर, 2021 को जलवायु परिवर्तन पर उठाई गई चर्चा पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री रमेश बिधूड़ी
2. * श्री मनोज किशोरभाई कोटक
3. * सुश्री राम्या हरिदास
4. * श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
5. * डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
6. * डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.
7. * श्री कौशलेन्द्र कुमार
8. * श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
9. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन
10. * श्री एस. ज्ञानतिरावियम
11. * श्री देवजी मानसिंगराम पटेल
12. * श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे
13. * श्रीमती रमा देवी

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

14. * डॉ. आलोक कुमार सुमन
15. * डॉ. संघमित्रा मौर्य
16. * श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव
17. * श्री सुदर्शन भगत
18. डॉ. डी. रविकुमार
19. श्री हसनैन मसूदी
20. श्री जगदम्बिका पाल
21. श्री बैन्नी बेहनन
22. * श्री राजू बिष्ट
23. प्रो. सौगत राय
24. * डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
25. श्री राजेन्द्र धेड्या गावित
26. * डॉ. कलानिधि वीरास्वामी
27. * श्रीमती जसकौर मीना
28. * डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखेपाटील
29. * श्रीमती रीती पाठक
30. श्री तापिर गाव
31. श्री कनी के. नवास
32. डॉ. थोलकाप्पियन तिरुमावलवन
33. * श्री एस.आर.पार्थिबन
34. श्री हनुमान बेनीवाल
35. श्रीमती नवनित रवि राणा
36. श्री चन्देश्वर प्रसाद
37. श्रीमती अगाथा के. संगमा
38. * श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल
39. श्री थोमस चाज़िकाडन
40. श्री सुरेश कोडिकुन्नील
41. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल
42. * श्री संगमलाल कदेदिन गुप्ता
43. श्री भर्तृहरि महताब
44. * श्री बिद्युत बरन महतो
45. कुंवर दानिश अली
46. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
47. श्री गणेश सिंह
48. * श्री दुरई मुरूगन कथीर आनंद
49. * श्री धनुष एम. कुमार

चर्चा पूरी नहीं हुई।

---

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 4.00 बजे

12. गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प - विचाराधीन

श्री रितेश पाण्डेय द्वारा 20 मार्च, 2020 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा, जारी :-

"यह ध्यान में रखते हुए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिकाएं महिलाओं, बच्चों और किशोरों को अनेक अनिवार्य स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह उनकी कार्य दशाओं में सुधार लाने के लिए तत्काल निम्नलिखित कदम उठाए -

(1) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के रोजगार को नियमित करना;

(2) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए प्रतिपूर्ति श्रेणी के नाम को "मानदेय" से बदलकर"वेतन" करना;

(3) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रतिपूर्ति की पर्याप्त राशि का भुगतान करना, जो समाज के प्रति उनकी सेवाओं के महत्व को दर्शाए;

(4) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की कार्य दशाओं में सुधार करना और प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र में शुद्ध पेयजल, स्वच्छ प्रसाधन और उचित वातायन-व्यवस्था सहित सभी मूल सुविधाएं उपलब्ध करवाकर उनका उन्नयन करना; और

(5) देश में किराए पर चलाये जा रहे आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए लंबित किराया राशि सहित सभी बकायों का भुगतान करना।"।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री जगदम्बिका पाल
2. एडवोकेट डीन कुरियाकोस
3. श्री हसनैन मसूदी
4. डॉ. निशिकांत दुबे
5. श्री राम शिरोमणि वर्मा
6. श्री थोमस चाज़िकाडन
7. श्री राजेन्द्र अग्रवाल (भाषण पूरा नहीं हुआ)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.01 बजे

(लोक सभा सोमवार, 13 दिसम्बर, 2021 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 13 दिसम्बर, 2021/ 22 अग्रहायण, 1943 (शक)

संख्या 142

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा दु:खद घटना के बारे में उल्लेख

अध्यक्ष ने 13 दिसंबर, 2001 को संसद भवन पर हुए आतंकवादी हमले की 20वीं बरसी के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. तारांकित प्रश्न

सदस्य, जिनके नाम पर तारांकित प्रश्न संख्या 201 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उत्तर सभा पटल पर रखा। सदस्यों द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 201 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 202 से 206 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 207 से 220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2301 से 2530 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान परिषद के 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे, जो 27 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. 104/41/लेखा-1 प्रस्तावना में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा.का.नि. 643(अ) जो 21 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2019 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 170(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) अक्तूबर, 2021 का संख्यांक 1 जो 6 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की ईस्टर्न इंडिया रीजनल कंस्टीट्वेंसी से 13वीं परिषद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन के बारे में है।

(4) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ((हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) काउंसिल ऑफ इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया के 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे जो 29 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जी/20-सीडब्ल्यूए/9/2021 में प्रकाशित हुए

थे।

(दो) सा.का.नि.644(अ) जो 21 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 15 अक्तूबर, 2015 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.787(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(5) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे जो 29 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 1-सीए(5)/72/2021 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) चार्टर्ड अकाउंटेंट (काउंसिल के लिए निर्वाचन) संशोधन नियम 2021, जो 24 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 584(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सा.का.नि.642(अ) जो 21 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 12 अप्रैल, 2019 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.1591(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(चार) सा.का.नि.843(अ) जो 1 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जनवरी, 2011 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.38(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(6) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 64 के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सामान्य) संशोधन विनियम, 2021, जो 6 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-3(2)/रेजिन-जेन.(संशोधन)/2021/सीसीआई में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा (4) के अंतर्गत विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) दूसरा संशोधन नियम, 2021 जो 9 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 785(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उनका शुद्धिपत्र जो 12 नवम्बर, 2021 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 791(अ) में प्रकाशित हुआ था।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्ष्ेात्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 25 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ((हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्ष्ेात्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग (अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों और सदस्य-सचिव की नियुक्ति, वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें) नियम, 2021 जो 27 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में

अधिसूचना सं. सा.का.नि. 593(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग (अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों और सदस्य-सचिव की नियुक्ति, वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें) संशोधन नियम, 2021 जो 26 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 759(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग (नमूने लेने की रीति और सूचना का प्ररूप) नियम, 2021 जो 14 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 742(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3, 6 और 25 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 3460(अ) जो 24 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के पुनर्गठन के बारे में है।

(दो) का.आ. 3688(अ) जो 13 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो लक्षद्वीप तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के पुनर्गठन के बारे में है।

(तीन) का.आ. 3794(अ) जो 16 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के पुनर्गठन के बारे में है।

(चार) का.आ. 4886(अ) जो 26 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कतिपय तटीय खण्डों को तटीय विनियमन क्षेत्र घोषित किया गया है तथा तटीय विनियमन क्षेत्र में उद्योगों, प्रचालनों और प्रसंस्करणों की स्थापना और विस्तार पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।

(पांच) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 जो 12 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 571(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 जो 22 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 647(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) का.आ. 4696(अ) जो 24 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को दिबांग वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।

(आठ) का.आ. 3462(अ) जो 25 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को हुलांगपुर-गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।

(नौ) का.आ. 3583(अ) जो 13 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को मनाली वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के

रूप में घोषित किया गया है।

(दस) का.आ. 3875(अ) जो 28 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को कालाटॉप-खजिआर वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।

(ग्यारह) का.आ. 1958(अ) जो 18 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को राजपरियन वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।

(बारह) का.आ. 3032(अ) जो 7 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को अधिचुनचनागिरी मयूर अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।

(तेरह) का.आ. 4729(अ) जो 28 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को मथिकेट्टन शोला राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।

(चौदह) का.आ. 3496(अ) जो 8 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को सैलाना वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।

(पंद्रह) का.आ. 3030(अ) जो 7 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को प्रणहित वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।

(सोलह) का.आ. 3034(अ) जो 7 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को नयगांव मयूर अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।

(सत्रह) का.आ. 3877(अ) जो 27 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को छपराला वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।

(अठारह) का.आ. 3029(अ) जो 7 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को लाखरी घाटी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।

(उन्नीस) का.आ. 2941(अ) जो 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को केशरबाग वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।

(बीस) का.आ. 3632(अ) जो 15 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को रामसागर वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के

रूप में घोषित किया गया है।

(इक्कीस) का.आ. 410(अ) जो 23 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को प्वाइंट कैलीमेरे वन्यजीव अभयारण्य (ब्लॉक-बी) पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।

(बाईस) का.आ. 411(अ) जो 28 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को प्वाइंट कैलीमेरे वन्यजीव अभयारण्य (ब्लॉक-ए) पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।

(तेईस) का.आ. 794(अ) जो 21 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को ओस्सुडु झील पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।

(चौबीस) का.आ. 1615(अ) जो 22 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को वेल्लोड पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।

(पच्चीस) का.आ. 3879(अ) जो 28 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को कासु ब्रह्मंदा रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।

(छब्बीस) का.आ. 3152(अ) जो 30 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को लख बहोसी पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।

(सत्ताईस) का.आ. 4695(अ) जो 24 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को नंधौर वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।

(3) उपर्युक्त (2) की मद सं. (सात) से (सत्ताईस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले इक्कीस विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन

विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) भारतीय संग्रहालय, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय संग्रहालय, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मीनाक्षी लेखी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, वाराणसी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, वाराणसी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की

एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, वाराणसी के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क्स एण्ड आर्काइव्स धर्मशाला के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क्स एण्ड आर्काइव्स, धर्मशाला के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय कामगार शिक्षा एवं विकास बोर्ड (पूर्व में-केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड), नागपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय कामगार शिक्षा एवं विकास बोर्ड (पूर्व में-केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड), नागपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, 1948 की धारा 97 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एन-12/13/1/2019-पीएण्डडी जो 13 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा ईएसआईसी कोविड-19 राहत योजना में संशोधन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपुर्णा देवी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) समग्र शिक्षा संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(2) (एक) समग्र शिक्षा (राज्य कार्यान्वयन सोसायटी) मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा (राज्य कार्यान्वयन सोसायटी) मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) यूईई मिशन के समग्र शिक्षा कार्यालय, दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) यूईई मिशन के समग्र शिक्षा कार्यालय, दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 38 के अंतर्गत नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) नियम, 2017 जो 17 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1302(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर, अमृतसर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर, अमृतसर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, तिरूपति के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, तिरूपति के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, तिरूपति के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा, गोवा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा, गोवा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) योजना और वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) योजना और वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार

द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) राष्ट्रीय शैक्षणिक आयोजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षणिक आयोजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रबंध संस्थान तिरूचिरापल्ली विनियम, 2021 जो दिनांक 12 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 8-9/2021-टीएस.पांच (चार) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान जम्मू विनियम, 2021 जो दिनांक 1 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 8-9/2021-टीएस.पांच में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर विनियम, 2021 जो दिनांक 20 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. आईआईएम/एएसआर/डी/1/21-103 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रबंध संस्थान विशाखापट्टनम विनियम, 2021 जो दिनांक 26 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 34-1/2021-टीएस.पांच में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रबंध संस्थान रायपुर विनियम, 2021 जो दिनांक 27 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 8-9/2021-टीएस.पांच में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रबंध संस्थान रोहतक विनियम, 2021 जो दिनांक 26 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. आईआईएमआर/प्रशा./2021/61 में प्रकाशित हुए थे।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले छह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत किशनराव कराड़) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 40 की उपधारा (5) के अंतर्गत वर्ष 2020-2021 के लिए

राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) संकटग्रस्त आस्तियां स्थिरीकरण निधि, मुंबई के वर्ष 2013-2014 से 2018-19 तक के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन:-

(एक) आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, वारंगल
(दो) आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, कडपा
(तीन) अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, नाहरलागुन
(चार) आर्यवर्त बैंक, लखनऊ
(पांच) असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी
(छह) बंगिय ग्रामीण विकास बैंक, बरहामपुर
(सात) बडौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, वडोदरा
(आठ) बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अजमेर
(नौ) बडौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, गोरखपुर
(दस) चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, गुंटूर
(ग्यारह) छत्तीसगढ राज्य ग्रामीण बैंक, रायपुर
(बारह) दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, पटना
(तेरह) इलाकाई देहाती बैंक, श्रीनगर
(चौदह) हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मंडी
(पंद्रह) जेएंडके ग्रामीण बैंक, जम्मू
(सोलह) झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, रांची
(सत्रह) कर्नाटक ग्रामीण बैंक, बल्लारी
(अठारह) कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, धारवाड
(उन्नीस) केरल ग्रामीण बैंक, तिरुवनंतपुरम
(बीस) मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, इंदौर
(इक्कीस) मध्यांचल ग्रामीण बैंक, सागर
(बाईस) महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, औरंगाबाद
(तेईस) मणिपुर ग्रामीण बैंक, इम्फाल
(चौबीस) मेघालय ग्रामीण बैंक, शिलांग
(पच्चीस) मिजोरम ग्रामीण बैंक, आइजोल
(छब्बीस) नागालैंड ग्रामीण बैंक, कोहिमा
(सत्ताईस) ओडिशा ग्राम्य बैंक, भुबनेश्वर

(अट्ठाईस) पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक, हावडा

(उनतीस) प्रथम यू.पी. ग्रामीण बैंक, मुरादाबाद

(तीस) पुदुवई भरतियार ग्राम बैंक, पुदुच्चेरी

(इकत्तीस) पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला

(बत्तीस) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, जोधपुर

(तैतीस) सप्तगिरि ग्रामीण बैंक, चित्तूर

(चौतीस) सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक

(पैंतीस) सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, राजकोट

(छत्तीस) तमिलनाडु ग्राम बैंक, सलेम

(सैतीस) तेलंगाना ग्रामीण बैंक, हैदराबाद

(अड़तीस) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला

(उनतालीस) उत्कल ग्रामीण बैंक, बोलनगीर

(चालीस) उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार

(इकतालीस) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर

(बयालीस) उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, देहरादून

(तैंतालीस) विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक, नागपुर

(4) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समेकित समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महताब ने श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत की:-

(1) श्रम और रोजगार मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' संबंधी समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी छब्बीसवां प्रतिवेदन।

(2) वस्त्र मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' संबंधी समिति के अठारहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सत्ताईसवां प्रतिवेदन।

(3) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' संबंधी समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी अट्ठाईसवां प्रतिवेदन।

(4) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी) के कार्यकरण' संबंधी समिति के बीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी उनतीसवां प्रतिवेदन।

6. आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री जगदम्बिका पाल ने आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति का 'पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)' संबंधी दसवां प्रतिवेदन तथा 'पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) अधिनियम, 2014 का कार्यान्वयन' संबंधी ग्यारहवां की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2021-22) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(एक) "भारतीय स्टेट बैंक के विशेष संदर्भ में सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/भारतीय रिजर्व बैंक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा ऐसी संस्थाओं/बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को प्रदान की जा रही ऋण सुविधाएं और अन्य लाभ" संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

(दो) "अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ रोके जाने से संबंधित मामलों के विशेष संदर्भ में अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रति अत्याचार के मामलों का अध्ययन" संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

8. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री रितेश पाण्डेय ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022) का छियालीस से बावनवां प्रतिवेदन (मूल) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. मंत्री द्वारा वक्तव्य

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव चन्द्रशेखर) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(एक) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2019-2020) संबंधी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई' के बारे में श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2020-2021) संबंधी समिति के 7वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई' के बारे में श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(तीन) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2021-2022) के बारे में श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

10. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के लिए लोक सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री सुभाष सरकार ने श्री धर्मेन्द्र प्रधान की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि इस सभा के सदस्य भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के विनियम 3.1 और 3.1.1 के साथ पठित संस्थान की प्रशासन और संपत्ति एवं निधि प्रबंधन योजना के खण्ड 9.1(ङ) के अनुसरण में, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त योजना और विनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर की परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लिए एक सदस्य के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने श्री भूपेन्द्र यादव की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि इस सभा के सदस्य कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 2क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 4 के खण्ड(i) के अनुसरण में, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन श्री जॉन बर्ला, जो मंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं, *के स्थान पर* कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

***अपराह्न 12.54 बजे**

12. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री उत्तम कुमार नलमाडा रेड्डी ने कोल ब्लॉकों की नीलामी के बारे में निवेदन किया।

#श्री प्रहलाद जोशी ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.08 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.13 बजे पुन: समवेत हुई।)

---

*अपराह्न 12.07 बजे से 1.08 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाये।

#संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री

अपराह्न 2.13 बजे

13. नियम 377 के अधीन मामले

(1) श्री अशोक कुमार यादव ने बिहार के मधुबनी जिले में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(2) श्रीमती जसकौर मीना ने राजस्थान के दौसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठया।

(3) डॉ. निशिकांत दुबे ने संथाल परगना क्षेत्र में एक सैनिक स्कूल की स्थापना किये जाने के बारे में मामला उठाया।

(4) श्री पशुपति नाथ सिंह ने सरकारी परियोजनाओं हेतु अधिग्रहीत की गई भूमि जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है उसे किसानों को वापस लौटाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(5) श्री राजेन्द्र अग्रवाल ने मेरठ स्थित ऐतिहासिक घंटाघर को संरक्षित स्मारक घोषित किए जाने और उसकी मरम्मत और रख-रखाव किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(6) श्री रामदास सी. तडस ने महाराष्ट्र के महान अध्यात्मिक संत तुकडोजी महाराज को भारत रत्न प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(7) श्रीमती शारदा अनिलभाई पटेल ने गुजरात के महेसाणा क्षेत्र में एक ओवरब्रिज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(8) डॉ. मोहम्मद जावेद ने किशनगंज में गरीबी और बेरोजगारी के बारे में मामला उठाया।

(9) श्री ए. गणेशमूर्ति ने गैस/तेल पाइप लाइनों को बिछाने में 'यूटिलिटी कॉरिडोर' का प्रयोग किये जाने के बारे में मामला उठाया।

(10) श्री राहुल रमेश शेवाले ने कोविड-19 महामारी के दौरान मुम्बई में बंद की गई एनटीसी मिलों को पुन: चालू किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(11) श्री कौशलेन्द्र कुमार ने जनगणना 2021 में जातिगत जनगणना को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(12) श्री अनुभव मोहंती ने युवाओं में हो रही मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में मामला उठाया।

(13) श्री श्याम सिंह यादव ने सेना भर्ती में आयु सीमा में छूट दिए जाने के बारे में मामला उठाया।

(14) श्रीमती वीणा देवी ने बिहार के वैशाली जिले को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(15) श्री मोहम्मद फैजल पी.पी. ने लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र में नियमित शिक्षकों की कमी के बारे में मामला उठाया।

(16) श्री मनोज कोटक ने मुम्बई लोकल ट्रेनों में दिव्यांगों के चढ़ने और उतरने की सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(17) श्री हँसमुखभाई सोमभाई पटेल ने गुजरात के अहमदाबाद पूर्व संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आरओबी का निर्माण शीघ्र किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(18) श्री धर्मवीर सिंह ने हरियाणा के नारनौल शहर में सीजीएचएस डिस्पेंसरी स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(19) श्री रविन्दर कुशवाहा ने उत्तर प्रदेश के सलेमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कैंसर उपचार अस्पताल की स्थापना किए जाने के बारे में मामला उठाया।

(20) डॉ. हिना विजयकुमार गावीत ने कथित जाली उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी किए जाने के बारे में मामला उठाया।

(21) डॉ. शशि थरूर ने एनएच 66 बाईपास पर एंचाक्कल और कुमारीचंता के बीच टूटी हुई सीवरेज पाईप लाइन के बारे में मामला उठाया।

(22) श्री के. रघु राम कृष्ण राजू ने आन्ध्र प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति के बारे में मामला उठाया।

(23) श्रीमती अपरूपा पोद्दार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत दावों के संवितरण के बारे में मामला उठाया।

अपराह्न 2.47 बजे

$14. सांविधिक संकल्प - अस्वीकृत

लिया गया समय: 4 घंटे 35 मिनट

श्री भर्तृहरि महताब ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:-

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 30 सितम्बर, 2021 को प्रख्यापित स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 8) का निरनुमोदन करती है।"

चर्चा के पश्चात्, संकल्प मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

$15. सरकारी विधेयक - पारित

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2021

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया।

श्री भर्तृहरि महताब सांविधिक संकल्प और विधेयक पर बोले।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. डॉ सुभाष रामराव भामरे
2. श्री मनीश तिवारी
3. डॉ. वीरास्वामी कलानिधि
4. श्री कल्याण बनर्जी
5. श्री मद्दीला गुरूमूर्ति
6. श्री अरविंद गणपत सावंत
7. डॉ. आलोक कुमार सुमन
8. श्रीमती सुप्रिया सुले
9. श्री रतन लाल कटारिया

$एक साथ चर्चा की गयी।

10. श्री सुरेश कोडिकुन्नील

11. कुंवर दानिश अली

12. डॉ. एस.टी. हसन

13. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर

14. श्रीमती अपरूपा पोद्दार

15. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

16. एडवोकेट ए.एम. आरिफ

17. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी

18. श्री हनुमान बेनीवाल

19. श्रीमती नवनित रवि राणा

20. डॉ. डी. रविकुमार

21. श्री जनार्दन मिश्र

22. श्री थोमस चाज़िकाडन

23. डॉ जयंत कुमार राय

24. श्री बालूभाऊ नारायणराव उर्फ सुरेश धानोरकर

25. डॉ थोलकाप्पियन तिरुमावलवन

26. डॉ मनोज राजोरिया

27. श्री हाजी फजलुर रहमान

28. श्री अधीर रंजन चौधरी

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने प्रस्ताव पेश किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

रात्रि 9.18 बजे

16. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री अनुभव मोहंती ने ओडिशा में 'पाइका' विद्रोह से संबंधित मामला उठाया।

**श्री जी. किशन रेड्डी ने उत्तर दिया।

***रात्रि 9.40 बजे**

(लोक सभा मंगलवार, 14 दिसम्बर, 2021 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

---

*सायं 7.23 बजे से 9.40 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाये।

**संस्कृति मंत्री; पर्यटन मंत्री तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 14 दिसम्बर, 2021/ 23 अग्रहायण, 1943 (शक)

संख्या 143

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

सदस्य, जिनके नाम पर तारांकित प्रश्न संख्या 221 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उत्तर सभा पटल पर रखा। सदस्यों द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 221 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 222 से 227 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 228 से 240 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2531 से 2760 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(2) (एक) नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड आर एण्ड डी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड आर एण्ड डी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) एण्ड्रू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एण्ड्रू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) आप्रवास (वाहक-दायित्व) अधिनियम, 2000 की धारा 9 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 554 (अ), जो 11 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आप्रवास (वाहक-दायित्व) (संशोधन) नियम, 2021 के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 26 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 741 (अ), जो 14 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, कार्यकारी संवर्ग समूह 'ग' (सहायक उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल) भर्ती नियम, 2021 के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) विदेशी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1939 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 801 (अ), जो 15 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो विदेशी रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2021 के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा दिनांक 23 नवम्बर, 2021 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 822(अ) में प्रकाशित तथा उसका एक शुद्धि-पत्र (केवल हिन्दी संस्करण)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 2 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की

टिप्पणियां।

(ख) (एक) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) ओडिशा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, भुबनेश्वर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ओडिशा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, भुबनेश्वर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) सातवां (संशोधन) आदेश, 2021 जो 1 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.4560(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) छठा (संशोधन) आदेश, 2021 जो 21 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.3901(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) का.आ. 4564(अ) जो 1 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें भारत में विनिर्मित किए जाने वाले अनंतिम उर्वरक फास्फोजिप्सम के संबंध में, इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए, विनिर्दिष्टताओं को अधिसूचित किया गया है।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नारायणस्वामी) ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री प्रतिमा भौमिक) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 15 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, सीहोर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, सीहोर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(6) (एक) महात्मा गांधी सेवा संघ, परभनी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी सेवा संघ, परभनी के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) श्री दक्षिण भव समिति, गुंटूर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री दक्षिण भव समिति, गुंटूर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) सोसाइटी फॉर एजूकेशन ऑफ द डेफ एण्ड ब्लाइण्ड, विजयनगरम के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसाइटी फॉर एजूकेशन ऑफ द डेफ एण्ड ब्लाइण्ड, विजयनगरम के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) वृंदावन शिक्षा एवं जनकल्याण समिति, कौशाम्बी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वृंदावन शिक्षा एवं जनकल्याण समिति, कौशाम्बी के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) नॉर्थ बंगाल हैण्डिकैप्ड रिहैबिलिटेशन सोसाइटी, दार्जिलिंग के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ बंगाल हैण्डिकैप्ड रिहैबिलिटेशन सोसाइटी, दार्जिलिंग के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) सेंटर फॉर मेंटल हाइजिन, मणिपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर मेंटल हाइजिन, मणिपुर के वर्ष 2013-2014 के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एल. मुरूगन) ने प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 34 के अंतर्गत प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), अनुशासनिक कार्यवाहियों के लिए प्राधिकार (संशोधन) विनियम, 2021 जो 17 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. ए-10/178/2012-पीपीसी/पीबीआरबी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:-

(एक) कि 2 अगस्त, 2021 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा श्री के.के. रागेश, जो 21 अप्रैल, 2021 को

राज्य सभा से सेवानिवृत्त हो गए हैं और श्री बी.एल. वर्मा, जो 7 जुलाई, 2021 से मंत्री के रूप में नियुक्त हो गए हैं, *के स्थान पर* अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की शेष अवधि के लिए राज्य सभा से दो सदस्यों को समिति के साथ सहयोजित किए जाने के लिए लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई तथा राज्य सभा के सदस्यों श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया और श्री सकलदीप राजभर, जो उक्त समिति के लिए निर्वाचित हुए हैं, के नामों की सूचना भी दी।

(दो) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा यथापारित उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2021 पर लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

5. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री कृपाल बालाजी तुमाने ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2021-22) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) 'भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के विशेष संदर्भ में सरकारी सेवाओं, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्तशासी निकायों में निजीकरण, कार्य की आउटसोर्सिंग और संविदात्मक नियोजन के आलोक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के तरीके और साधन' विषय के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के तीसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी दसवां प्रतिवेदन।

(2) 'भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और नियोजन' विषय के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अट्ठाहरवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी ग्यारहवां प्रतिवेदन।

6. कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री पी.सी. गद्दीगौदर ने कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत किए:-

(1) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में 24वे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 31वां प्रतिवेदन।

(2) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) से संबंधित 'अनुदानों

की मांगों (2021-22)' के बारे में 25वे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 32वां प्रतिवेदन।

(3) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में 26वे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 33वां प्रतिवेदन।

(4) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (मत्स्यपालन विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में 27वे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 34वां प्रतिवेदन।

(5) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में 28वे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 35वां प्रतिवेदन।

7. कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री पी.सी. गद्दीगौदर ने निम्नलिखित प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (मत्स्यपालन विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2019-20)' के बारे में 5वे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 16वां प्रतिवेदन।

(2) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2019-20)' के बारे में छठे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 17वां प्रतिवेदन।

(3) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2019-20)' के बारे में 7वे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 18वां प्रतिवेदन।

(4) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' के बारे में 9वे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 19वां प्रतिवेदन।

(5) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (मत्स्यपालन विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' के बारे में 12वे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 22वां प्रतिवेदन।

(6) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' के बारे में 13वे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 23वां प्रतिवेदन।

[*]अपराह्न 12.05 बजे

8. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) सूचना और प्रसारण मंत्री; तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण सभा पटल पर रखे:-

(एक) खेल विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित खेलो इंडिया योजना के बारे में विभाग से संबद्ध शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 311वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) खेल विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में विभाग से संबद्ध शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 315वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(तीन) खेल विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित विभाग से संबद्ध शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के '311वें और 315वें प्रतिवेदन में उठाए गए मुद्दों' और '311वें प्रतिवेदन पर अद्यतन की-गई-कार्रवाई टिप्पण' में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(चार) खेल विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित ओलंपिक खेल, 2021 की तैयारी के बारे में विभाग से संबद्ध शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 317वें प्रतिवेदन और 317वें प्रतिवेदन पर स्पष्टीकरणों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(पांच) खेल विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित विभाग से संबद्ध शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के क्रमशः 311वें तथा 315वें प्रतिवेदनों पर की-गई-कार्रवाई टिप्पणों के बारे में समिति की परवर्ती टिप्पणियों पर समिति के 318वें और 319वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(छह) खेल विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में विभाग से संबद्ध शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 325वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

---

[*]अपराहन 12.08 बजे से 1.03 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(2) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव कुमार बालियान) ने पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

(3) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने गृह मंत्रालय से संबंधित "कोविड-19 वैश्विक महामारी का प्रबंधन और संबंधित मुद्दों" के बारे में विभाग से संबद्ध गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 229वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।

(लोक सभा अपराह्न 1.30 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.31 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.31 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों,जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झारखंड के पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल परियोजनाओं का निर्माण कार्य शीघ्र किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री मोहनभाई कल्याणजी कुंडारिया द्वारा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के अंतर्गत राजकोट-सूरत-अमरेली-भावनगर-भुज-वडोदरा और अहमदाबाद को हवाई सेवाओं से जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(3) श्री गोपाल जी ठाकुर द्वारा दरभंगा रेलवे स्टेशन पर रेल उपरि पुल का निर्माण किए जाने के बारे में।

(4) श्रीमती रीती पाठक द्वारा मध्य प्रदेश के सिंघरौली में एक खनन कॉलेज की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री सी. पी. जोशी द्वारा चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण किए जाने के बारे में।

(6) श्री उन्मेश बी. पाटिल द्वारा वीर सावरकर, महात्मा फुले और साबित्रीबाई फुले को भारत रत्न पुरस्कार दिए जाने के बारे में।

(7) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नई शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों के विकास के बारे में।

(8) श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण की समस्या के बारे में।

(9) श्री नारणभाई बी. काछड़िया द्वारा गुजरात में अमरेली विमानपत्तन के रनवे की लम्बाई बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा राजस्थान के वनस्थली निवाई रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव दिए जाने के बारे में।

(11) श्री अजय निषाद द्वारा मुजफ्फरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बूढ़ी गंडक नदी पर पुलों के निर्माण के बारे में।

(12) श्री भागीरथ चौधरी द्वारा राज्य राजमार्ग संख्या-26 का राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्रीमती रमा देवी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में व्याप्त कथित अनियमितताओं के बारे में।

(14) श्री टी.एन. प्रथापन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ किए जाने के बारे में।

(15) श्री ए.के.पी. चिनराज द्वारा भू-विस्थापितों को मुआवजा दिए जाने के बारे में।

(16) श्री खलीलुर रहमान द्वारा जंगीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना किए जाने और साथ ही नामनिर्दिष्ट छात्रों की संख्या में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री विनायक भाऊराव राऊत द्वारा मराठी भाषा को 'प्राचीन भाषा' का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा गोपालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी के बारे में।

(19) श्री महेश साहू द्वारा ढेंकानाल में विकासात्मक कार्यकलापों में तेजी लाए जाने के बारे में।

(20) श्री असादुद्दीन ओवैसी द्वारा शरणारर्थियों के सामने आ रही समस्याओं के बारे में।

(21) श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी द्वारा झारखंड में कुछ ट्रेनों के संबंध में आ रही प्रचालनात्मक समस्याओं के बारे में।

(22) श्री थोमस चाज़िकाडन द्वारा त्रिपूनिथुरा पर एनएच-85 कोच्चि-धनुषकोडी के लिए बाईपास का निर्माण किए जाने के बारे में।

(23) श्री के. राम मोहन नायडू द्वारा आंध्र प्रदेश में पाए गए कथित वित्तीय उल्लंघनों के बारे में।

(24) श्री वी. बालाशौरी द्वारा स्कूली छात्रों में नशीले पदार्थों के सेवन के खतरे के बारे में।

अपराह्न 2.32 बजे

10. वर्ष 2021-22 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें - दूसरा बैच - विचाराधीन

लिया गया समय: 4 घंटे 28 मिनट

वर्ष 2021-22 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों - दूसरे बैच के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग सं. 1, 3, 4, 6 से 8, 10 से 12, 15, 17 से 20, 22, 23, 25 से 31, 33 से 35, 40, 44 से 51, 53, 54, 59 से 65, 67 से 70, 73, 75 से 78, 81, 84 से 88, 90, 92 से 99 और 101 पर चर्चा आरंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. डॉ. शशि थरूर
2. डॉ. निशिकांत दुबे
3. श्री थिरू दयानिधि मारन
4. प्रो. सौगत राय
5. श्री पी.वी.मिधुन रेड्डी
6. डॉ. श्रीनाथ एकनाथ शिंदे
7. श्री सुनील कुमार पिन्टू
8. श्री भर्तृहरि महताब
9. श्रीमती सुप्रिया सुले
10. डॉ. एम.के.विष्णु प्रसाद
11. श्रीमती अपराजिता सारंगी
12. श्री रितेश पाण्डेय
13. श्री जयदेव गल्ला
14. एडवोकेट ए.एम.आरिफ
15. डॉ. एम.पी. अब्दुस्समद समदानी
16. *श्री पी.आर.नटराजन
17. श्री हसनैन मसूदी

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

18. *श्रीमती रीती पाठक
19. *श्री सी.एन.अन्नादुरई
20. श्री उदय प्रताप सिंह
21. *श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ
22. श्री के. सुब्बारायण
23. *श्री सुशील कुमार सिंह
24. श्री सय्यद ईमत्याज जलील
25. श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन
26. *श्रीमती चिंता अनुराधा
27. *डॉ. हिना विजयकुमार गावित
28. *श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
29. *डॉ. वेंकट सत्यवती बीसेट्टी
30. श्री हनुमान बेनीवाल
31. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल
32. *डॉ. टी.सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन
33. डॉ. थोलकापियन तिरुमावलवन

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 7.00 बजे

(लोक सभा बुधवार, 15 दिसम्बर, 2021 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 15 दिसम्बर, 2021/ 24 अग्रहायण, 1943 (शक)

संख्या 144

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने सभा के सुचारू संचालन के बारे में टिप्पणी की।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 241 से 244 के मौखिक उत्तर दिए गए।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.33 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 245 से 260 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2761 से 2990 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 2.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और निदान केंद्र, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और निदान केंद्र, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(2) (एक) राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैवप्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैवप्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(3) (एक) सेंटर ऑफ इनोवेटिव एंड अप्लाईड बायोप्रोसेसिंग, मोहाली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर ऑफ इनोवेटिव एंड अप्लाईड बायोप्रोसेसिंग, मोहाली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(4) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स, कल्याणी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स, कल्याणी के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(5) (एक) जीव विज्ञान संस्थान, भुबनेश्वर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जीव विज्ञान संस्थान, भुबनेश्वर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(6) (एक) राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(7) (एक) जैव संसाधन और स्थायी विकास संस्थान, इम्फाल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जैव संसाधन और स्थायी विकास संस्थान, इम्फाल के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(8) (एक) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलोजी, तिरूवनन्तपुरम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलोजी, तिरूवनन्तपुरम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलोजी, तिरूवनन्तपुरम के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(10) (एक) राष्ट्रीय पशु जैवप्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पशु जैवप्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(11) (एक) स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान, बैंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान, बैंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(12) (एक) ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(13) (एक) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(14) (एक) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(15) (एक) टेक्नोलोजी इन्फॉरमेशन, फॉरकास्टिंग एण्ड एसेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नोलोजी इन्फॉरमेशन, फॉरकास्टिंग एण्ड एसेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(16) (एक) बोस इन्स्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोस इन्स्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(17) (एक) राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान-भारत, गांधी नगर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान-भारत, गांधी नगर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(18) (एक) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(19) (एक) नैनो और मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र, बैंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नैनो और मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र, बैंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(20) (एक) बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(21) (एक) भारतीय ताराभौतिकी संस्थान, बैंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय ताराभौतिकी संस्थान, बैंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(22) (एक) भारतीय भू-चुम्बकत्व संस्थान, नवी मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय भू-चुम्बकत्व संस्थान, नवी मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(23) (एक) उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग और प्रसार केंद्र, शिलॉग के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग और प्रसार केंद्र, शिलॉग के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(24) (एक) भारतीय विज्ञान अकादमी, बैंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विज्ञान अकादमी, बैंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(25) (एक) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(26) (एक) राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारत, प्रयागराज के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारत, प्रयागराज के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(27) (एक) वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान, देहरादून के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान, देहरादून के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(28) (एक) महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस (अगरकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट), पुणे के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस (अगरकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट), पुणे के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(29) (एक) आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, नैनीताल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, नैनीताल के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(30) (एक) विज्ञान और प्रौद्योगिकी उच्च अध्ययन संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विज्ञान और प्रौद्योगिकी उच्च अध्ययन संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(31) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलोजी, मोहाली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलोजी, मोहाली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(32) (एक) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालर्जी एंड न्यू मैटेरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालर्जी एंड न्यू मैटेरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(33) (एक) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(34) (एक) रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बैंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बैंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(35) (एक) विज्ञान प्रसार, नोएडा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विज्ञान प्रसार, नोएडा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(36) (एक) इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, गुरुग्राम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, गुरुग्राम के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(37) (एक) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(38) (एक) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) फिजिकल रिसर्च लेबोरेट्री, अहमदाबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फिजिकल रिसर्च लेबोरेट्री, अहमदाबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(41) (एक) नेशनल एटमोसफियरिक रिसर्च लेबोरेट्री, गडंकी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एटमोसफियरिक रिसर्च लेबोरेट्री, गडंकी के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(42) (एक) साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(43) (एक) प्रौदयोगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रौदयोगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गनसिंह कुलस्ते) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) (एक) एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता और इसकी अनुषंगी कंपनी फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता और इसकी अनुषंगी कंपनी फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड का वर्ष 2020-21 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) (एक) ईस्टर्न इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ईस्टर्न इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2020-21 वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) (एक) मैकोन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मैकोन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2020-21 वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) (एक) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2020-21 वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) (एक) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापट्टनम के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापट्टनम का वर्ष 2020-21 वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) (एक) बिसरा स्टोन लाईम कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बिसरा स्टोन लाईम कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2020-21 वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पंद्रहवीं, सोलहवीं और सत्रहवीं लोक सभाओं के विभिन्न सत्रों के दौरान दिए गए आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

पंद्रहवीं लोक सभा

1. विवरण सं. 38 आठवां सत्र, 2011
2. विवरण सं. 32 नौवां सत्र, 2011
3. विवरण सं. 29 बारहवां सत्र, 2012

सोलहवीं लोक सभा

4. विवरण सं. 19 सातवां सत्र, 2016
5. विवरण सं. 20 नौवां सत्र, 2016

6.	विवरण सं. 16	बारहवां सत्र, 2017
7.	विवरण सं. 15	तेरहवां सत्र, 2017-18
8.	विवरण सं. 13	पंद्रहवां सत्र, 2018
9.	विवरण सं. 10	सोलहवां सत्र, 2018
10.	विवरण सं. 10	सत्रहवां सत्र, 2019

सत्रहवीं लोक सभा

11.	विवरण सं. 9	पहला सत्र, 2019
12.	विवरण सं. 7	दूसरा सत्र, 2019
13.	विवरण सं.5	चौथा सत्र, 2020
14.	विवरण सं. 4	पांचवा सत्र, 2021
15.	विवरण सं. 3	छठा सत्र, 2021

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) सेंटर फॉर रेलवे इन्फोरमेशन सिस्टम्स, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर रेलवे इन्फोरमेशन सिस्टम्स, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) जीई डीजल लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जीई डीजल लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ड़) (एक) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(छ) (एक) कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड, नवी मुंबई का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ज) (एक) भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(झ) (एक) नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ञ) (एक) भारतीय समर्पित मालभाड़ा गलियारा निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय समर्पित मालभाड़ा गलियारा निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ट) (एक) राइट्स लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राइट्स लिमिटेड, दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ठ) (एक) हसन मंगलौर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हसन मंगलौर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ड) (एक) भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ढ़) (एक) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ण) (एक) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड्स का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(त) (एक) नैवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई और इसकी अनुषंगी कंपनियों एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड और नैवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नैवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई और इसकी अनुषंगी कंपनियों एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड और नैवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) (एक) रेल खेल संवर्धन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) रेल खेल संवर्धन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(5) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स, बेंगलुरू के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स, बेंगलुरू के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(6) (एक) जवाहरलाल नेहरू एल्यूमीनियम रिसर्च डेवलपमेंट एण्ड डिजाइन सेन्टर, नागपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल नेहरू एल्यूमीनियम रिसर्च डेवलपमेंट एण्ड डिजाइन सेन्टर, नागपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(7) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2020 जो 3 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 780(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) खनिज (परमाणु तथा हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से इतर) रियायत (चौथा संशोधन) नियम, 2021 जो 2 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 775(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) खनिज (नीलामी) तीसरा संशोधन नियम, 2021 जो 2 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 776(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) सा.का.नि. 777(अ) जो 2 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 दिसम्बर, 2015 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 927(अ) को उसमें उल्लिखित कतिपय शर्तों के अध्यधीन निरस्त किया गया है ।

(पांच) सा.का.नि. 778(अ) जो 2 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 मई, 2016 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 560 (अ) को उसमें उल्लिखित कतिपय शर्तों के अध्यधीन निरस्त किया गया है ।

(छह) सा.का.नि. 744(अ) जो 14 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के एक संयुक्त उपक्रम मेसर्स राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड-छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के माध्यम से पूर्वेक्षण या खनन प्रचालन करने के लिए छत्तीसगढ़ के सरायीपाली तहसील में बलोडा-बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक (भंडार संख्या 4 और 13) में डायमंड खनिज के लिए 156.80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र संरक्षित करना है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 3957(अ) जो 24 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 8 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 371(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उप-धारा (5) के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (चौथा संशोधन) विनियम, 2021 जो 2 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. ईपी33(1)2017 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) मद्रास स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) मद्रास स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) (एक) सेन्टर फॅार पालिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फॅार पालिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) (एक) सेन्टर फॉर डेवलपमेंट इकोनोमिक्स (दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स-यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली), दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फॉर डेवलपमेंट इकोनोमिक्स (दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स- यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली), दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) (एक) इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनोमिक चेन्ज, बेंगलुरू के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनोमिक चेन्ज, बेंगलुरू के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(5) (एक) इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(6) (एक) नेशनल काउिन्सल ऑफ अप्पलाइड इकोनोमिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउन्सिल ऑफ अप्पलाइड इकोनोमिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सेक्यूरिटी प्रिन्टिंग एंड मिन्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेक्यूरिटी प्रिन्टिंग एंड मिन्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(8) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (बैंकर्स टू एन इश्यू) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 30 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/26 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 30 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/27 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 30 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/28 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 3 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/29 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो मैनेजर्स) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 3 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/31 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 3 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/33 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेश सलाहकार) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 3 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/34 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 3 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/35 में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें दिनांक 6 अगस्त, 2021 के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/38 में उसका शुद्धीपत्र प्रकाशित हुआ था।

(नौ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021 जो 9 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/39 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी प्रसुविधाएं और स्वीट इक्वीटी) विनियम, 2021 जो 13 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/40 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, 2021 जो 13 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/41 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (चौथा संशोधन) विनियम, 2021 जो 13 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/42 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकता) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 13 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/45 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 13 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/46 में प्रकाशित हुए थे।

(पंद्रह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2021 जो 7 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/47 में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयोजित व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 जो 7 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/48 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयोजित व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 जो 7 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/49 में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकता) (चौथा संशोधन) विनियम, 2021 जो 26 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/52 में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (छठा संशोधन) विनियम, 2021 जो 9 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/55 में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 9 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/56 में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधियां) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2021 जो 9 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/57 में प्रकाशित हुए थे।

(बाईस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फण्ड्स) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 5 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/36 में प्रकाशित हुए थे।

(तेईस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया कारोबार का प्रतिषेध) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 5 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/37 में प्रकाशित हुए थे।

(चौबीस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फोर्टफोलियो प्रबंधक) (चौथा संशोधन) विनियम, 2021 जो 9 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/58 में प्रकाशित हुए थे।

(पच्चीस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यस्थ) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 17 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/59 में प्रकाशित हुए थे।

(9) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31, प्रतिभूति प्रसंविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उप-धारा (3) तथा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 27 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेगुलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 3 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/30 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 तथा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और प्रतिभागी) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 13 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/43 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और प्रतिभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 26 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/53 में प्रकाशित हुए थे।

(11) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 तथा प्रतिभूति प्रसंविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रतिभूति प्रसंविदा (विनियमन) (शेयर बाजार और क्लियरिंग निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 13 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/44 में प्रकाशित हुए थे, एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत केन्द्रीय माल और सेवा कर (नौवां संशोधन) नियम, 2021 जो 1 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 842(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) प्रतिभूति प्रसंविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 27 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रतिभूति प्रसंविदा (विनियमन) (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 जो 30 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 520(अ) में प्रकाशित हुए थे, एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 9 के अंतर्गत भारत की आकस्मिक निधि (संशोधन) नियम, 2021 जो 6 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 721(अ) में प्रकाशित हुए थे, एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण) अधिनियम, 2020 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 3814(अ) जो 17 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के अंतर्गत घोषणा दायर करने की तारीख अधिसूचित की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(16) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत आयकर (32वां संशोधन) नियम, 2021 जो 23 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 831(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(17) आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत उक्त अधिनियम की धारा 194-ण की उप-धारा (4), धारा 194थ की उप-धारा (3) तथा धारा 206ग की उप-धारा (1-झ) के अंतर्गत दिशानिर्देशों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(18) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 581(अ) जो 19 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी एवं जिसके द्वारा 8 मई, 2000 की अधिसूचना सं. 57/2000-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) बेसिक केमिकल्स कॉस्मेटिक्स एण्ड डाईज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (सीएचईएमईएक्ससीआइएल), मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बेसिक केमिकल्स कॉस्मेटिक्स एण्ड डाईज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (सीएचईएमईएक्ससीआइएल), मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) सेवा निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेवा निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) निर्यात निरीक्षण परिषद (इसके निर्यात निरीक्षण अभिकरणों सहित), नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) निर्यात निरीक्षण परिषद (इसके निर्यात निरीक्षण अभिकरणों सहित), नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (इसके निर्यात निरीक्षण अभिकरणों सहित), नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) भारतीय पैकेजिंग संस्थान, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पैकेजिंग संस्थान, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कार्पोरेशन, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कार्पोरेशन, कोलकाता का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) टेक्सटाइल्स कमेटी, मुम्बई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्सटाइल्स कमेटी, मुम्बई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (अर्जुन राम मेघवाल) ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प, व्यापार चिह्न एवं भौगोलिक उपदर्शन, मुम्बई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प, व्यापार चिह्न एवं भौगोलिक उपदर्शन, मुम्बई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय गुणवत्ता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) भारतीय गुणवत्ता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 की धारा 29 की उप-धारा (4) के अंतर्गत कैल्शियम कार्बाइड (संशोधन) नियम, 2021 जो 1 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 610(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 18 की उप-धारा 8 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अमोनियम नाइट्रेट (संशोधन) नियम, 2021 जो 1 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 608(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) स्थिर और गतिशील दबाव जलयान (अनफायर्ड) (संशोधन) नियम, 2021 जो 1 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 609(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(7) बॉयलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 28क की उप-धारा (2) के अंतर्गत बॉयलर दुर्घटना जांच नियम, 2021 जो 14 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 743(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 40 के अंतर्गत फ्लैट ट्रांसपेरेंट शीट ग्लास (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 जो 7 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4144(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) अधिसूचना सं. एफ.सं. पी-29014/101/2020-एलईआई जो 16 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो भारत में विनिर्मित व्हाइट गुड्स (एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट) के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के बारे में है।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवुसिंह चौहान) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) आईटीआई लिमिटेड, बेंगलुरू के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आईटीआई लिमिटेड, बेंगलुरू का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) टेलीकम्यूनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टेलीकम्यूनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) सेंटर फॉर डेवपलमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डेवपलमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उप-धारा (5) के अंतर्गत इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे (संशोधन) नियम, 2021 जो 21 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 749(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस आशय के संदेश की सूचना दी कि 8 दिसम्बर, 2021 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 को संशोधनों के साथ पारित कर दिया है और इस अनुरोध के साथ लौटा दिया है कि संशोधनों पर लोक सभा की सहमति के बारे में राज्य सभा को सूचित किया जाए।

6. राज्य सभा द्वारा यथासंशोधित विधेयक - सभा पटल पर रखा गया

सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019

अपराह्न 2.05 बजे

7. याचिका समिति के प्रतिवेदन

श्री सुशील कुमार सिंह ने याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में देश में उच्चतर शिक्षा की स्थिति के संबंध में श्री विनोद सोनकर, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा अग्रेषित श्री सत्येन्द्र सिंह के अभ्यावेदन के बारे में याचिका समिति (16वीं लोक सभा) के 58वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 23वां प्रतिवेदन।

(2) कर्नल (टीएस)(सेवानिवृत्त) रण सिंह डूडी को मिलने वाली पारिणामिक प्रसुविधाओं को देने से इंकार करने के कारण उनके साथ हुए अन्याय के आरोप और इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में श्री राजेन्द्र अग्रवाल, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा अग्रेषित उनकी पत्नी, श्रीमती सुमन डूडी के अभ्यावेदन के बारे में याचिका समिति (17वीं लोक सभा) के 5वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 24वां प्रतिवेदन।

(3) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, कोलकाता में अनुकम्पा आधार पर उनकी नियुक्ति में विलंब और अन्य तत्संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में श्री श्यामल कुमार दास के अभ्यावेदन के बारे में याचिका समिति (17वीं लोक सभा) के 9वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 25वां प्रतिवेदन।

8. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री पल्लब लोचन दास ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-22) के 53वें से 60वें प्रतिवेदनों (मूल) और 61वें से 63वें प्रतिवेदनों (की-गई-कार्रवाई) (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) को प्रस्तुत किया।

9. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गनसिंह कुलस्ते) ने इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों में सुरक्षा प्रबंध और पद्धतियों' के बारे में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(एक) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'ऑर्गेनिक उत्पादों का निर्यात: चुनौतियां और अवसर के बारे में विभाग से संबद्ध वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी संबंधी समिति के 150वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई' के बारे में समिति के 155वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) (मांग संख्या 10) के बारे में विभाग से संबद्ध वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 156वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(तीन) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) (मांग संख्या 10) के बारे में विभाग से संबद्ध वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 159वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(3) संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवुसिंह चौहान) ने दूर संचार विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2021-2022)' के बारे में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

10. चाय बोर्ड के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि इस सभा के सदस्य, चाय नियम, 1954 के नियम 4 (1)(ख) के साथ पठित, चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (च) के अनुसरण में, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त

अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन चाय बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.08 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) श्री राजू बिष्ट द्वारा दार्जलिंग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पानी की कमी के बारे में।

(2) श्री नितेश गंगा देब द्वारा तलचर-विलागढ़ रेलवे परियोजना से संबंधित भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पूरा करने के बारे में।

(3) श्री अरुण कुमार सागर द्वारा शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल उपरि पुल के निर्माण के बारे में।

(4) श्री गिरीश भालचन्द्र बापट द्वारा पुणे हवाई अड्डे को जाने वाली सड़क के निर्माण के बारे में।

(5) श्री जयंत सिन्हा द्वारा हजारी बाग में सीतागढ़ पुरातात्विक स्थल के विकास के बारे में।

(6) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहार के गया जिले के टेकारी प्रखंड में नया केंद्रीय विद्यालय खोले जाने के बारे में।

(7) श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा द्वारा बाल प्रतिरोपण बाजार के विनियमन के बारे में।

(8) श्रीमती अपराजिता सारंगी द्वारा ओडिशा में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में।

(9) डॉ. जयसिद्देश्वर शिवाचार्य महास्वामीजी द्वारा सोलापुर गड्डा यात्रा के सीधा प्रसारण के बारे में।

(10) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा कानपुर जिले में मुन्सिफ अदालत के गठन के बारे में।

(11) श्री मुकेश राजपूत द्वारा फरुर्खाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सड़क उपरि पुल का निर्माण कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री एम. के. राघवन द्वारा कोझीकोड में केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए सुविधाओं के बारे में।

(13) श्री राजमोहन उन्नीथन द्वारा केरल के कासरगौड़ जिले में पासपोर्ट कार्यालय की स्थापना के बारे में।

(14) श्री वी.के. श्रीकंदन द्वारा केरल के अट्टापड़ी जनजातीय क्षेत्र में शिशु और बाल मृत्यु के बारे में।

(15) श्री एस.आर पार्थिबन द्वारा सलेम इस्पात संयंत्र के निजीकरण के बारे में।

(16) प्रो. सौगत राय द्वारा जम्मू-कश्मीर में सशस्त्र पुलिस कर्मियों की मृत्यु के बारे में।

(17) श्री सुनील कुमार मंडल द्वारा पश्चिम बंगाल में मुंडेश्वरी नदी पर छोटे बांध के निर्माण के बारे में।

(18) श्री राजन बाबूराव विचारे द्वारा थाणे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डाक घर भवनों की स्थिति के बारे में।

(19) श्री दिलेश्वर कामैत द्वारा पूर्व मध्य रेलवे जोन में रेल सुविधाओं के बारे में।

(20) कुंवर दानिश अली द्वारा ऐतिहासिक स्मारकों के रख-रखाव और सौंदर्यीकरण के बारे में।

(21) श्री पी.आर. नटराजन द्वारा विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2021 के बारे में।

(22) डॉ. थोल तिरुमावलवन द्वारा उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध के बारे में।

अपराहन 2.08 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा गुरुवार, 16 दिसम्बर, 2021 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 16 दिसम्बर, 2021/ 25 अग्रहायण, 1943 (शक)

संख्या 145

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा दु:खद घटना के बारे में उल्लेख

अध्यक्ष ने 8 दिसम्बर, 2021 को हुई भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में एकमात्र जीवित बचे ग्रुप कैप्टन वरूण सिंह के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्य दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. *अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने बंग्लादेश के पचासवें मुक्ति दिवस *स्वर्णिम विजय दिवस* के बारे में टिप्पणी की।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

3. तारांकित प्रश्न

सदस्य, जिनके नाम पर तारांकित प्रश्न संख्या 263 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, इसका अनुपूरक प्रश्न पूछा गया और उसका उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.09 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 261, 262 और 264 से 280 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

---

*मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

4. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2991 से 3220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

[%]5. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने सदस्यों से सभा की मर्यादा और गरिमा बनाए रखने की अपील की।

अपराह्न 2.00 बजे

6. सभा पटल पर रखे गए पत्र

[*]सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) रेलवे सुरक्षा आयोग, लखनऊ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) रेलवे सुरक्षा आयोग, लखनऊ के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) एनटीपीसी लिमिटेड, नई दिल्ली और इसकी अनुषंगी कंपनियों के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनटीपीसी लिमिटेड, नई दिल्ली और इसकी अनुषंगी कंपनियों के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[%]पूर्वाह्न 11.08 बजे की गई। मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

[*]अपराह्न 2.05 बजे

(ख) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) टस्को लिमिटेड, ऋषिकेश के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टस्को लिमिटेड, ऋषिकेश का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(छ) (एक) पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ज) (एक) एसजेवीएन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एसजेवीएन लिमिटेड, शिमला का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं

की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो महानिदेशक की नियुक्ति और सेवा की निबंधन और शर्तें (संशोधन) नियम, 2021 जो 9 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.544(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ऊर्जा लेखा परीक्षा के संचालन की रीति और समय अंतराल) संशोधन विनियम, 2021जो 28 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.18/1/बीईई/डिस्कोम/2021 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत वितरण कंपनियों में ऊर्जा लेखा परीक्षा के संचालन की रीति और अंतराल) विनियम, 2021जो 7 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.18/1/बीईई/डिस्कोम/2021 में प्रकाशित हुए थे।

(4) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विद्युत (विधि में परिवर्तन के कारण लागतों की समय पर वसूली) नियम, 2021 जो दिनांक 22 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 751(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विद्युत (अनिवार्यत: चालित विद्युत संयंत्र से विद्युत उत्पादन का संवर्धन) नियम, 2021 जो दिनांक 22 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 752(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो दिनांक 13 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/236/2018/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रणाली विकास निधि) विनियम, 2019 जो दिनांक 26 नम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/247/2019/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार लाइसेंस स्वीकृत किए जाने की प्रक्रिया, निबंधन और शर्तें तथा अन्य संबंधित मामले) (पहला संशोधन) विनियम, 2020 जो दिनांक 2 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/253/2019/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(छह) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति का विनियमन) विनियम, 2010 तथा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति का विनियमन) (पहला संशोधन) विनियम, 2021 का निरसन करने वाली अधिसूचना सं. एल-1/42/2010/सीईआरसी जो दिनांक 1 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) सोसाइटी फॉर पेट्रोलियम लेबोरेट्री, नोएडा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसाइटी फॉर पेट्रोलियम लेबोरेट्री, नोएडा के वर्ष 2020-2021के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) बामर लॉरी इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) बामर लॉरी इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) भारत पेट्रोरिसोर्सेज लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा

समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत पेट्रोरिसोर्सेज लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(छ) (एक) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ज) (एक) बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नेफ्था (ऑटोमोबाइल में अर्जन, विक्रय, भण्डारण और उपयोग का निवारण) संशोधन आदेश, 2021 जो 14 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 631(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) लुब्रीकेटिंग ऑयल्स एण्ड ग्रीसेस (प्रसंस्करण, आपूर्ति और वितरण विनियमन) (संशोधन) आदेश, 2021 जो 28 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 770(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(4) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 31 की उप-धारा (3) के अंतर्गत तेल उद्योग (विकास संशोधन) नियम, 2021 जो 23 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 829(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री; तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आवासन और शहरी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आवासन और शहरी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नाजुल भूमि का निपटान) संशोधन नियम, 2021 जो 11 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 168(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) का.आ. 668(अ) जो 12 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो दिल्ली-2016 के लिए एकीकृत भवन उप-नियम (यूबीबीएल) में आशोधनों के बारे में है।

(तीन) का.आ. 770(अ) जो 19 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एमपीडी 2021 से संबंधित आवासीय संपत्तियों, कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग, मिश्रित उपयोग/वाणिज्यिक स्ट्रीट्स और वाणिज्यिक संपत्तियों (होटल और पार्किंग प्लॉट्स को छोड़कर) के लिए बढ़े हुए एफएआर के लिए लागू होने वाली दरें नियत किए जाने के बारे में है।

(चार) का.आ. 886(अ) जो 24 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो दिल्ली-2016 के लिए एकीकृत भवन उप-नियम (यूबीबीएल) में आशोधनों के बारे में है।

(पांच) का.आ. 1519(अ) जो 9 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एमपीडी 2021 से संबंधित आवासीय संपत्तियों, कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग, मिश्रित उपयोग/वाणिज्यिक स्ट्रीट्स और वाणिज्यिक संपत्तियों (होटल और पार्किंग प्लॉट्स को छोड़कर) के लिए बढ़े हुए एफएआर के लिए लागू होने वाली दरें नियत किए जाने के बारे में है।

(छह) "ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) विनियम" जो 13 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.1582(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) का.आ. 2615(अ) जो 29 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो दिल्ली-2016 के लिए एकीकृत भवन उप-नियम (यूबीबीएल) में आशोधनों के बारे में है।

(आठ) का.आ. 2778(अ) जो 12 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एमपीडी 2021 से संबंधित आवासीय संपत्तियों, कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग, मिश्रित उपयोग/वाणिज्यिक स्ट्रीट्स और वाणिज्यिक संपत्तियों (होटल और पार्किंग प्लॉट्स को छोड़कर) के लिए बढ़े हुए एफएआर के लिए लागू होने वाली दरें नियत किए जाने के बारे में है।

(नौ) का.आ. 2779(अ) जो 12 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उन परिसरों और दुकान-सह-आवासीय प्लॉट/परिसरों, जिन्हें बाद में एलएससी के रूप में अभिहित किया गया है, के मिश्रित उपयोग/वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपयोग परिवर्तन प्रभार नियत किए जाने के बारे में है।

(दस) का.आ. 3518(अ) जो 31 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो नरेला में गोदामों/गोदाम कलस्टरों के लिए उद्ग्रहण्य बाह्य विकास प्रभारों (ईडीसी) की विद्यमान दर लागू होने की समय-सीमा को एक वर्ष अर्थात् 15.08.2022 तक आगे बढ़ाये जाने के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ.3933(अ) जो 23 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 'दिल्ली में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) विनियम' के शुद्धिपत्र के बारे में है।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जल तथा भूमि प्रबंधन संस्थान, तेजपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जल तथा भूमि प्रबंधन संस्थान, तेजपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

7. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:-

(एक) कि 14 दिसम्बर, 2021 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2021, लोक सभा द्वारा यथापारित, से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) कि 14 दिसम्बर, 2021 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021, लोक सभा द्वारा यथापारित, से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

8. वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री पी.पी.चौधरी ने वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

9. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का विवरण

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत ने 'महिला स्वास्थ्य देख-रेख: नीतिगत विकल्प' के बारे में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2017-18) के 11वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (2020-21) के चौथे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

10. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के विवरण

श्री राजेश वर्मा ने अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित सात विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे -

(1) श्रम और रोज़गार मंत्रालय से संबंधित "कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में नियोजन में अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण और कल्याण के लिए किए गए उपाय" के बारे में दूसरे प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी छठे प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित ''ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय" के बारे में 9वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 14वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(3) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित ''अन्य पिछड़े वर्गों हेतु विभिन्न कल्याणकारी उपायों/ योजनाओं के लिए अधिक बजटीय आवंटनों की आवश्यकता" के बारे में 10वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 17वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(4) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित ''भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में नियोजन में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय" के बारे में 12वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 18वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(5) विद्युत मंत्रालय से संबंधित ''एनटीपीसी लिमिटेड में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय" के बारे में 16वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 19वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(6) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित ''केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) में नियोजन में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय" के बारे में 20वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 7वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(7) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित ''संघ राज्यक्षेत्र, पीएसयू आदि सहित भारत सरकार के नियंत्रणाधीन सेवाओं और पदों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नियोजन में क्रीमी लेयर का युक्तिकरण" के बारे में 21वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 8वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

11. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण सभा पटल पर रखे:-

(एक) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में विभाग से संबद्ध परिवहन,पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 285वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में विभाग से संबद्ध परिवहन,पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 287वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण सभा पटल पर रखे:-

(एक) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-2020) के बारे में विभाग से संबद्ध ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-2021) के बारे में विभाग से संबद्ध ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराह्न 2.06 बजे

12. सरकारी विधेयक - पुर:स्थापित

जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021

अपराह्न 2.07 बजे

13. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) डॉ. ढालसिंह बिसेन द्वारा पशुओं के पोषण के लिए अनुदान योजना की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री छेदी पासवान द्वारा बिहार के रोहतास और कैमूर जिलों में खरवार जनजातीय समुदाय को जाति प्रमाण-पत्र दिए जाने के बारे में।

(3) श्री रोड़मल नागर द्वारा मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में नरसिंहगढ़ में स्थित केंद्रीय विद्यालय में कक्षाएं शुरू करने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री सौमित्र खान द्वारा पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित सरेश्वर मंदिर की स्थिति के बारे में।

(5) श्री अशोक महादेवराव नेते द्वारा गढचिरौली-चिमूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों के बारे में।

(6) श्री कुनार हेम्ब्रम द्वारा संथाली भाषा में आकाशवाणी और दूरदर्शन में एक संथाली चैनल शुरू करने के बारे में।

(7) श्री आर.के. सिंह पटेल द्वारा उत्तर प्रदेश के बांदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कसहाई और मऊ क्लस्टर के विकास हेतु वित्तीय आवंटन के बारे में।

(8) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा राजस्थान के भीलवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ट्रेनों के ठहराव के बारे में।

(9) श्री राहुल कस्वां द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के दिशा-निर्देशों में संशोधन के बारे में।

(10) श्री देवजी एम. पटेल द्वारा राजस्थान के सिरोही जिले में रेल सम्पर्क के बारे में।

(11) श्री सत्यदेव पचौरी द्वारा देश में झुग्गी-झोपड़ी निवासियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के बारे में।

(12) एडवोकेट अदूर प्रकाश द्वारा अट्टिंगल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न डाक घरों के भवन के निर्माण के बारे में।

(13) एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा एनएच-85 ग्रीन फील्ड बिजनेस कोरिडोर के बारे में।

(14) श्री रवनीत सिंह द्वारा छात्रवृत्तियों के लिए कम बजटीय आवंटन के बारे में।

(15) डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर द्वारा पेरम्बलुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के बारे में।

(16) श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी द्वारा तेलुगू गंगा परियोजना से संबंधित मुआवजे के बारे में।

(17) श्री अरविंद गणपत सावंत द्वारा एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुम्बई के कर्मचारियों और श्रमिकों के वेतन और मजदूरी के बारे में।

(18) श्री चन्देश्वर प्रसाद द्वारा जहानाबाद रेलवे स्टेशन और दानापुर रेल मंडल, खगौल के पास प्रदूषित जल और जलभराव की समस्या के बारे में।

(19) श्री चंद्र शेखर साहू द्वारा ओडिशा के गंजम जिले में एक नए ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के बारे में।

(20) श्री के. सुब्बारायण द्वारा तिरुप्पुर के वस्त्र और होजरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के बारे में।

(21) श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा राजस्थान में स्टेट डिजास्टर रेसपोन्स फोर्स (एसडीआरएफ) के तहत राहत चाहने वाले छोटे एवं सीमांत किसानों के पात्रता मानदंडों की समीक्षा के बारे में।

अपराह्न 2.07 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021/ 26 अग्रहायण, 1943 (शक)

संख्या 146

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

सदस्य, जिनके नाम पर तारांकित प्रश्न संख्या 281 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, इसके अनुपूरक प्रश्न पूछे गए और उनके उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 282 से 284 के मौखिक उत्तर दिए गए।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.31 बजे स्थगित हुई
और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 285 से 300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3221 से 3450 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

[%]3. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने टिप्पणी[*] की कि सदस्य यह सुनिश्चित करें कि कक्ष के भीतर किसी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाया जाए।

उन्होंने सदस्यों से सभा की मर्यादा और गरिमा बनाए रखने की अपील[$] भी की।

[%]मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

[*]पूर्वाह्न 11.18 बजे की गई।

[$]पूर्वाह्न 11.30 बजे की गई।

अपराहन 2.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

*संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री; तथा आयुष मंत्री (श्री सर्वानन्द सोनोवाल) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग, गाजियाबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग, गाजियाबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) दीनदयाल पत्तन न्यास, गांधीधाम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दीनदयाल पत्तन न्यास, गांधीधाम के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) दीनदयाल पत्तन न्यास, गांधीधाम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) दीनदयाल पत्तन न्यास, गांधीधाम के वर्ष 2020-2021 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, नवी मुंबई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, नवी मुंबई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

---

*अपराहन 2.06 बजे

(3) (एक) श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के लेखा-परीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम् के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम् के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) तेबमा शिपयार्ड लिमिटेड, कांचीपुरम के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) तेबमा शिपयार्ड लिमिटेड, कांचीपुरम के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) कामराज पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा

समीक्षा।

(दो) कामराज पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) महापत्तन न्यास अधिनियम,1963 की धारा 124 की उप-धारा(4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.189(अ) जो 15 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (लाइसेंसिंग ऑफ स्टीवडोरिंग एण्ड शोर हैंडलिंग) विनियम, 2021 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा.का.नि.591(अ) जो 27 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कोचीन पत्तन न्यास (लाइसेंसिंग ऑफ जेटीज, पीयर्स एण्ड स्लिपवेज) विनियम,2021 का अनुमोदन किया गया है।

(7) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अंतर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (सामुद्रिक श्रम) संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 28 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 441(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने 15वें वित्त आयोग द्वारा 9 नवंबर, 2020 को राष्ट्रपति को सौंपी गई अपनी अंतिम रिपोर्ट में आपदा संबंधी अनुदानों से संबंधित सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई के संबंध में *व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखी।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस.पी. सिंह बघेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वर्ष 1998-1999 से 2019-2020 तक के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

---

* वर्ष 2021-26 के लिए प्रतिवेदन (खंड I से IV) - XV वित्त आयोग को 01.02.2021 को व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ सभा पटल पर रखा गया था।

(दो) जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वर्ष 1998-1999 से 2019-2020 तक के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वर्ष 1998-1999 से 2019-2020 तक के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वर्ष 1998-1999 से 2019-2020 तक के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) रिसर्च एण्ड इन्फॉरमेशन सिस्टम फॉर डवलपिंग कंट्रीज, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रिसर्च एण्ड इन्फॉरमेशन सिस्टम फॉर डवलपिंग कंट्रीज, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) बीईएमएल लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बीईएमएल लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 66 की उपधारा (2) के अंतर्गत छावनी भूमि प्रशासन नियम, 2021 जो दिनांक 2 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.नि.आ. 24(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अंतर्गत नौसेना अवकाश विनियमन, 2019 जो दिनांक 14 दिसम्बर, 2019 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. का.नि.आ. 105(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, नवी मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, नवी मुम्बई का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) (एक) सैंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकैमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलोजी, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सैंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकैमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलोजी, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फॉरमुलेशन टेक्नोलोजी, गुड़गांव के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फॉरमुलेशन टेक्नोलोजी, गुड़गांव के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. राजकुमार रंजन सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (उत्कल विश्वविद्यालय) भुबनेश्वर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (उत्कल विश्वविद्यालय) भुबनेश्वर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. मुंजपरा महेन्द्रभाई) ने औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत औषधि (चौथा संशोधन) नियम, 2021 जो 4 अक्टूबर, 2021 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 716 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

5. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री रितेश पाण्डेय ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-22) के 64वें से 73वें प्रतिवेदनों (मूल/की-गई-कार्रवाई) (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) को प्रस्तुत किया।

6. रक्षा संबंधी स्थायी समिति के की-गई-कार्रवाई विवरण

कुंवर दानिश अली ने समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार के अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) को सभा पटल पर रखे:-

(1) 'नौसेना और वायु सेना (मांग सं. 23 और 24) से संबंधित रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-15)' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (सोलहवीं लोक सभा) के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट

टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति (सोलहवीं लोक सभा) का 12वां प्रतिवेदन।

(2) 'सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक बल, सैन्य अभियंता सेवाएं, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, रक्षा सम्पदा महानिदेशालय, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, भूतपूर्व सैनिक के कल्याण, रक्षा पेंशनों, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (मांग सं. 19 और 22) के बारे में 28वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (सोलहवीं लोक सभा) का 37वां प्रतिवेदन।

(3) 'भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्स्थापन' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (सोलहवीं लोक सभा) के 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (सोलहवीं लोक सभा) का 45वां प्रतिवेदन।

(4) 'सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक बल, सैन्य अभियंता सेवाएं, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, रक्षा सम्पदा महानिदेशालय, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, भूतपूर्व सैनिक के कल्याण, रक्षा पेंशनों, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (मांग सं. 19 और 22) के संबंध में वर्ष 2018-19 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों' के बारे में 40वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (सोलहवीं लोक सभा) का 46वां प्रतिवेदन।

(5) 'थल सेना, नौसेना और वायु सेना (मांग सं. 20) से संबंधित रक्षा मंत्रालय की 2018-19 की अनुदानों की मांगों' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (सोलहवीं लोक सभा) के 41वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी (सोलहवीं लोक सभा) का 47वां प्रतिवेदन।

(6) 'रक्षा सेवाएं, अधिप्राप्ति नीति और रक्षा आयोजना पर पूंजीगत व्यय (मांग सं. 21) से संबंधित वर्ष 2018-19 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (सोलहवीं लोक सभा) के 42वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी (सोलहवीं लोक सभा) का 48वां प्रतिवेदन।

(7) 'आयुध निर्माणी, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय और राष्ट्रीय कैडेट कोर के राजस्व बजट (मांग सं. 20) से संबंधित रक्षा मंत्रालय की 2018-19 के लिए अनुदानों की मांगों' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (सोलहवीं लोक सभा) के 43वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी (सोलहवीं लोक सभा) का 49वां प्रतिवेदन।

7. कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री एस. मुनिस्वामी ने इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'इस्पात पीएसयू में सुरक्षा प्रबंधन और पद्धतियां' के बारे में समिति (2021-2022) के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति का 27वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

8. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती रमा देवी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) जनजातीय कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में समिति के 19वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 27वां प्रतिवेदन।

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में समिति के 20वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 28वां प्रतिवेदन।

(3) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ((दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग)) की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में समिति के 21वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 29वां प्रतिवेदन।

9. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री सुनील कुमार पिंटू ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में समिति के 287वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 301वां प्रतिवेदन।

(2) नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में समिति के 291वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 302वां प्रतिवेदन।

(3) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में समिति के 290वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 303वां प्रतिवेदन।

10. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कार्य मंत्रणा समिति का सत्ताईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

11. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी) की ओर से निम्नलिखित के बारे में विवरण सभा पटल पर रखे:-

(1) महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2020-2021 (मांग संख्या 100) के बारे में विभाग से संबद्ध मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 314वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2021-2022 के बारे में विभाग से संबद्ध शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 326वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण सभा पटल पर रखे:-

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2020-2021 (मांग संख्या 42) के बारे में विभाग से संबद्ध स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 118वें और 125वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2020-2021 (मांग संख्या 43) के बारे में विभाग से संबद्ध स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 119वें और 124वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(3) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) की ओर से पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें 2020-

21 के बारे में विभाग से संबद्ध परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 283वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

(4) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण सभा पटल पर रखे:-

(एक) श्रम और रोज़गार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2019-2020 के बारे में श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) श्रम और रोज़गार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2020-2021 के बारे में श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के 5वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(तीन) श्रम और रोज़गार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2021-2022 के बारे में श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराह्न 12.10 बजे

12. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सत्र के शेष भाग के लिए सरकारी कार्य के संबंध में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 2.12 बजे

13. सरकारी विधेयक - पुर:स्थापित

(एक) राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी विधेयक, 2021

(दो) वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021

(तीन) चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट, लागत और संकर्म लेखापाल तथा कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2021

अपराह्न 2.15 बजे

14. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) श्री रवि किशन द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में तीन केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोले जाने के बारे में।

(2) श्री गुमान सिंह दामोर द्वारा रतलाम को झबुआ और अलीराजपुर जिला मुख्यालयों से चार लेन की सड़क से जोड़े जाने के बारे में।

(3) श्री रतन लाल कटारिया द्वारा हरियाणा के पंचकूला को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री जगन्नाथ सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के नबाद्वीप जिले में पर्यटन को विकासित किए जाने के बारे में।

(5) श्री प्रदीप कुमार सिंह द्वारा फार्बिसगंज हवाईपट्टी के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने के बारे में।

(6) श्री राम कृपाल यादव द्वारा बिहटा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने के बारे में।

(7) श्री बसंत कुमार पंडा द्वारा कालाहांडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किए जाने के बारे में।

(8) श्री तीरथ सिंह रावत द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओ में आयु सीमा में छूट दिए जाने के बारे में।

(9) श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मुराकाटी ब्रांच केनाल के निर्माण के बारे में।

(10) श्री परबतभाई सवाभाई पटेल द्वारा बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल अंडर पास के निर्माण से उत्पन्न जल निकासी और जल भराव की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री पी.पी. चौधरी द्वारा बिलाड़ा-बर रेल लाइन की स्वीकृति के बारे में।

(12) श्री सुरेश पुजारी द्वारा ओडिशा में फसलों की कटाई की रिपोर्ट प्रणाली के बारे में।

(13) श्री एस. जगतरक्षकन द्वारा वस्त्र उद्योग को प्रभावित करने वाली समस्याओं के बारे में।

(14) श्री एम. धनुष कुमार द्वारा तेनकासी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल संपर्क के बारे में।

(15) श्रीमती चिंता अनुराधा द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य विकास निगम को ऋण के संवितरण के बारे में।

(16) श्री कृपाल बालाजी तुमाने द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के बारे में।

(17) श्री राम शिरोमणि वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सरयू नहर के ऊपर सेतु के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने के बारे में।

(18) डॉ. एम.पी. अब्दुस्समद समदानि द्वारा कोझीकोड विमानपत्तन पर हज एम्बारकेशन प्वांइट को फिर से प्रचालानात्मक बनाए जाने के बारे में।

अपराहन 2.15 बजे

15. सरकारी विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन - सहमति हुई

******सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019*

डॉ. भारती प्रवीण पवार ने डॉ. मनसुख मांडविया की ओर से प्रस्ताव पेश किया कि लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए।

विधेयक का पूरा नाम

1. पृष्ठ 1 में, *"राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड, राज्य सरोगेसी बोर्डों"* शब्दों **के स्थान पर**, *"राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड, राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्डों"* शब्द **रखें** ।

अधिनियमन सूत्र

2. पृष्ठ 1 पर पंक्ति 1 में, "सत्तरवें" शब्द **के स्थान पर**, "बहत्तरवें" शब्द **रखें** ।

खंड 1

3. पार्श्व शीर्ष में, "संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ" शब्दों **के स्थान पर**, "संक्षिप्त नाम और प्रारंभ" शब्द **रखें** ।

4. पृष्ठ 1 पर पंक्ति 4 में, "2020" अंकों **के स्थान पर**, "2021" अंक **रखें** ।

5. पृष्ठ 1 पर पंक्ति 5 का **लोप** करें ।

खंड 2

6. पृष्ठ 2 पर पंक्ति 6 में, "व्ययों" शब्द **के स्थान पर**, "और ऐसे अन्य विहित व्ययों" शब्द **रखें**।

7. पृष्ठ 2 पर पंक्ति 9 **के पश्चात् अंत:स्थापित** करें, अर्थात् :-

   '(गक) "सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी अधिनियम" से सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 अभिप्रेत है ;'।

---

* विधेयक लोक सभा द्वारा 5 अगस्त, 2019 को पारित किया गया, और राज्य सभा को उसकी सहमति के लिए भेजा गया। राज्य सभा ने 8 दिसम्बर, 2021 को हुई अपनी बैठक में संशोधनों के साथ विधेयक पारित किया और 14 दिसम्बर, 2021 को इसे लोक सभा को लौटा दिया।

8. पृष्ठ 2 पर पंक्ति 10 में "राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड" शब्दों **के स्थान पर**, "राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड" शब्द **रखें** ।

9. पृष्ठ 2 पर पंक्ति 16 में "व्ययों" शब्द **के स्थान पर**, "व्ययों और ऐसे अन्य विहित व्ययों" शब्द **रखें** ।

10. पृष्ठ 2 पर पंक्ति 25 से पंक्ति 28 **के स्थान पर**, निम्नलिखित **रखें**, अर्थात् :--

'(त्र) "भ्रूण विज्ञानी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके पास भ्रूण विज्ञान के क्षेत्र में कोई स्नातकोत्तर चिकित्सीय अर्हता या डाक्टरी है या जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से नैदानिक भ्रूण विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री है और साथ ही कम से कम दो वर्ष का नैदानिक अनुभव है ;'।

11. पृष्ठ 3 पर पंक्ति 1 का **लोप** करें ।

12. पृष्ठ 3 पर पंक्ति 2 में, "जिसके द्वारा" शब्दों **के स्थान पर**, "जिसके द्वारा चिकित्सीय व्ययों, स्वास्थ्य संबंधी व्ययों" शब्द **रखें** ।

13. पृष्ठ 3 पर पंक्ति 5 में, "प्रतिकूल करने" शब्दों **के स्थान पर**, "प्रतिकूल करने और ऐसी सरोगेट माता पर होने वाले ऐसे अन्य विहित व्ययों" शब्द **रखें** ।

14. पृष्ठ 3 पर पंक्ति 7 से पंक्ति 9 **के स्थान पर**, निम्नलिखित **रखें**, अर्थात् :-

'(द) "आशय रखने वाला दंपत्ति" से ऐसा दंपत्ति अभिप्रेत है, जिसके पास गर्भकालीन सरोगेसी के लिए आवश्यक उपदर्शन है और जो सरोगेसी के माध्यम से माता-पिता बनने का आशय रखता है ;'।

15. पृष्ठ 3 पर पंक्ति 9 **के पश्चात् अंतःस्थापित** करें, अर्थात् :-

'(दक) "आशय रखने वाली महिला" से कोई ऐसी भारतीय महिला अभिप्रेत है, जो पैंतीस से पैंतालीस वर्ष की आयु के बीच विधवा हो गई है या जिसका विवाह विच्छेद हो गया है और जो सरोगेसी का उपयोग करने के लिए आशय रखती है ;'।

16. पृष्ठ 3 पर पंक्ति 13 में, "राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड या किसी राज्य सरोगेसी बोर्ड" शब्दों **के स्थान पर**, "राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड या राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्डों" शब्द **रखें** ।

17. पृष्ठ 3, पंक्ति 30 में, "राज्य सरोगेसी बोर्ड" शब्दों **के स्थान पर**, "राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्डों" शब्द **रखें** ।

18. पृष्ठ 4 पर पंक्ति 4 से पंक्ति 6 **के स्थान पर**, निम्नलिखित **रखें**, अर्थात् :--

'(यछ) "सरोगेट माता" से कोई ऐसी महिला अभिप्रेत है, जो अपनी गर्भाशय में भ्रूण के गर्भरोपण से सरोगेसी के माध्यम से (जो आशय रखने वाला दंपत्ति या आशय रखने वाली महिला संबंधी आनुवंशिक है) किसी बालक को जन्म देने के लिए सहमत है और जो धारा 4 के खंड (iii) के उपखंड (ख) में यथा उपबंधित शर्तों को पूरा करता है ;'।

19. पृष्ठ 4 पर पंक्ति 8 **के पश्चात्** निम्नलिखित **रखें**, अर्थात् :-

"(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किंतु सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में क्रमश: उनके हैं ।"।

खंड 4

20. पृष्ठ 5 पर पंक्ति 23 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** करें, अर्थात् :-

"(क) जब आशय रखने वाला दंपत्ति को एक चिकित्सा उपदर्शन होता है जिसमें गर्भकालीन सेरोगेसी की आवश्यकता होती है :

परंतु भारतीय मूल का ऐसा दंपत्ति या आशय रखने वाली ऐसी महिला को, जो सरोगेसी का उपयोग करने के लिए आशय रखती है, ऐसे प्ररुप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उक्त व्यक्तियों द्वारा दिए गए आवेदन पर बोर्ड से सिफारिश का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करना होगा ।

स्पष्टीकरण--इस उपखंड और खंड (iii) के उपखंड (क) की मद (I) के प्रयोजन के लिए, "गर्भकालीन सरोगेसी" पद से ऐसी पद्धति अभिप्रेत है, जिसके द्वारा सरोगेट माता अपनी गर्भाशय में भ्रूण के गर्भरोपण के माध्यम से आशय रखने वाले दंपत्ति के लिए बालक जन्म देती है और वह बालक सरोगेट माता संबंधी अनुवांशिक नहीं है ।"।

21. पृष्ठ 6 पर पंक्ति 7 **के पश्चात्**, निम्नलिखित **अंत:स्थापित** करें, अर्थात् :-

"(i) आशय रखने वाले दंपत्ति या आशय रखने वाली महिला जिसे सरोगेसी गर्भधारण की आवश्यकता है, चिकित्सा उपदर्शन की किसी एक या दोनों सदस्यों के पक्ष में जिला चिकित्सीय बोर्ड से चिकित्सा उपदर्शन का प्रमाणपत्र है ।"।

22. पृष्ठ 6, पंक्ति 11 में, "इस" शब्द **के स्थान पर** "इस मद" **शब्द** रखें ।

23. पृष्ठ 6, पंक्ति 18-20 में, "दंपत्ति" शब्द से आरंभ होने वाले और "और" शब्द पर समाप्त होने वाले भाग **के स्थान पर**, निम्नलिखित **रखें**, अर्थात् :--

"दम्पत्ति या आशय रखने वाली महिला और सरोगेट माता द्वारा, आवेदन किए जाने पर पारित किया गया है, जो कि सरोगेट बालक को जन्म देने के पश्चात् जन्म शपथपत्र के रूप में देना होगा ; और"

24. पृष्ठ 6 पर पंक्ति 25 में, "बीमा कवर" शब्दों **के स्थान पर**, "बीमा कवर और ऐसी रीति में" शब्द **रखें** ।

25. पृष्ठ 6 पर पंक्ति 23 में, "सोलह" शब्द **के स्थान पर**, "छत्तीस" शब्द **रखें** ।

26. पृष्ठ 6 पर पंक्ति 33 और 34 **के स्थान पर रखें**, अर्थात् :-

"(II) एक रजामंद महिला एक सरोगेट माता के रुप में कार्य करेगी और उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सरोगेसी प्रक्रियाओं से गुजरने की अनुमति दी जाएगी :

परंतु आशय रखने वाला दंपत्ति या आशय रखने वाली महिला किसी रजामंद महिला सहित समुचित प्राधिकरण के पास प्रस्ताव रखेगा जो सरोगेट माता के रुप में कार्य करने के लिए सहमत है ;"।

27. पृष्ठ 7 पर पंक्ति 6 **के पश्चात्** निम्नलिखित **रखें** :

"आशय रखने वाले दंपत्ति विवाहित हों और स्त्री सदस्य की दशा में उसकी आयु प्रमाणन की तारीख को तेईस वर्ष से पचास वर्ष के बीच तथा पुरुष सदस्य की दशा में उसकी आयु छब्बीस वर्ष से पच्चपन वर्ष के बीच है ;"।

28. पृष्ठ 7 पर पंक्ति 10 का **लोप** करें ।

खंड 5

29. पृष्ठ 7 पर पंक्ति 19 में, "दंपत्ति" शब्द **के स्थान पर**, "दंपत्ति अथवा आशय रखने वाली महिला" शब्द **रखें** ।

खंड 7

30. पृष्ठ 7 पर पंक्ति 30 में, "दंपत्ति" शब्द **के स्थान पर**, "दंपत्ति अथवा आशय रखने वाली महिला" शब्द **रखें** ।

31. पृष्ठ 7 पर पंक्ति 34 का **लोप** करें ।

नया खंड 7क

32. पृष्ठ 7, पंक्ति 34 **के पश्चात् अंत:स्थापित** करें, अर्थात् :-

सरोगेट बालक के अधिकार ।

"7क. सरोगेसी प्रक्रिया से जन्मे बालक को आशय रखने वाला दंपत्ति या आशय रखने वाली महिला का जैविक बालक समझा जाएगा तथा उक्त बालक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्राकृतिक बालक को उपलब्ध सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों का हकदार होगा ।"।

खंड 8

33. पृष्ठ 7 पर पंक्ति 38 में, "सरोगेट माता में अधिरोपित" शब्दों **के स्थान पर**, "सरोगेट माता के गर्भाशय में अधिरोपित" शब्द **रखें** ।

खंड 13

34 और 35. पृष्ठ 9, पंक्ति 5 से 9 **के स्थान पर** निम्नलिखित **रखें**, अर्थात् :-

"14. सरोगेसी क्लीनिक या आशय रखने वाला दंपत्ति अथवा आशय रखने वाली महिला, समुचित प्राधिकारी द्वारा धारा 13 के अधीन पारित रजिस्ट्रीकरण के आवेदन के नामंजूर किए जाने, उसके निलंबन या रद्दकरण के आदेश से संबंधित संसूचना और धारा 4 के अधीन प्रमाणपत्र के रद्दकरण से संबंधित संसूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन दिन की अवधि के भीतर, ऐसे आदेश के विरुद्ध, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निम्नलिखित को अपील कर सकेगा -"

नया खंड 13क और 13ख

36. पृष्ठ 9, पंक्ति 13 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** करें, अर्थात् :-

"13क. इस अधिनियम के अधीन सरोगेसी क्लीनिकों के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी रजिस्ट्री नामक एक रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी । *राष्ट्रीय सहायताप्राप्त प्रजनक प्रौद्योगिकी तथा सरोगेसी रजिस्ट्री की स्थापना ।*

13ख. धारा 14क में निर्दिष्ट और सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा9 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी रजिस्ट्री इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय रजिस्ट्री होगी और सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन उक्त रजिस्ट्री द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कृत्य यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।"। *राष्ट्रीय सहायताप्राप्त प्रजनक प्रौद्योगिकी तथा सरोगेसी रजिस्ट्री के उपबंधों का आवेदन ।*

खंड 14

37. पृष्ठ 9, पंक्ति 15 से 18 **के स्थान पर** निम्नलिखित **रखें** :--

"राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड तथा राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड

14. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा एक बोर्ड का गठन करेगी, जो राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के नाम से ज्ञात होगा और जो अधिनियम के अधीन बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निष्पादन करेगा ।"। *राष्ट्रीय सहायता प्राप्त प्रजनक प्रौद्योगिकी तथा सरोगेसी बोर्ड का गठन ।*

38. पृष्ठ 9, पंक्ति 32 में, "या स्त्री रोग या प्रसूति तंत्र के विशेषज्ञ" शब्दों का **लोप** करें ।

खंड 15

39. पृष्ठ 10, पंक्ति 11 "एक" **के स्थान पर** "तीन" **रखें** ।

खंड 22

40. पृष्ठ 12, पंक्ति 10 में "राज्य सरोगेसी बोर्ड" शब्दों **के स्थान पर** "राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी रजिस्ट्री" शब्द **रखें** ।

खंड 23

41. पृष्ठ 12, पंक्ति 12 से 14 **के स्थान पर** निम्नलिखित **रखें**,--

"23. प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र, जिसका विधान-मंडल है, यथास्थिति, राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड"। *राष्ट्रीय सहायता प्राप्त प्रजनक प्रौद्योगिकी तथा सरोगेसी बोर्ड का गठन।*

खंड 24

42. पृष्ठ 12 में पंक्ति 33 और 34 में, "या स्त्री रोग या प्रसूति तंत्र के विशेषज्ञ" शब्दों का **लोप** करें ।

खंड 25

43. पृष्ठ 13, पंक्ति 11 में, "एक" शब्द **के स्थान पर**, "तीन" शब्द **रखें** ।

खंड 32

44. पृष्ठ 14, पंक्ति 37 में "द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र" **के स्थान पर** "इस अधिनियम और सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र" **रखें** ।

45. पृष्ठ 14, पंक्ति 40 में "अधिनियम" **के स्थान पर** "अधिनियम और सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी अधिनियम" **रखें** ।

46. पृष्ठ 15, पंक्ति 3 **के पश्चात् अंत:स्थापित** करें :

"(i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के रैंक का काई अधिकारी अध्यक्ष, पदेन;"

47. पृष्ठ 15, पंक्ति 7 में "अध्यक्ष" **के स्थान पर** "उपाध्यक्ष, पदेन" **रखें** ।

खंड 34

48. पृष्ठ 16, पंक्ति 7 और 8 में "राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड" **के स्थान पर** "राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड" **रखें** ।

खंड 37

49. पृष्ठ 17, पंक्ति 8 के पार्श्वशीर्ष **के स्थान पर**, "निस्वार्थ सरोगेसी का अनुसरण नहीं करने के लिए दंड" शब्द **रखें** ।

50. पृष्ठ 17, पंक्ति 9 में "युगल" **के स्थान पर** "युगल या आशय रखने वाली महिला" **रखें** ।

51. पृष्ठ 17, पंक्ति 11 में "व्यक्ति से" **के स्थान पर** "व्यक्ति से निस्वार्थ सरोगेसी का अनुसरण

नहीं करने के लिए" **रखें** ।

खंड 47

52. पृष्ठ 18, पंक्ति 33 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** करें, अर्थात् :--

"(क) धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख), खंड (च) और खंड (थ) के अधीन विहित व्यय :"।

53. पृष्ठ 18, पंक्ति 36 में "वह रीति" **के स्थान पर**, "वह अवधि और वह रीति" **रखें** ।

54. पृष्ठ 18, पंक्ति 37 **के पश्चात् अंत:स्थापित** करें :

"(खक) धारा 4 के खंड (ii) के उपखंड (क) के परंतुक के अधीन बोर्ड से सिफारिश का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन का प्ररुप और रीति ।"।

55. पृष्ठ 19, पंक्ति 2 **के स्थान पर**, "में किसी बीमा कंपनी के बीमा कवर और ऐसे कवर की रीति;" **रखें** ।

56. पृष्ठ 19, पंक्ति 7 में, "सरोगेट माता में रोपित" शब्दों **के स्थान पर**, "सरोगेट माता के गर्भाशय में रोपित" शब्द **रखें** ।

57. पृष्ठ 19, पंक्ति 7 में, "राज्य और संघ राज्यक्षेत्र बोर्डों" **के स्थान पर** "राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड तथा संघ राज्यक्षेत्र सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड" **रखें** ।

विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. भारती प्रवीण पवार ने प्रस्ताव पेश किया कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर सहमति हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और संशोधनों पर सहमति हुई।

अपराह्न 2.22 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा सोमवार, 20 दिसम्बर, 2021 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह

महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 20 दिसम्बर, 2021/ 29 अग्रहायण, 1943 (शक)

संख्या 147

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. [*]निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने पांचवीं और सातवीं लोक सभा के सदस्य श्री चंद्र पाल शैलानी; बारहवीं लोक सभा के सदस्य श्री कोनिजेती रोसैया और; सातवीं, आठवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा के सदस्य श्री राम नगीना मिश्र के निधन के संबंध में उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न सं. 301**, 302, 307, 314** और 317 के मौखिक उत्तर दिये गये। सदस्य**,** जिनके नाम पर तारांकित प्रश्न संख्या 303-**306**, 308-**313**, 315, 316 **और 318-320** सूचीबद्ध थे**,** अनुपस्थित थे। तथापि**,** प्रश्न सं. 303**, 304, 306** और 320 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए और उनके उत्तर दिए गए।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.43 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 285 से 300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3451 से 3680 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

[%]4. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने सदस्यों से सभा की मर्यादा और गरिमा बनाए रखने की अपील[$] की।

---

[*] मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

[%] पूर्वाह्न 11.42 बजे की गई। मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

मध्याहन 12.00 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, गुड़गांव के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, गुड़गांव के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) (एक) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कंपनी (विदेशी कंपनियों का पंजीकरण) संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 5 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 538(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (परिभाषा ब्यौरों का विनिर्देशन) तीसरा संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 5 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 539(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 19 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 579(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कंपनी (स्वतंत्र निदेशकों के डाटा बैंक का सृजन और रख-रखाव) संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 19 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 580(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) उपर्युक्त (3) की मद संख्या (एक) और (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले 2 विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनोमिक्स रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट, दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनोमिक्स रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट, दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन(हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2020-2021के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 25 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का. आ. 460(अ) जो 30 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को डिब्रू-सैखोबा राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थतिकीय संवेदनशील जोन के रूप में घोषित किया गया है।

(दो) का. आ. 1817(अ) जो 7 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को आमचंग वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थतिकीय संवेदनशील जोन के रूप में घोषित किया गया है।

(तीन) का. आ. 1042(अ) जो 27 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को कुथबर्ट बे वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थतिकीय संवेदनशील जोन के रूप में घोषित किया गया है।

(चार) का. आ. 652(अ) जो 4 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थतिकीय संवेदनशील जोन के रूप में घोषित किया गया है।

(पांच) का. आ. 1874(अ) जो 11 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थतिकीय संवेदनशील जोन के रूप में घोषित किया गया है।

(छह) का. आ. 2943(अ) जो 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को ईगल नेस्ट राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थतिकीय संवेदनशील जोन के रूप में घोषित किया गया है।

(सात) का. आ. 1918(अ) जो 4 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थतिकीय संवेदनशील जोन के रूप में घोषित किया गया है।

(आठ) का. आ. 1366(अ) जो 28 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को कम्बालाकोण्डा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थतिकीय संवेदनशील जोन के रूप में घोषित किया गया है।

(नौ) का. आ. 1868(अ) जो 9 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य पारिस्थतिकीय संवेदनशील जोन के रूप में घोषित किया गया है।

(दस) का. आ. 1563(अ) जो 15 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थतिकीय संवेदनशील जोन के रूप में घोषित किया गया है।

(ग्यारह) का. आ. 1174(अ) जो 13 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को श्री लंकामल्लेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थतिकीय संवेदनशील जोन के रूप में घोषित किया गया है।

(बारह) पर्यावरण (संरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 24 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 657(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) पर्यावरण (संरक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 6 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 541(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) पर्यावरण (संरक्षण) 115 संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 8 अक्तूबर,2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 724(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पंद्रह) पर्यावरण (संरक्षण) चौथा संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 24 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 656(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक) से (ग्यारह) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध अधिनियम, 2021 की धारा 25 की उपधारा (3) के अंतर्गत दिनांक 3 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 4954(अ), जिसके द्वारा दिनांक 23 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 1687(अ) में कतिपय संशोधन किये गये थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) (एक) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-2022 की पहली छमाही की समाप्ति पर बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय में प्रवृत्तियों की छमाही समीक्षा संबंधी विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) शेयर बाजार घोटाले और उससे संबंधित मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति -दिसम्बर, 2021 की सिफारिशों के अनुसरण में की-गई-कार्रवाई पर 37वें प्रगति प्रतिवेदन की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनोमिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनोमिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, जो दिनांक 6 दिसम्बर, 2021 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/60 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.4912 (अ) जो 30 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रास-स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) 2 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना संख्या 96/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(6) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा 7 के अंतर्गत डीजीटीआर की सिफारिश पर पांच वर्ष की अवधि के लिए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में उदभूत या उससे निर्यात होने वाले 'एल्युमिनियम के कतिपय फ्लैट रौल्ड उत्पादों' पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने के आशय वाली दिनांक 6 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 847(अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव चन्द्रशेखर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान, नोएडा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान, नोएडा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मीनाक्षी लेखी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर, दीमापुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर, दीमापुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोज़गार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(एक) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपुर्णा देवी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा के वर्ष 2020-2021के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) (एक) समग्र शिक्षा(प्राथमिक शिक्षा मिशन का सार्वभौमिकीकरण), दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा(प्राथमिक शिक्षा मिशन का सार्वभौमिकीकरण), दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) (एक) हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, पंचकुला के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, पंचकुला के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) (एक) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) समग्र शिक्षणा कर्नाटक, बेंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षणा कर्नाटक, बेंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) ओडिशा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम ऑथोरिटी (समग्र शिक्षा), भुबनेश्वर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ओडिशा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम ऑथोरिटी (समग्र शिक्षा), भुबनेश्वर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(9) (एक) केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(10) (एक) समग्र शिक्षा संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) (एक) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर, जमशेदपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर, जमशेदपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिक्किम, रवांगला के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिक्किम, रवांगला के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(5) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अरूणाचल प्रदेश, यूपीया के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अरूणाचल प्रदेश, यूपीया के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(6) (एक) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(7) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट, कालीकट के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट, कालीकट के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिक्किम, साऊथ सिक्किम के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिक्किम, साऊथ सिक्किम के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) गनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेकनोलॉजी, मालदा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेकनोलॉजी, मालदा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, रोपड़ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, रोपड़ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, रोपड़ के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान कलकत्ता, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान कलकत्ता, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, उना के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, उना के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान सम्बलपुर, सम्बलपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान सम्बलपुर, सम्बलपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, रांची के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, रांची के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जयपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जयपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जयपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर, सिलचर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर, सिलचर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) नागालैण्ड विश्वविद्यालय, लुमामी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) उड़ीसा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) उड़ीसा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) संत लौंगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोवाल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संत लौंगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोवाल के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) (एक) व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (पश्चिमी क्षेत्र), मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (पश्चिमी क्षेत्र), मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) (एक) मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, कोझिकोड विनियम, 2021 जो 15 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.02-06/2021-आईआईएमके-सीएओ-12 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ विनियम, 2021 जो 18 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. आईआईएमएल/डीआईआर/2021-10:02:26 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रबंध संस्थान, बोधगया विनियम, 2021 जो 23 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. आईआईएमबीजी/प्रशासन/विनियम/2021-22/01 में प्रकाशित हुए थे।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) वास्तुविद् अधिनियम, 1972 की धारा 45 की उप-धारा (3) के अंतर्गत वास्तुकला परिषद (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. सीए/373/2021/एमएसएई(विनियम) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई, भिलाई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, रुड़की के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई, भिलाई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत किशनराव कराड़) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) न्यू इंडिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) न्यू इंडिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा यथासंशोधित भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 40 की उप-धारा 4 के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय स्टेट बैंक, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (आईआईबीआई के इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के 01.04.2021 से 30.06.2021 और 01.07.2021 से 30.09.2021 तक की अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (आईआईबीआई के इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के 01.04.2021 से 30.06.2021 और 01.07.2021 से 30.09.2021 तक की अवधि के लिए परिसमापक का प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वर्ष 2020-2021 के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।

(दो) वर्ष 2020-2021 के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।

(तीन) वर्ष 2020-2021 के लिए इण्डियन ओवरसीज बैंक के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।

(चार) वर्ष 2020-2021 के लिए पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।

(पांच) वर्ष 2020-2021 के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।

(छह) वर्ष 2020-2021 के लिए यूको बैंक के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।

(सात) वर्ष 2020-2021 के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।

(आठ) वर्ष 2020-2021 के लिए केनरा बैंक के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।

(नौ) वर्ष 2020-2021 के लिए इंडियन बैंक के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।

(दस) वर्ष 2020-2021 के लिए बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।

(ग्यारह) वर्ष 2020-2021 के लिए पंजाब एण्ड सिंध बैंक के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त मद संख्या (5) में उल्लिखित बैंकों के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) ऋण वसूली और दिवाला अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, इलाहाबाद तथा इलाहाबाद, रांची, जबलपुर, पटना, लखनऊ और देहरादून स्थित ऋण वसूली अधिकरण भर्ती (संशोधन) नियम, 2021 जो 22 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 426(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, चेन्नई तथा एर्नाकुलम, चेन्नई, मदुरई, कोयम्बटूर और बंगलौर स्थित ऋण वसूली अधिकरण भर्ती (संशोधन) नियम, 2021 जो 22 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 427(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, दिल्ली तथा चंडीगढ़, दिल्ली और जयपुर स्थित ऋण वसूली अधिकरण भर्ती (संशोधन) नियम, 2021 जो 22 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 428(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, कोलकाता तथा हैदराबाद, गुवाहाटी, कोलकाता, विशाखापट्टनम, सिलीगुड़ी और कटक स्थित ऋण वसूली अधिकरण भर्ती (संशोधन) नियम, 2021 जो 22 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 429(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, मुम्बई तथा औरंगाबाद, मुम्बई, अहमदाबाद, पुणे और नागपुर स्थित ऋण वसूली अधिकरण भर्ती (संशोधन) नियम, 2021 जो 22 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 430(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 46 की उप-धारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2021 जो 1 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.4915(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

अपराह्न 12.03 बजे

6. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(एक) संस्कृति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-2022) के बारे में विभाग से संबद्ध परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 289वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) संस्कृति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-2022) के बारे में विभाग से संबद्ध परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 289वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 299वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट) की ओर से पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-2021) के बारे में विभाग से संबद्ध परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 275वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 284वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट और सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. प्रस्ताव

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा 17 दिसम्बर, 2021 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 27वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.06 बजे

8. सरकारी विधेयक - पुर:स्थापित

निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021

श्री अधीर रंजन चौधरी, श्री मनीश तिवारी, श्री असादुद्दीन ओवैसी, प्रो. सौगत राय, श्री रितेश पाण्डेय, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन और डॉ. शशि थरूर ने विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगे।

विधि और न्याय मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिये। तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.16 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.00 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) श्री अरुण साव द्वारा विभिन्न सहारा स्कीमों में निवेश किए गए धन के बारे में।

(2) श्री जनार्दन मिश्र द्वारा मध्य प्रदेश के रीवा में दभौरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव के बारे में।

(3) श्री सुधाकर तुकाराम श्रृंगरे द्वारा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक्स-बैंड डॉप्लर वेदर रडार की स्थापना के बारे में।

(4) श्री देवजी एम. पटेल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के बारे में।

(5) श्री भरतसिंहजी शंकरजी डाभी द्वारा मेहसाणा से पाटण होते हुए भिलाडी तक रेल सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों को सड़कों से जोड़ने से संबंधित मुद्दों के बारे में।

(7) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में मगही भाषा को सम्मिलित किए जाने के बारे में।

(8) श्री अशोक कुमार यादव द्वारा बिहार के मधुवनी में रेलवे क्रॉसिंग संख्या 10 और 13 पर उपरि पुलों के निर्माण की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री राजू बिष्ट द्वारा दार्जिलिंग हिल्स के लिए एक अलग राज्य की मांग के बारे में।

(10) श्री मनोज कोटक द्वारा देश में प्री-प्राईमरी स्कूलों के प्रचालन को विनियमित किए जाने के बारे में।

(11) श्री रामचरण बोहरा द्वारा राष्ट्रीय जल मिशन के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों के बारे में।

(12) श्री जयंत सिन्हा द्वारा झारखण्ड में कोयले की कथित चोरी के बारे में।

(13) डॉ. ढाल सिंह बिसेन द्वारा एक टोल प्लाजा को स्थानांतरित किए जाने के बारे में।

(14) श्री कृपानाथ मल्लाह द्वारा बदरपुर, जिला करीमगंज, आसाम में एक नए रेल मंडल की स्थापना के बारे में।

(15) श्री मनसुखभाई डी. वसावा द्वारा भरूच संसदीय क्षेत्र में कम्पनियों के बंद होने के कारण बेरोजगार हुए श्रमिकों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री दीपक बैज द्वारा जगदलपुर हवाई अड्डे पर नाईट लैंडिंग की सुविधा और नई उड़ान सेवाएं शुरू किए जाने के बारे में।

(17) श्री के. मुरलीधरन द्वारा आदर्श स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण और उन्नयन के बारे में।

(18) डॉ. मोहम्मद जावेद द्वारा बिहार के सूरजपुरी समुदाय को राज्य की अति पिछड़ा वर्ग की सूची और केन्द्र की अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल किए जाने के बारे में।

(19) श्री पी. वेलुसामी द्वारा एनएच-209 पर अंडर पास का निर्माण किए जाने के बारे में।

(20) श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी द्वारा तम्बाकू डीलरों के सामने आ रही समस्याओं के बारे में।

(21) प्रो. सौगत राय द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के बारे में।

(22) श्री अरविंद गणपत सावंत द्वारा सेवरी में एमबीपीटी भूमि पर मौजूद बीडीडी चालों के विकास का अनुमोदन करने के बारे में।

(23) डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा छपरा में तीसरी लाईन शुरू किए जाने के बारे में।

(24) श्री महेश साहू द्वारा तालचेर में महानदी कोल लि. द्वारा मुहैया किए गए रोजगार के अवसरों के बारे में।

(25) श्री कुंवर दानिश अली द्वारा अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पीएमजीएस योजना के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के बारे में।

(26) श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील द्वारा एनएच-48 के एक खंड को शीघ्र पूरा किए जाने के बारे में।

(27) श्री एस. वेंकटेशन द्वारा मदुरै में एम्स को शुरू किए जाने के बारे में।

अपराह्न 2.01 बजे

10. वर्ष 2021-22 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें - दूसरा बैच- पारित

लिया गया समय: 4 घंटे 49 मिनट

वर्ष 2021-2022 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों-दूसरा बैच के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग सं. 1, 3, 4, 6 to 8, 10 से 12, 15, 17 to 20, 22, 23, 25 से 31, 33 से 35, 40, 44 से 51, 53, 54, 59 से 65, 67 से 70, 73, 75 से 78, 81, 84 से 88, 90, 92 से 99 और 101 पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने अपने लिखित भाषण सभा पटल पर रखे:-

1. श्रीमती रंजनबेन धनन्जय भट्ट
2. डॉ. आलोक कुमार सुमन
3. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
4. एडवोकेट डीन कुरियाकोस
5. श्री जगदम्बिका पाल
6. श्री गणेश सिंह
7. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल
8. श्री राजू बिष्ट
9. श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

वर्ष 2021-22 अनुदानों की अनुपूरक मांगों-दूसरा बैच की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शायी गयी राशियों के लिए सभी अनुदानों की अनुपूरक मांग सं. 1, 3, 4, 6 to 8, 10 से 12, 15, 17 to 20, 22, 23, 25 से 31, 33 से 35, 40, 44 से 51, 53, 54, 59 से 65, 67 से 70, 73, 75 से 78, 81, 84 से 88, 90, 92 से 99 और 101 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों) पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

11. सरकारी विधेयक-पुर:स्थापित

विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2021

12. सरकारी विधेयक-पारित

विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2021

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 2.22 बजे

13. संयुक्त समिति को सौंपे जाने के लिए विधेयक- प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भूपेन्द्र यादव ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

''कि जैव विविधता अधिनियम, 2002 का और संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए जो इस सभा के निम्नलिखित 21 सदस्यों से मिलकर बनेगी:-

जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021

1. डॉ. संजय जायसवाल
2. सुश्री दिया कुमारी
3. डॉ. हिना कुमारी गावीत
4. श्रीमती अपराजिता सारंगी
5. श्री राजू बिष्ट

6. श्री पल्लब लोचन दास
7. श्री संतोष पान्डेय
8. श्री प्रताप सिम्हा
9. श्री जुगल किशोर शर्मा
10. श्री बृजेन्द्र सिंह
11. श्री अजय टम्टा
12. श्री जगदम्बिका पाल
13. श्री गौरव गोगोई
14. सुश्री एस. जोतिमणि
15. श्री ए. राजा
16. डॉ. काकोली घोष दस्तीदार
17. श्री श्रीधर कोटागिरी
18. श्री प्रतापराव जाधव
19. श्री सुनील कुमार पिन्टू
20. श्री अच्युतानंद सामंत
21. श्री रितेश पाण्डेय

और इसमें राज्य सभा से 10 सदस्य भी शामिल होंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति की कुल सदस्य संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति अगले सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी;

कि अन्य मामलों में, संसदीय समिति से संबद्ध इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे रूपभेदों तथा आशोधनों के साथ लागू होंगे, जैसा कि अध्यक्ष निर्धारित करें; और

कि यह सभा राज्य सभा को सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में शामिल हो तथा संयुक्त समिति के लिए नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नामों की सूचना इस सभा को दे।"

विधेयक को सौंपे जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 2.25 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.45 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.45 बजे

14. सरकारी विधेयक-पारित

निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021

लिया गया समय : 26 मिनट

श्री किरेन रिजीजू द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री अधीर रंजन चौधरी
2. श्री टी.आर.बालू
3. डॉ. निशिकांत दुबे
4. श्री कल्याण बनर्जी
5. श्री विनायक भाऊराव राऊत
6. श्रीमती सुप्रिया सुले
7. श्री श्रीकृष्णा देवरायालू लावू
8. श्री रितेश पाण्डेय
9. श्री अनुभव मोहंती
10. श्री असादुद्दीन ओवैसी
11. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन
12. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर

श्री किरेन रिजीजू ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 7 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री किरेन रिजीजू ने विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 3.11 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा मंगलवार, 21 दिसम्बर, 2021 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह

महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 21 दिसम्बर, 2021/ 30 अग्रहायण, 1943 (शक)

संख्या 148

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न सं. 321-323, 325 और 326 (334 और 338 के साथ युग्मित) के मौखिक उत्तर दिये गये। सदस्य, जिनके नाम पर तारांकित प्रश्न संख्या 324, 334 और 338 सूचीबद्ध थे, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्रियों ने उत्तर सभा पटल पर रखे। तारांकित प्रश्न सं. 324 और 338 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए और उनके उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 327-337, 339 और 340 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3681 से 3930 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

पूर्वाह्न 11.45 बजे

@3. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने संसदीय जानकारी तक सदस्यों की पहुंच के लिए एक मोबाइल एप विकसित किए जाने के बारे में घोषणा की।

@4. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने सदस्यों से सभा की मर्यादा और गरिमा बनाए रखने की अपील की।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.48 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

@ मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

अपराहन 2.00 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा) ने गृह मंत्री; तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (कर्मचारी भविष्य निधि), नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वित्त मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) की ओर से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना सं. 53/2021-सीमा शुल्क, जिसका आशय उप-शीर्ष 1511 90 के अंतर्गत आने वाले रिफाइण्ड पाम ऑयल और उसके अंशों पर 21.12.2021 से 31.03.2022 तक बीसीडी को 17.5 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत करने संबंधी परिवर्तनों को लागू करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखी।

कृषि और किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) ने कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनयम, 1937 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी:-

(1) चिलगोजा श्रेणीकरण और चिह्नीकरण (संशोधन) नियम, 2021 जो दिनांक 5 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 719(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) मसाले श्रेणीकरण और चिह्नीकरण (संशोधन) नियम, 2021 जो दिनांक 12 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 171(अ) में प्रकाशित हुए थे।

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) नेशनल मीट एण्ड पोलट्री प्रोसेसिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल मीट एण्ड पोलट्री प्रोसेसिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी,उद्यमिता और प्रबंध संस्थान, अधिनियम, 2021 की धारा 39 की उप-धारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी,उद्यमिता और प्रबंध संस्थान नियम, 2021, जो 26 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4453 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्रालय; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, तुंगभद्रा बांध के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, तुंगभद्रा बांध का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) सीमेन्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) सीमेन्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ड़) (एक) इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) के (घ) तथा (ड़) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पालक्कड़ के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पालक्कड़ के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री प्रतिमा भौमिक) ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे-

(1) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15क(4) के अंतर्गत वर्ष 2019 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 की धारा 52 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भांडागारण (विकास और विनियमन), भांडागारों का पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2021 जो 9 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 786(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भांडागारण विकास और विनियमन प्राधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें) (संशोधन), विनियम, 2021 जो 1 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 841(अ) में प्रकाशित हुए थे।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिसाइलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिसाइलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पायनियर संवर्ग (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती नियम, 2021 जो 15 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 799(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, युद्धक (अनुसचिवीय संवर्ग और आशुलिपिक संवर्ग), समूह 'ग' पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2021 जो 17 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 802(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उप-धारा (4) के अंतर्गत लद्दाख प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन), नियम, 2021, जो 22 सितम्बर, 2021 के लद्दाख के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 25 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 की उप-धारा (2) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2021, जो 15 जून, 2021 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. 16/21/2020/एचपी-एक/स्था./545 से 551 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3क की उप-धारा 2 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 3141(अ), जो 5 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा 5.8.2021 से पश्चिम बंगाल के जयगांव, जिला अलीपुरद्वार स्थित स्थल आप्रवासन चेक पोस्ट के लिए विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के प्रयोजनों के लिए वरिष्ठ आप्रवास अधिकारी, आप्रवास ब्यूरो, जयगांव को "सिविल प्राधिकारी" के रूप में नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) की ओर से संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- संघ सरकार (2021 का प्रतिवेदन संख्यांक 8) मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए- राजस्व विभाग- प्रत्यक्ष कर ।

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- संघ सरकार (2021 का प्रतिवेदन संख्यांक 9) (निष्पादन लेखा परीक्षा) भू-जल प्रबंधन और विनियमन, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के बारे में।

(तीन) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- संघ सरकार (2021 का प्रतिवेदन संख्यांक 10) (राजस्व विभाग-अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क)-अग्रिम प्राधिकार योजना पर निष्पादन लेखापरीक्षा।

(चार) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ सरकार

(रेलवे) (2021 का प्रतिवेदन संख्यांक 13) -रेल वित्त।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पत्र पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 97 के अंतर्गत पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 जो 17 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 803(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, पंचकुला के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, पंचकुला का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय शीत-श्रंखला विकास केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय शीत-श्रंखला विकास केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा

अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (दूसरा संशोधन) आदेश, 2021 जो 7 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1491(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (चौथा संशोधन) आदेश, 2021 जो 24 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2511(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (तीसरा संशोधन) आदेश, 2021 जो 24 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2512(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (पांचवां संशोधन) आदेश, 2021 जो 19 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3404(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (छठा संशोधन) आदेश, 2021 जो 13 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3686(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(छह) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (सातवां संशोधन) आदेश, 2021 जो 14 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4265(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(सात) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (नौवां संशोधन) आदेश, 2021 जो 25 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4870(अ) में प्रकाशित हुआ था।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) नेशनल लेबर कॉआपरेटिव्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल लेबर कॉआपरेटिव्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) आरईपीसीओ बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) आरईपीसीओ बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री प्रतिमा भौमिक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) ऑफिस ऑफ द चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 से 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) ऑफिस ऑफ द चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 से 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में व्याख्यातमक ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) महिला मंडल बाड़मेर अगोर, बाड़मेर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) महिला मंडल बाड़मेर अगोर, बाड़मेर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) बांकुरा स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट पश्चिम बंगाल, बांकुरा के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बांकुरा स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट पश्चिम बंगाल, बांकुरा के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) ग्राम भारती महिला मंडल, बेतूल के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ग्राम भारती महिला मंडल, बेतूल के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, अमेठी के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, अमेठी के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) मनिन्द्रनाथ बनर्जी मेमोरियल सोसायटी, बर्धमान के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मनिन्द्रनाथ बनर्जी मेमोरियल सोसायटी, बर्धमान के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) मधुमय श्रीलेखा एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, वर्धमान के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मधुमय श्रीलेखा एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, वर्धमान के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) एनआईसी इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेस्ट बंगाल, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एनआईसी इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेस्ट बंगाल, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) टीएचआरईडीजेड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) टीएचआरईडीजेड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत किशनराव कराड़) की ओर से संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2021 का प्रतिवेदन संख्यांक 12) - मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन (अनुपालन लेखापरीक्षा)।

(2) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2021 का प्रतिवेदन संख्यांक 14) - मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा) टिप्पणियां।

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्रालय (डॉ. एल. मुरूगन) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) प्रसार भारती, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रसार भारती, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निशीथ प्रामाणिक) निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2021 का प्रतिवेदन संख्यांक 15) - रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ)।

(दो) मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- संघ सरकार (2021 का प्रतिवेदन संख्यांक 16) (अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां)-(आर्थिक और सेवा मंत्रालय-सिविल)

(तीन) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- संघ सरकार (2021 का प्रतिवेदन संख्यांक 17) (अनुपालन लेखापरीक्षा) भूमि और विकास कार्यालय, आवासन और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा नाजुल भूमि का प्रशासन।

(चार) मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- संघ सरकार (2021 का प्रतिवेदन संख्यांक 18) (अनुपालन लेखापरीक्षा)-(राजस्व विभाग-सीमा शुल्क)

(पांच) मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (सिविल) (2021 का प्रतिवेदन संख्यांक 20) (निष्पादन लेखापरीक्षा)- शिक्षा मंत्रालय से संबंधित नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) स्थापित किए जाने की निष्पादन लेखापरीक्षा।

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) संघ सरकार - वर्ष 2020-2021 के लिए वित्तीय लेखा

(दो) संघ सरकार - वर्ष 2020-2021 के लिए विनियोग लेखा (सिविल)

6. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:-

(एक) कि राज्य सभा 20 दिसम्बर, 2021 को हुई अपनी बैठक में स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 2021, लोक सभा द्वारा यथापारित, से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) कि राज्य सभा 20 दिसम्बर, 2021 को हुई अपनी बैठक में जैव विविधता अधिनियम, 2002 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से 10 सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने की लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और उसने राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों के नामों की सूचना भी दी, जिन्हें उक्त समिति के लिए निर्वाचित किया गया है:-

1. श्री शिव प्रताप शुक्ल
2. डॉ. अनिल अग्रवाल
3. श्री नीरज शेखर
4. श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा
5. श्री जयराम रमेश
6. श्री जवाहर सरकार
7. श्री तिरुची शिवा
8. डॉ. अमर पटनायक
9. प्रो. राम गोपाल यादव
10. श्री राम नाथ ठाकुर

7. प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित 'सभी एम्स की प्रगति की समीक्षा' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति (2021-2022) का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री रामशिरोमणि वर्मा ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री पी.सी. गद्दीगौदर ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) के 'नाशकजीवमार प्रबंध विधेयक, 2020' के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) का 36वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान (निफ्टेम) की परिषद के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री पशुपति कुमार पारस निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि इस सभा के सदस्य, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2021 की धारा 29(1)के साथ पठित धारा 28(2)(झ) के अनुसरण में, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान (निफ्टेम) की परिषद के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.13 बजे

11. सरकारी विधेयक-पुर:स्थापित

बाल-विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2021

श्री अधीर रंजन चौधरी, श्री गौरव गोगोई, प्रो. सौगत राय, श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, श्री असादुद्दीन ओवैसी, श्री विनायक भाऊराव राऊत, श्रीमती सुप्रिया सुले, श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि और श्री अनुभव मोहंती ने विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगे।

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी) ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिये।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

12. सरकारी विधेयक-समिति को सौंपा गया

बाल-विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2021

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी) ने सरकार की ओर से अनुरोध किया कि विधेयक को विभाग संबंधी स्थायी समिति को सौंपा जाए।

अपराह्न 2.30 बजे

13. सरकारी विधेयक-आस्थगित

चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट, लागत और संकर्म लेखापाल तथा कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2021

मद को लिए जाने पर, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने यह सूचित किया कि विधेयक को विभाग संबंधी स्थायी समिति को सौंपे जाने पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

तदनुसार, विधेयक पर विचार आस्थगित किया गया।

अपराह्न 2.31 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा बुधवार, 22 दिसम्बर, 2021 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 22 दिसम्बर, 2021/ 1 पौष, 1943 (शक)

संख्या 149

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों (21 और 22 दिसंबर, 2021 के लिए सूचीबद्ध), जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा बुंदेलखण्ड को प्राकृतिक कृषि क्षेत्र के रूप में घोषित किए जाने की आवयकता के बारे में ।

(2) श्री सुदर्शन भगत द्वारा ईसाई धर्म अपनाने वाले लोगों के नाम अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाए जाने तथा उन्हें मिल रहे आरक्षण के लाभ को बंद किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(3) श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा झारखण्ड के पूर्व सिंहभूम जिले में सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(4) श्री विवेक नारायण शेजवलकर द्वारा मध्य प्रदेश के ग्वालियर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भूजल स्तर में आ रही गिरावट के बारे में ।

(5) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के मिश्रिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समपार संख्या 257सी पर एक भूमिगत पारपथ का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री परबतभाई सवाभाई पटेल द्वारा गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के धानेरा रेलवे स्टेशन पर विभिन्न एक्सप्रेस ट्रेनों को ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(7) डॉ. उमेश जी. जाधव द्वारा सन्नति को विश्व विरासत के रूप में विकसित किए जाने के बारे में ।

(8) श्री अशोक महादेवराव नेते द्वारा महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में पेट्रो कैमिकल परिसर की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(9) श्री गोपाल जी ठाकुर द्वारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन हेतु भाषा सूची में मैथिली भाषा को सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(10) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा डिजिटल लेन-देनों पर अधिरोपित शुल्क हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(11) श्री संजय सेठ द्वारा झारखंड से विभिन्न राज्यों में हो रही बाल-तस्करी को रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(12) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा भगवान बुद्ध के अस्थिकलश के स्थान में परिवर्तन किए जाने के बारे में ।

(13) श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा मुम्बई में 26/11 हमले की स्मृति में एक स्मारक का निर्माण किए जाने के बारे में ।

(14) श्री के. षणमुगसुंदरम द्वारा 'अनइमलई रोड' रेलवे स्टेशन का स्तरोन्नयन कर हॉल्ट स्टेशन से क्रॉसिंग स्टेशन बनाए जाने तथा वहां सभी यात्री एवं एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का ठहराव दिए जाने के बारे में ।

(15) श्री एम. धनुष कुमार द्वारा विरुद्धनगर जिले के वतिरारुप्पू और थेनी जिले के बीच सड़क सम्पर्क के बारे में ।

(16) श्री सुनील कुमार मंडल द्वारा वर्धमान पूर्व संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सौर सबमर्सिबल वाटर पम्प लगाए जाने के बारे में ।

(17) श्रीमती चिंता अनुराधा द्वारा नवोदय विद्यालय समिति के कर्मचारियों की पेंशन से संबंधित मामलों के बारे में ।

(18) श्री राजन बाबूराव विचारे द्वारा महाराष्ट्र में विभिन्न स्थानों को जलमार्गों से जोड़ने वाली परियोजना आरम्भ किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(19) श्री श्याम सिंह यादव द्वारा उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के बारे में ।

(20) श्री एम. सेल्वराज द्वारा मेडिकल कॉलेजों में नॉन मेडिकल शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अधिकतम सीमा को कम किए जाने संबंधी नेशनल मेडिकल कमीशन के निर्णय को वापस लिए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(21) श्री सत्यदेव पचौरी द्वारा सोलर चर्खे से निर्मित धागे को 'खादी' के रूप में वर्गीकृत किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(22) डॉ निशिकांत दुबे द्वारा झारखंड के गोड्डा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नदियों को जोड़ने और जलाशय योजनाओं के बारे में ।

(23) डॉ. हिना विजयकुमार गावीत द्वारा नन्दुरबार में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के एक केन्द्र की स्थापना किए जाने के बारे में ।

(24) श्री बसंत कुमार पंडा द्वारा ओडिशा के बारगढ़ जिले में सम्बलपुरी वस्त्रों के लिए एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(25) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा बिहार में सिवान से गरखा तक की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(26) श्री रतन लाल कटारिया द्वारा हरियाणा के अम्बाला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रक्षा उपकरण निर्माण उद्योग की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(27) श्री अरुण कुमार सागर द्वारा बैंको द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रमों में लोक सभा सदस्यों की भागीदारी के बारे में ।

(28) श्री अनुराग शर्मा द्वारा बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन की रोजगार संभावना के बारे में।

(29) श्री नितेश गंगा देब द्वारा ईस्ट कोस्ट रेलवे के संबलपुर डिवीजन के क्षेत्राधिकार में कुछ रेल खंडों को शामिल किए के बारे में ।

(30) श्री भागीरथ चौधरी द्वारा अजमेर-चंडीगढ़ राजमार्ग या किशनगढ़-हनुमानगढ़ बृहत् राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित और घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(31) श्रीमती जसकौर मीना द्वारा किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(32) श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी द्वारा ओडिशा में तटीय नहर को पुन: शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(33) श्री उत्तम कुमार नालामाडा रेड्डी द्वारा तेलंगाना में जनजातीयों के लिए आरक्षण के बारे में ।

(34) श्री मद्दीला गुरूमूर्ति द्वारा आन्ध्र प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के बारे में।

(35) श्री मारगनी भरत द्वारा यूपीएससी परीक्षा में अतिरिक्त अवसर और आयु सीमा में छूट दिए जाने के बारे में ।

(36) श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा आशा कर्मियों की वित्तीय सुरक्षा के बारे में ।

(37) श्री कृपाल बालाजी तुमाने द्वारा महाराष्ट्र के रामटेक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में फेरो एलॉय परियोजना की स्थापना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(38) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(39) श्री जयदेव गल्ला द्वारा ओसीआई कार्डहोल्डर्स से संबंधित सरकारी अधिसूचना के बारे में।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

2. विदाई संबंधी उल्लेख*

अध्यक्ष ने सत्रहवीं लोक सभा के सातवें सत्र के समापन पर विदाई संबंधी उल्लेख किया।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

3. राष्ट्रीय गीत

. राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

(लोक सभा पूर्वाह्न 11.08 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए, उस दिन का वाद-विवाद देखें।